



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18



स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश





मध्यप्रदेश शासन

विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश



पढ़े चलो, बढ़े चलो

RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
	भाग-एक	1
1.1	विभागीय संरचना एवं विभागीय संगठन	2-8
1.2	अधीनस्थ कार्यालय	9-16
1.3	विभाग के दायित्व	17-18
1.4	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	19-27
	भाग-दो	29
2.1	बजट विहंगावलोकन	30-33
2.2	योजनावार बजटीय विवरण	34-43
	भाग-तीन	45
3.1	राज्य योजनाएं	46-67
3.2	केन्द्र प्रवर्तित योजना	68-107
3.3	अन्य योजनाएं/गतिविधियाँ	108-134
	भाग-चार	135
4	सामान्य प्रशासनिक विषय	136-137
	भाग-पांच	139
5	अभिनव योजना/पहल	140-147
	भाग-छः	149
6	प्रकाशन	150-154



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भाग – एक

- 1.1 विभागीय संरचना एवं विभागीय संगठन
- 1.2 अधीनस्थ कार्यालय
- 1.3 विभाग के दायित्व
- 1.4 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.1 विभागीय संरचना

1.1.1 विभागीय संरचना निम्नानुसार है:-

मध्यप्रदेश शासन	
विभाग का नाम – स्कूल शिक्षा विभाग	
मंत्री	डॉ. कुँवर विजय शाह
राज्यमंत्री	श्री दीपक जोशी
सचिवालय	
प्रमुख सचिव	श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी
सचिव	डॉ. अशोक भार्गव
वित्तीय सलाहकार	श्री मनोज श्रीवास्तव
उप सचिव	श्रीमती पुष्पा कुलेष
उप सचिव (पदेन)	श्री के.के.द्विवेदी
उप सचिव (पदेन)	श्री प्रमोद सिंह
अवर सचिव	श्री राजेन्द्र डेकाटे श्रीमती कलावती उईके

1.1.2 विभागीय प्रमुख

आयुक्त, लोक शिक्षण	श्री नीरज दुबे
प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम	श्री संतोष मिश्रा
संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्री लोकेश कुमार जाटव
संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	श्री लोकेश कुमार जाटव
सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल	श्री अजय सिंह गंगवार
संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद	श्री प्रभातराज तिवारी
निदेशक, महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान	श्री प्रभातराज तिवारी
सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड बोर्ड	श्री सैयद सरवर हुसैन रिज़वी
राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाईड	श्री आलोक खरे
अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय	मेजर जनरल मुकेश के. दत्ता

1.1.3 विभागीय संस्थाओं/विभागीय प्रमुख एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी

1.1.3.1 लोक शिक्षण संचालनालय

आयुक्त, लोक शिक्षण	श्री नीरज दुबे
अपर परियोजना संचालक (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)	श्रीमती शिल्पा गुप्ता
संचालक	श्रीमती अंजू पवन भदौरिया
अपर संचालक	श्री डी.एस.कुशवाह
	सुश्री कामना आचार्य
संयुक्त संचालक	श्री संजय कुमार
	श्री प्रभातराज तिवारी
	श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी
	श्री शीतांशु शुक्ला
	श्री सैयद सरवर हुसैन रिजवी
	श्री योगेन्द्र कुमार यादव

1.1.3.2 राज्य शिक्षा केन्द्र

संचालक	श्री लोकेश कुमार जाटव
अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्रीमती शिल्पा गुप्ता श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव
अपर संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	श्री ओ.एल.मण्डलोई
संयुक्त संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्री रवीन्द्र सिंह श्री देवभूषण प्रसाद

1.1.3.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

अध्यक्ष	श्री एस.आर. मोहन्ती
उपाध्यक्ष	डॉ. भागीरथ कुमरावत
सचिव	श्री अजय सिंह गंगवार
अतिरिक्त सचिव	श्रीमती मनीषा सेंतिया
उपसचिव	श्री प्रकाश सिंह चौहान
परीक्षा नियंत्रक	श्री राजीव सिंह तोमर
वित्ताधिकारी	श्री गोपाल प्रसाद सिंह

1.1.3.4 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद

अध्यक्ष (पदेन)	डॉ. कुंवर विजय शाह, मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
संचालक	श्री प्रभात राज तिवारी

1.1.3.5 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश

अध्यक्ष	डॉ. कुंवर विजय शाह मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
निदेशक	श्री प्रभातराज तिवारी
उप निदेशक	श्री प्रशांत डोलस

1.1.3.6 म.प्र. मदरसा बोर्ड

अध्यक्ष	प्रोफेसर सैयद इमादउद्दीन
सचिव	श्री सैयद सरवर हुसैन रिज़वी

1.1.3.7 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम

अध्यक्ष	श्री राय सिंह सेंधव
उपाध्यक्ष	श्री अवधेश नायक
प्रबंध संचालक	श्री संतोष मिश्र

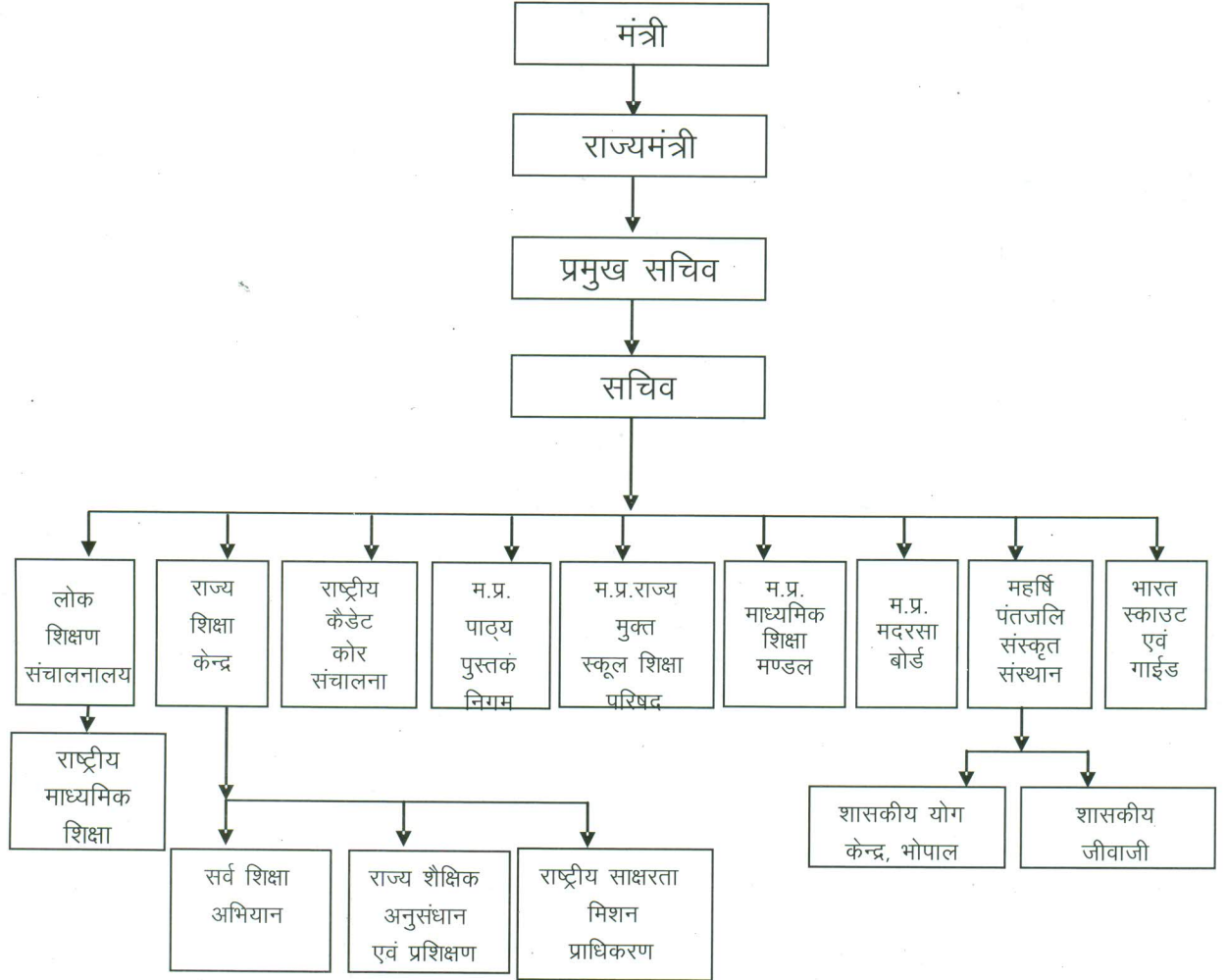
1.1.3.8 भारत स्काउट एवं गाईड

अध्यक्ष	श्री अशोक अर्गल, महापौर, नगर निगम मुरैना
राज्य मुख्य आयुक्त	श्री पारसचन्द्र जैन, मंत्री ऊर्जा, म0प्र0शासन
राज्य सचिव	श्री आलोक खरे

1.1.3.9 राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय

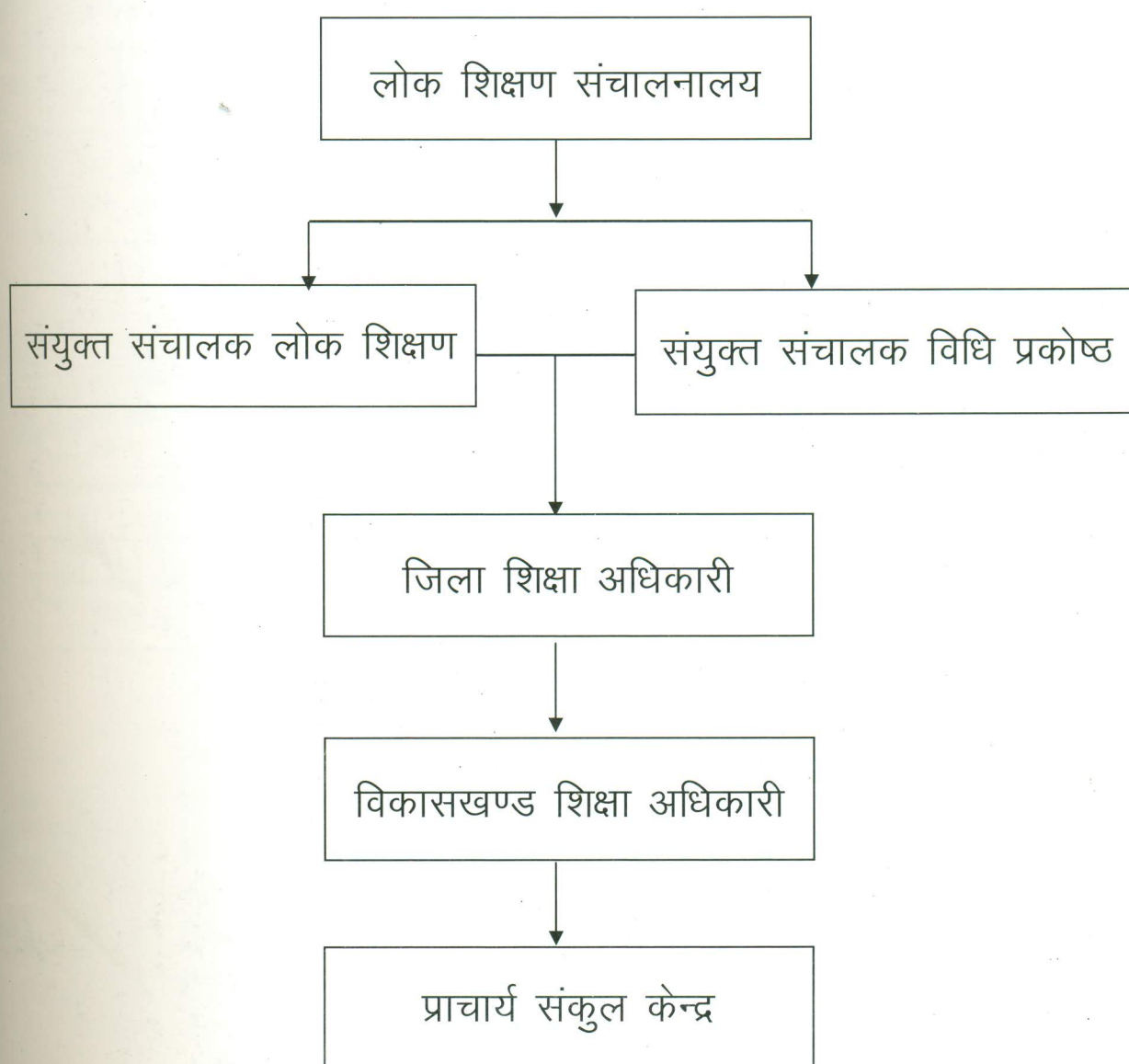
अपर महानिदेशक (विभागाध्यक्ष)	मेजर जनरल मुकेश के. दत्ता
उप महानिदेशक	ब्रिगेडियर के.जे.एस. राठौर
संचालक	ग्रुप कैप्टन ए.के. उपाध्याय
योजना एवं समंवय	कर्नल के. सुरेश कुमार, अपर निदेशक
अपर निदेशक (प्रशासनिक)	मेजर आकाश ठाकुर
अपर निदेशक (प्रशिक्षण)	कर्नल भूपाल कुमार
अपर निदेशक (पर्स)	कर्नल दुष्यंत शर्मा
संयुक्त संचालक (राज्य कोष्ठ)	श्री गुलाबराव सूर्यवंशी

1.1.4 विभागीय संगठन

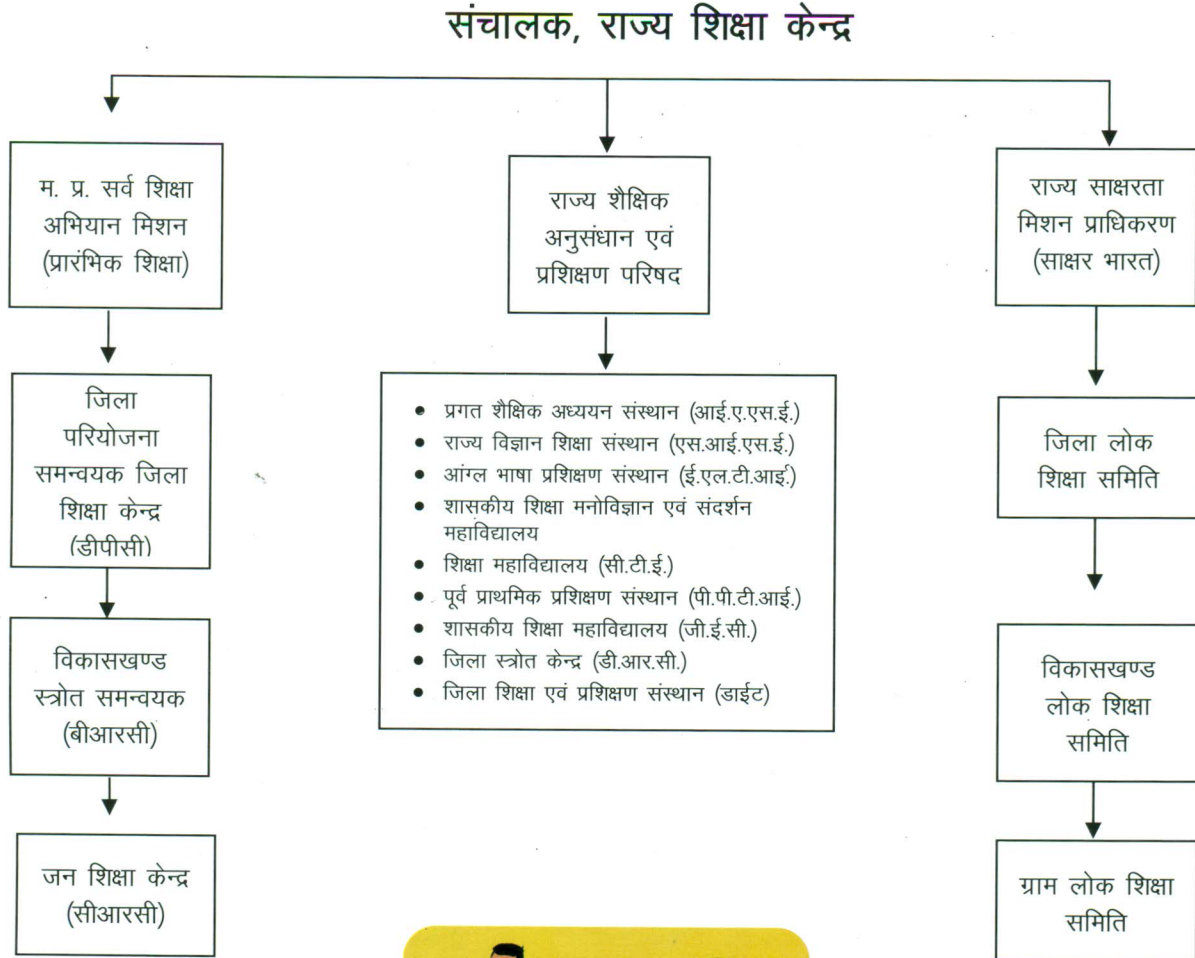


1.2 अधीनस्थ कार्यालय

1.2.1 आयुक्त, लोक शिक्षण, संचालनालय के अधीनस्थ कार्यालय

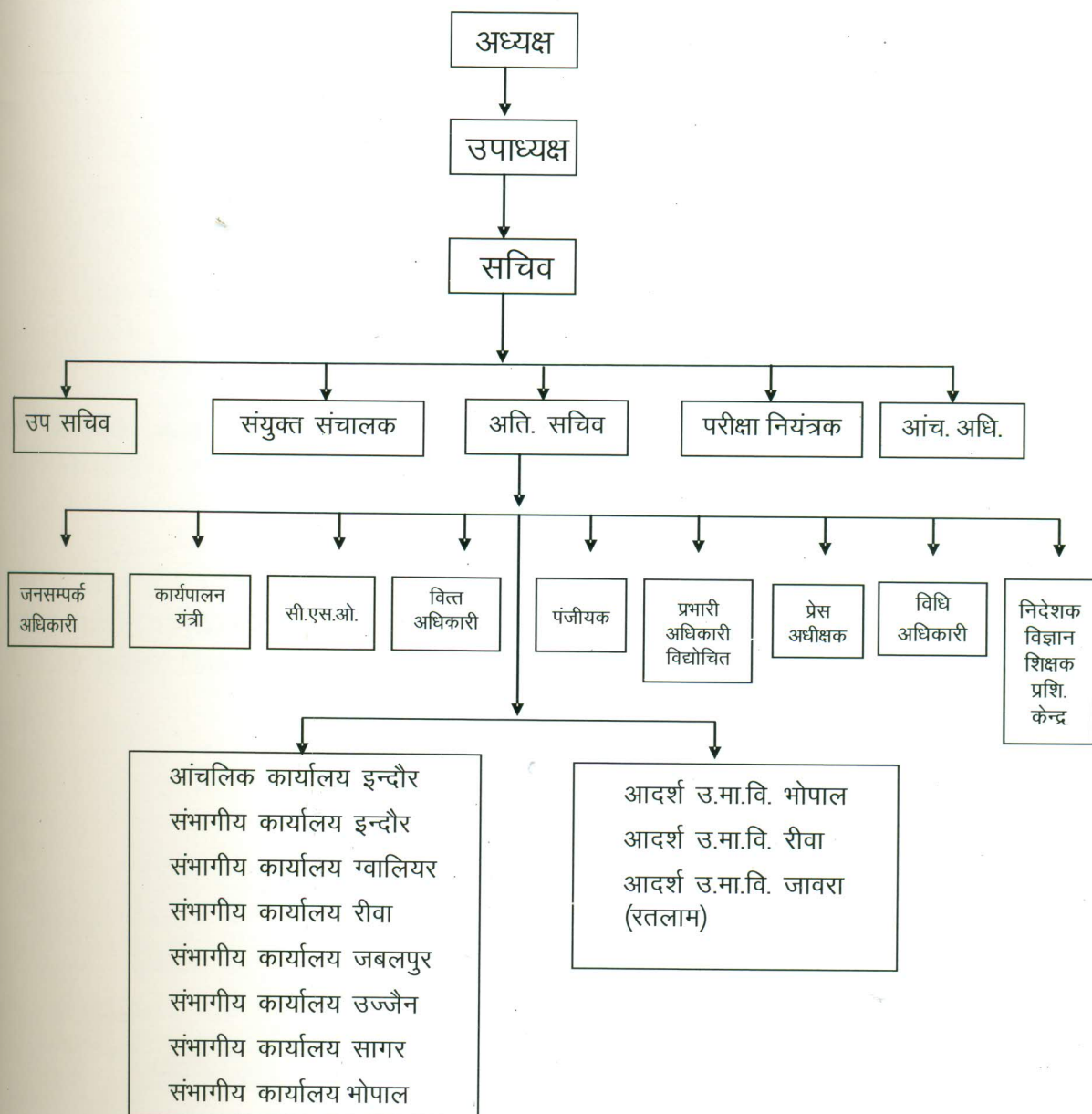


1.2.2 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीनस्थ कार्यालय



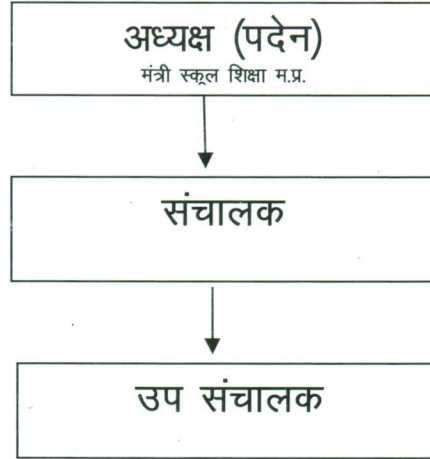
1.2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) द्वारा अधिनियमित एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है।



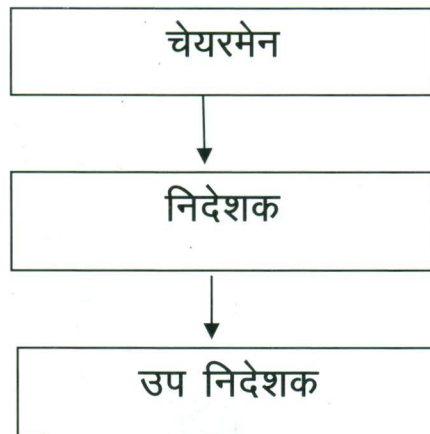
1.2.4 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद

सन 1989 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की तरह म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत, सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मंत्री परिषद् के संकल्प द्वारा वर्ष 1995 में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसे मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् के नाम से जाना जाता है।



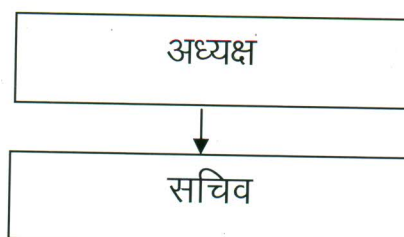
1.2.5 महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, के आदेश क्रमांक एक 44-1/2007/20-3 द्वारा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान अधिनियम 2007 की धारा 3(1) के प्रावधान अनुसार महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान 18.08.2008 से प्रभावशील हो गया है। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान में जीवाजी वेधशाला उज्जैन एवं राज्य योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल को निहित किया गया है।



1.2.6 म.प्र. मदरसा बोर्ड

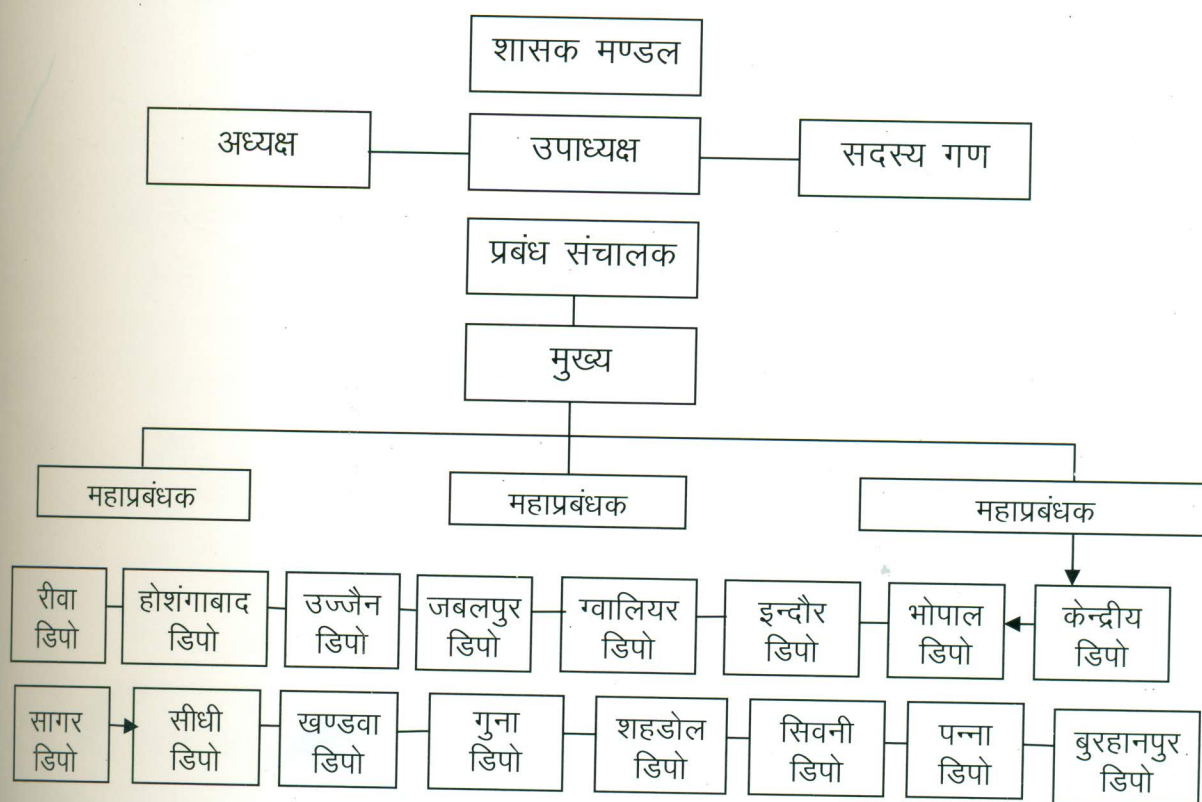
म.प्र. मदरसा बोर्ड का गठन म.प्र. विधान सभा द्वारा पारित म.प्र. मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 द्वारा 22 सितम्बर 1998 को किया गया है। बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त सात सदस्य शासन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तथा शासन के विभिन्न विभागों के 12 सचिव एवं विभागाध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। बोर्ड के प्रशासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु शासन द्वारा मदरसा बोर्ड में सचिव की पद स्थापना की जाती है।



1.2.7 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम

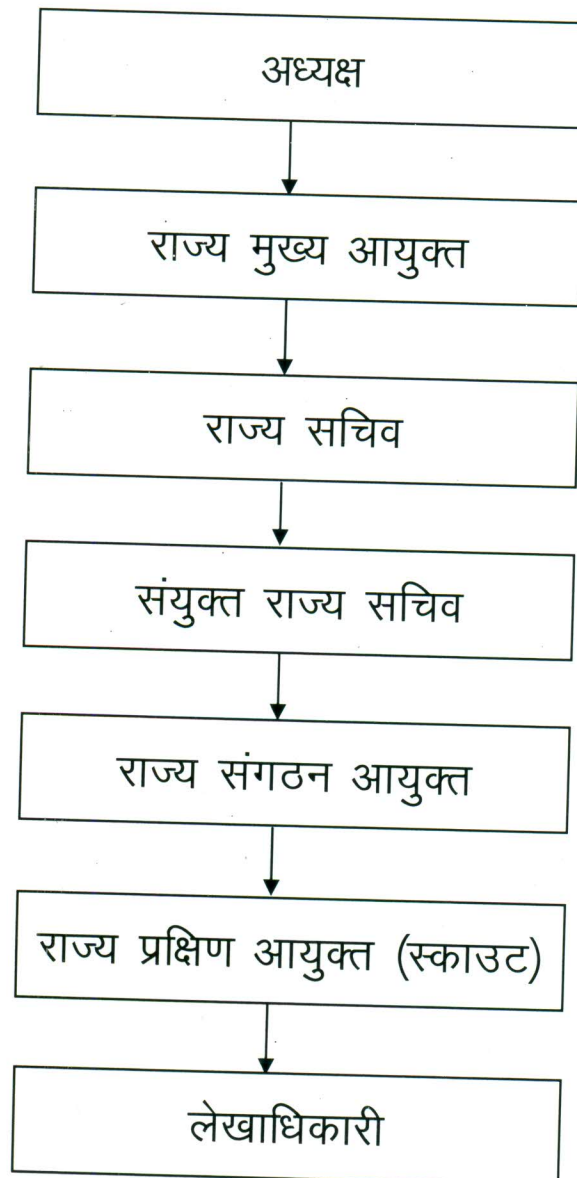
मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम की स्थापना मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1959 के अन्तर्गत दिनांक 07.08.1968 को की गई। निगम का कार्य संचालन मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार होता है।

इसका मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के शालेय स्तर के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें लागत मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

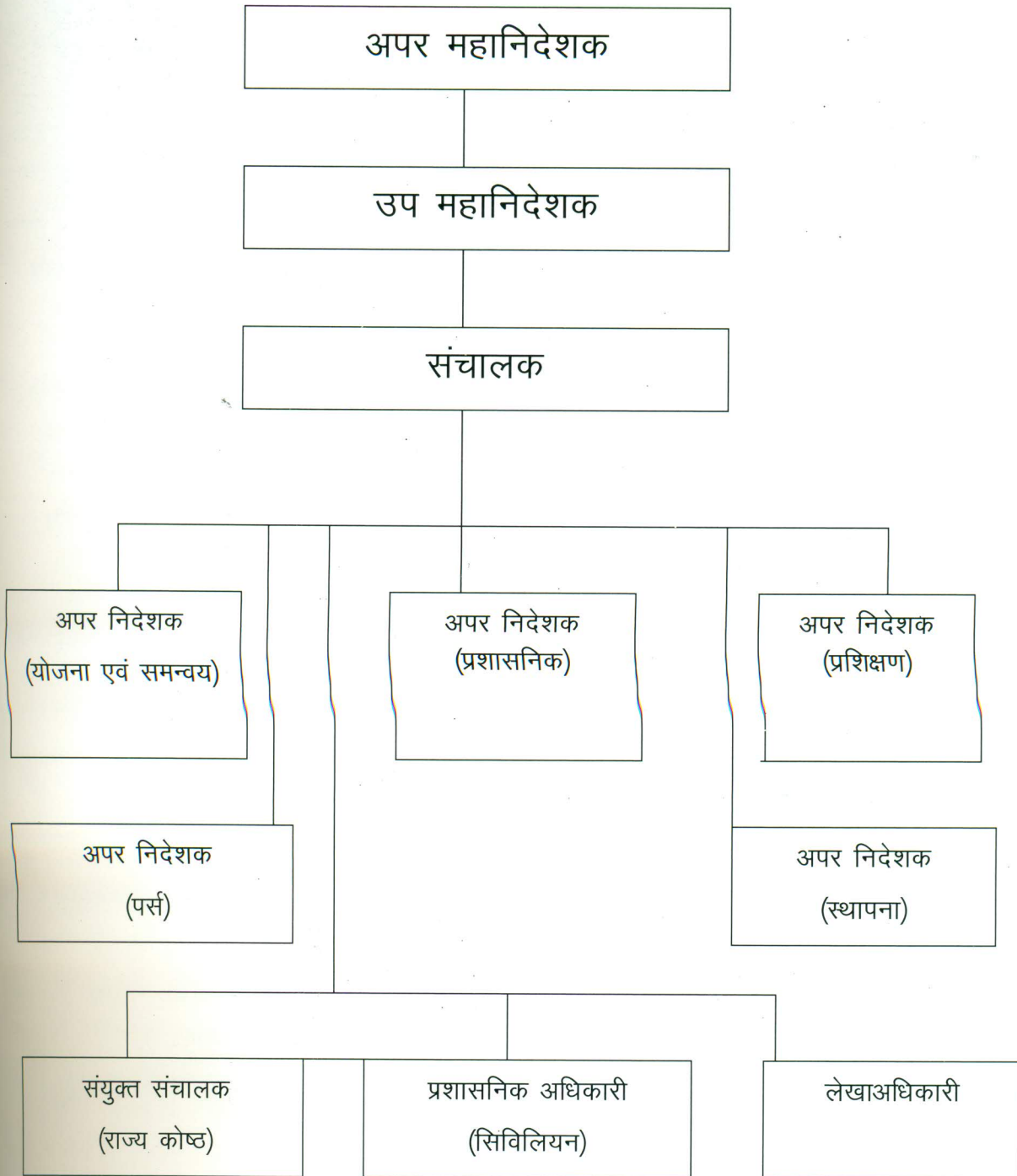


1.2.8 भारत स्काउट एवं गाईड

भारत स्काउट एवं गाईड आंदोलन के प्रारंभ में इसके मात्र 502 सदस्य थे, लेकिन आज लगभग 4.4 मिलियन है। जिनमें 2.5 मिलियन स्काउट एवं 1.5 मिलियन गाईड भारत में है एवं सम्पूर्ण विश्व में 40 मिलियन स्काउट-गाईड एवं कार्यकर्ता है, जो विश्व बंधुत्व और शांति की अलख जगा रहे है। इसका राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है एवं विश्व में 161 देश इस आंदोलन के सदस्य है। विश्व स्काउट संगठन का मुख्यालय स्विटजरलैण्ड में एवं विश्व गाईड संगठन का मुख्यालय लंदन में है।

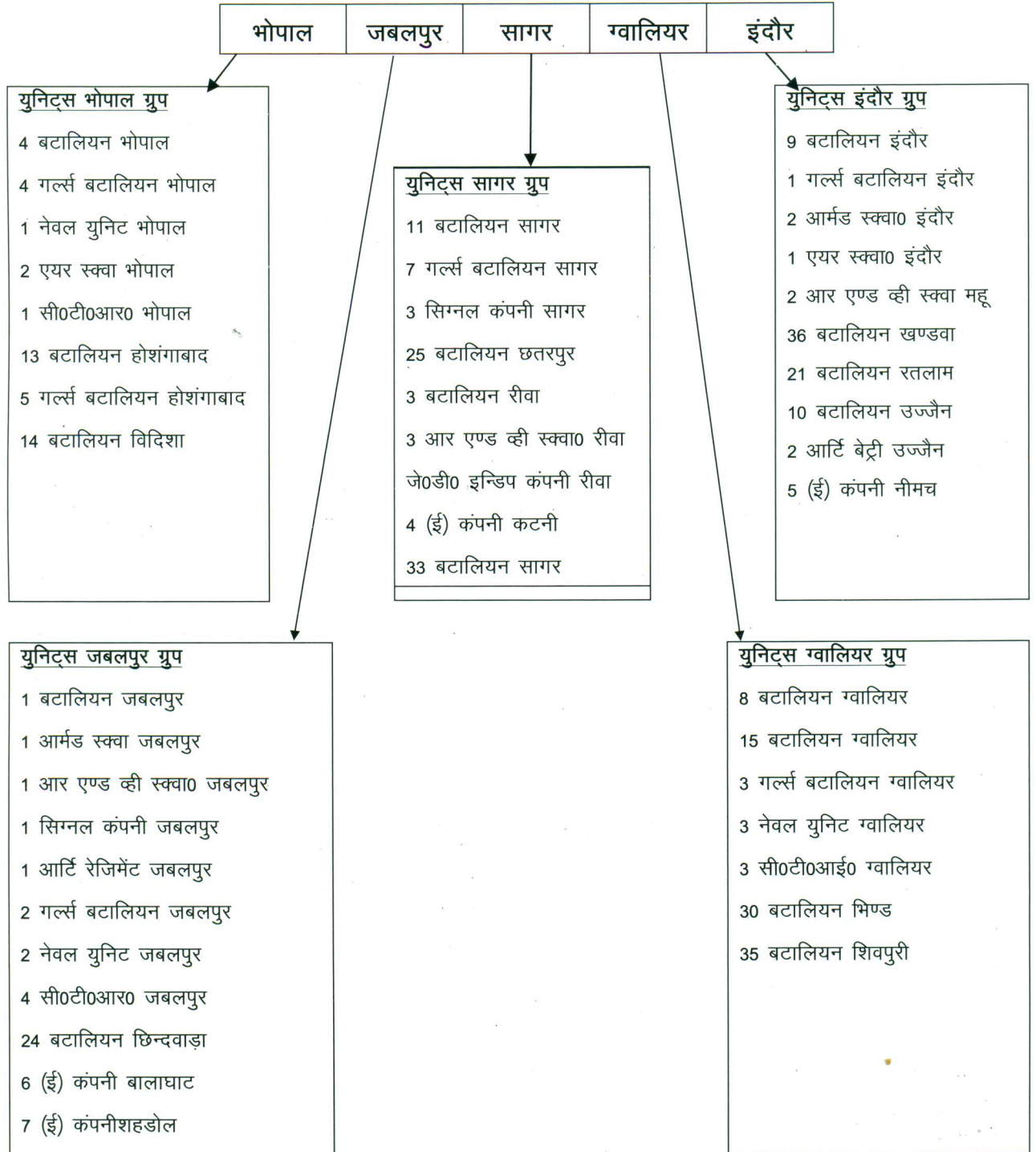


1.2.9 राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय



मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकारी वर्ग में प्रथम श्रेणी के अंतर्गत एक पद स्वीकृत है। अधिकारी वर्ग के शेष सभी पद भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा भरे गये हैं।

1.2.9.1 राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालय के अधीनस्थ कार्यालय



1.3 स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व

1. पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा
2. माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा
3. प्रारंभिक शिक्षा से सम्बद्ध नीति
4. अनौपचारिक शिक्षा
5. शालाओं का सेट अप तथा स्वरूप से सम्बद्ध नीति
6. नवीन शालाएं खोलना तथा शालाओं का विस्तार और विकास
7. शाला पाठ्यचर्या
8. शाला भवन
9. शालाओं के लिए उपकरण, जिसमें कागज तथा अभ्यास पुस्तिका शामिल है
10. शालाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें, शाला पुस्तकालय, पुस्तक बैंक
11. अध्यापन की पद्धतियाँ तथा तकनीकें
12. शाला के अध्यापकों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण
13. अशासकीय शालाओं को अधिकार में लेना
14. अशासकीय शालाओं को सहायक अनुदान
15. शालाओं में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद
16. बालचर तथा पथदर्शिकाएं
17. शाला की परीक्षाओं का संचालन
18. राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान
19. विकलांग बालकों के लिए समेकित शिक्षा योजना
20. प्रौढ़ शिक्षा
21. राष्ट्रीय छात्र सेना
22. भाषाई अल्प संख्यकों का संरक्षण
23. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से सम्बन्ध हो, (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग आदि विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, ड्यूटी, निवृत्त वेतन, पदोन्नति, निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन
24. योग

1.3.1 विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे अधिनियम एवं नियम

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
2. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011
3. मध्य प्रदेश जनशिक्षा अधिनियम, 2002
4. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965
5. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1969
6. मध्य प्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी व्यवस्था) अधिनियम 1973
7. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) अधिनियम 1974
8. राज्य शिक्षा सेवा का गठन वर्ष 2013
9. म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017

1.4 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.4.1 साक्षरता, शालायें एवं नामांकन

1.4.1.1 साक्षरता

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर और वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर निम्नानुसार है—

विवरण	साक्षरता दर			
	म0प्र0		राष्ट्रीय	
	2001	2011	2001	2011
महिला साक्षरता दर	50.3	59.2	53.7	64.6
पुरुष साक्षरता दर	76.1	78.7	75.3	80.9
कुल साक्षरता दर	63.7	69.3	64.8	73.0
अनु0 जाति की साक्षरता दर				
महिला	43.3	54.7	41.9	56.5
पुरुष	72.3	76.7	66.6	75.2
कुल	58.6	66.2	54.7	66.1
अनु0 जन जाति की साक्षरता दर				
महिला	28.4	41.5	34.8	49.4
पुरुष	53.6	59.6	59.2	68.5
कुल	41.2	50.6	47.1	59.0

1.4.1.2 स्कूलों की संख्या

स्तर	स्कूलों की संख्या
प्राथमिक	88431
माध्यमिक	54775
हाईस्कूल	7823
हायर सेकण्डरी	8448

नोट - इसमें शासकीय एवं अशासकीय स्कूल सम्मिलित है।

1.4.1.2.1 शासकीय शालाओं की उपलब्धता की स्थिति

स्तर	2002 के पूर्व की स्थिति में	वर्ष 2016-17 की स्थिति में
प्राथमिक	55980	83890
माध्यमिक	12490	30341
हाईस्कूल	1704	4740
हायर सेकण्डरी	1517	3815

1.4.1.3 प्रदेश में छात्रों की संख्या/नामांकन (शासकीय एवं निजी)

स्तर	छात्रों की संख्या/नामांकन (संख्या लाख में)
प्राथमिक	78.92
माध्यमिक	44.61
हाईस्कूल	25.71
हायर सेकण्डरी	13.38

स्रोत - यु डाईस 2016-17

1.4.1.4 शासकीय एवं निजी स्कूलों में छात्रों के वर्गवार नामांकन (संख्या लाख में)

स्तर	बालक	बालिका	अ.जा.	अ.ज.जा.
प्राथमिक	41.54	37.47	13.29	19.94
माध्यमिक	23.40	21.21	7.71	10.31
हाईस्कूल	13.80	11.91	4.46	4.67
हायर सेकण्डरी	7.25	6.13	1.99	1.74

स्रोत - यु डाईस 2016-17

1.4.1.5 शासकीय शिक्षकों की संख्या

स्तर	शिक्षकों की संख्या
प्राथमिक	202442
माध्यमिक	81776
हाईस्कूल	38526
हायर सेकण्डरी	12253

स्रोत - यु डाईस 2016-17

1.4.1.6 मदरसा

मदरसों की जानकारी				
मदरसों की संख्या	कार्यरत शिक्षक	नामांकन (लाख में)		
2403	9081	बालक	बालिका	योग
		0.83	0.86	1.69

स्रोत - मदरसा बोर्ड

1.4.1.7 डी.एल.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

सत्र	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या	डी.एल.एड.पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीट्स की संख्या	डी.एल.एड. की भरी हुई सीट्स
2015-16	43	3450	3372
2016-17	43	3550	3540
2017-18	43	3550	3463

1.4.1.8 बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

सत्र	शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या	स्वीकृत सीट्स	भरी हुई सीट्स
2015-16	09	1365	1090
2016-17	09	1370	1050
2017-18	09	1385	755

1.4.1.9 एम.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

सत्र	शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या (01 संस्था देवास में एम.एड. नहीं)	स्वीकृत सीट्स	भरी हुई सीट्स
2015-16	08	195	194
2016-17	08	250	240
2017-18	08	275	223

1.4.2 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

1.4.2.1 शिक्षण सत्र 2017-18 की हाईस्कूल परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) में 1144339 तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) में 765041 छात्र सम्मिलित है। इस प्रकार परीक्षार्थियों कुल संख्या 1909380 है।

1.4.2.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी नियमित परीक्षाओं के संदर्भ में गत 3 वर्षों के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का प्रतिशत का सांख्यिकीय विवरण

परीक्षा में उत्तीर्ण	वर्ष								
	2015			2016			2017		
	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग
हाईस्कूल	49.45%	50.18%	49.79%	51.78%	56.33%	53.87%	48.53%	51.43%	49.86%
हायर सेकेण्डरी	63.30%	69.42%	65.94%	65.81%	73.78%	69.33%	64.16%	72.38%	67.87%

1.4.2.3 वर्ष 2017-18 मार्च की परीक्षाओं हेतु स्थापित परीक्षा केन्द्रों की जानकारी

स.क्र.	परीक्षा का नाम	परीक्षा केन्द्र संख्या
1.	हाईस्कूल	3893
2.	हायर सेकेण्डरी	3586

1.4.2.4 शैक्षणिक संस्थाओं को सम्बद्धता देना

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अशासकीय संस्थाओं को नवीन सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं की अद्यतन जानकारी

स. क्र.	संभाग का नाम	सम्बद्धता जारी की गई		हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी सम्बद्धता जारी की गई	कुल सम्बद्धता प्राप्त
		कक्षा-9वीं	कक्षा-11वीं		
1.	ग्वालियर	38	22	09	69
2.	सागर	33	09	04	46
3.	रीवा	55	19	03	77
4.	उज्जैन	68	26	06	100
5.	इन्दौर	74	46	06	126
6.	भोपाल	40	45	08	93
7.	जबलपुर	36	25	02	63
योग		344	183	38	574

1.4.3 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद

1.4.3.1 विभिन्न प्रवेश वर्ष में प्रविष्ट छात्र-संख्या

क्र.	वर्ष	कुल छात्र संख्या (प्रविष्ट)			कुल
		8वीं	10वीं	12वीं	
1	2015	-	-	-	-
2	2016	-	188728	132529	321257
3	2017	-	93632	74182	167814

1.4.3.2 सफल परीक्षार्थियों के प्रतिशत का विवरण

क्र.	सम्पन्न परीक्षार्थी	हाईस्कूल (कक्षा 10वीं)			हायर सेकण्डरी (12वीं)		
		कुल सम्मिलित	कुल उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत	कुल सम्मिलित	कुल उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
1	2016	188728	37949	20.11	132529	44487	33.57
2	2017	93632	24973	26.67	74182	34420	46.40

1.4.4 महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल

1.4.4.1 परीक्षा परिणाम वर्ष

(कक्षा - पूर्वमध्यमा प्रथमखण्ड से उत्तरमध्यमा द्वितीयखण्ड तक)

क्र.	परीक्षा का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
1	पूर्वमध्यमा प्रथम खण्ड (9 वीं) (स्थानीय परीक्षा)	1105	1105	1470	1470	1158	1158
2	पूर्वमध्यमा द्वितीय खण्ड (10 वीं) (बोर्ड परीक्षा)	2512	150	1031	640	1540	551
3	उत्तरमध्यमा प्रथम खण्ड (11 वीं) (स्थानीय परीक्षा)	706	706	710	710	715	715
4	उत्तरमध्यमा द्वितीय खण्ड (12 वीं) (बोर्ड परीक्षा)	1900	144	678	348	725	369
	कुल	6223	2105	3889	3168	4138	2793

1.4.5 मदरसा बोर्ड

वर्ष 2017 में पंजीयन/नवीन मान्यता की संख्या	:	80
पूर्व वर्ष में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या	:	2323
कुल मदरसे	:	2403

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हाई स्कूल मौलवी, हायर सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी आलिम में सम्मिलित छात्रों की संख्या

वर्ष	हाईस्कूल	हायर सेकण्डरी
2016-2017	512	212

1.4.6 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम

पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण

स.क्र.	वर्ष	वितरित पुस्तकों की संख्या (लाख में)	पुस्तकों का मूल्य (रु. लाख में)
1.	2014-15	755.00	24257.00
2.	2015-16	708.81	24361.00
3.	2016-17	629.49	23598.64

1.4.7 भारत स्काउट एवं गाईड

1.4.7.1 सत्र 2017-2018 में आयोजित शिविर एवं उपलब्धियाँ

भारत स्काउट एवं गाईड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय भोपाल प्रस्तावित कार्ययोजना वर्ष 2017-2018 के लक्ष्य अनुसार निम्न कार्यक्रम प्रदेश/संभाग/जिले में आयोजित किये गये।

आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम एवं शिविर :-

क्रम	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य			पूर्ति		
		स्का0	गा0	योग	स्का0	गा0	योग
1	द्वितीयचरण/रजतपंख जांच	600	300	900	90	81	171
2	द्वितीय सोपान जांच	1600	800	2400	596	39	635
3	पेट्रोल लीडर शिविर	600	300	900	223	78	307
4	तृतीयचरण/रजतपंख जांच	300	150	450	43	21	64
5	तृतीय सोपान जांच	800	400	1200	337	114	451
6	राज्य पुरस्कार जांच	300	300	600	103	57	160
7	राष्ट्रपति अवार्ड वर्ष 2016	—	—	—	17	29	46
8	सेल्फ लर्निंग मॉडल्स कोर्स	—	—	—	—	—	3134
9	बेसिक स्का0मास्टर शिविर	600	—	600	426	—	426
10	बेसिक कब मास्टर शिविर	300	—	300	152	—	152
11	बेसिक रो0ली0 शिविर	100	—	100	34	—	34
12	बेसिक गा0के0 शिविर	—	300	300	—	230	230
13	बेसिक फ्ला0लीडर शिविर	—	150	150	—	116	116
14	बेसिक रेंजर लीडर शिविर	—	50	50	—	13	13
15	एडवांस स्का0मास्टर शिविर	300	—	300	38	—	38
16	एडवांस कब मास्टर शिविर	150	—	150	15	—	15
17	एडवांस रो0ली0 शिविर	50	—	50	—	—	0
18	एडवांस गा0के0 शिविर	—	150	150	—	18	18
19	एडवांस फ्ला0लीडर शिविर	—	100	100	—	—	0
20	एडवांस रेंजर लीडर शिविर	—	50	50	—	—	0
21	स्टेट एडवेंचर प्रोग्राम				50	3	53
22	वृक्षारोपण अभियान (10743) पौधे रोपे गये				2044	1106	3150
23	स्वच्छता अभियान सेवा कार्य				949	469	1418
24	पेट्रोल लीडर स्का0गा0केम्पूरी				190	100	290
25	रोवर-रेंजर समागम				107	57	164

(जानकारी दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

1.4.8 एनसीसी संचालनालय

1.4.8.1 एनसीसी की गतिविधियों का जिलेवार संचालन

क्रमांक	संभाग/ जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या		कैडेट संख्या	महाविद्यालयों की संख्या		कैडेट संख्या
		शासकीय	निजी		शासकीय	निजी	
1.	भोपाल	10	04	3225	19	17	2726
2.	सीहोर	14	06	1804	04	02	587
3.	रायसेन	12	03	1150	04	0	196
4.	राजगढ़	03	01	350	02	0	213
5.	विदिशा	23	0	2130	11	01	1067
6.	बैतुल	10	04	1437	02	0	266
7.	होशंगाबाद	20	07	2600	10	0	1439
8.	हरदा	06	01	754	01	01	95
9.	श्यापुर	0	0	0	01	0	53
10.	मुरैना	08	01	900	05	0	692
11.	भिण्ड	08	0	600	07	0	481
12.	ग्वालियर	26	08	2622	17	14	2904
13.	शिवपुरी	08	0	700	06	0	480
14.	गुना	04	0	350	01	0	160
15.	अशोक नगर	03	0	300	0	0	0
16.	दतिया	05	0	500	01	0	160
17.	देवास	03	01	350	03	0	177
18.	रतलाम	06	01	650	03	0	256
19.	शाजापुर	04	01	375	03	0	205
20.	आगर	01	0	100	0	0	0
21.	मंदसौर	07	01	720	02	0	213
22.	नीमच	03	0	230	03	0	209
23.	उज्जैन	12	03	1317	10	02	1496
24.	इंदौर	19	34	3375	19	04	2255
25.	धार	04	0	450	04	0	265

26.	अलिराजपुर	01	01	150	01	0	54
27.	झाबुआ	04	0	350	01	0	160
28.	खरगौन	05	01	400	02	01	173
29.	बड़वानी	04	01	375	01	0	53
30.	खण्डवा	10	02	850	04	0	267
31.	बुरहानपुर	12	01	850	02	0	196
32.	जबलपुर	33	10	3555	31	10	3029
33.	नरसिंहपुर	11	05	1200	04	01	378
34.	छिंदवाड़ा	17	0	1500	10	0	745
35.	सिवनी	04	0	400	01	01	107
36.	मंडला	08	01	800	03	0	213
37.	बालाघाट	09	01	850	03	0	200
38.	डिंडौरी	02	0	200	0	0	0
39.	उमरिया	02	0	150	0	0	0
40.	शहडोल	06	0	500	02	0	188
41.	अनूपपुर	04	0	350	02	0	172
42.	सागर	23	06	2425	12	06	1329
43.	दमोह	08	0	950	05	01	428
44.	पन्ना	07	02	750	01	0	107
45.	छतरपुर	10	02	1050	07	0	675
46.	टीकमगढ़	03	02	400	02	0	263
47.	कटनी	05	02	650	03	0	213
48.	रीवा	17	03	1900	07	0	946
49.	सिंगरौली	01	0	100	01	0	119
50.	सीधी	04	01	400	02	0	161
51.	सतना	11	01	1100	05	01	400
	कुल	440	118	49194	250	63	27141



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भाग – दो

2.1 बजट विहंगावलोकन

2.2 योजनावार बजटीय विवरण

भाग – दो

2.1 बजट

2.1.1 बजटीय विवरण, स्कूल शिक्षा विभाग

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय*
1628134.74	1306856.27	2028255.45	1623535.95	1910555.76	1299385.12

* (दिसम्बर 2017 स्थिति में)

2.1.2 संचालनालय, लौक शिक्षण, के अधीन संचालित योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 का बजटीय विवरण

(राशि रुपये लाख में)

2015-16		2016-17		2017-18	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय*
1167602.45	1005986.21	1561993.61	1264045.23	1482812.04	1063731.66

* (दिसम्बर 2017 स्थिति में)

2.1.3 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन सर्व शिक्षा अभियान व अन्य कार्यक्रमों के वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 तक का बजटीय विवरण

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय*
456343.02	297496.97	459831.25	355822.49	422815.73	232386.79

* (दिसम्बर 2017 स्थिति में)

2.1.4 राष्ट्रीय कैडेट कोर का 2015-16, 2016-17, 2017-18 तक का बजटीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2015-16; 2016-17 एवं 2017-18 के प्रावधान एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

2015-16		2016-17		2017-18	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
4189.27	3373.09	6430.59	3668.23	4927.99	3266.67

2.1.5 म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल का 2015-16, 2016-17, 2017-18 तक का बजटीय विवरण

(राशि रुपये लाख में)

2015-16		2016-17		2017-18	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय*
17125.92	13090.21	18734.92	14582.31	18700.06	11624.16

*

(दिसम्बर 2017 स्थिति में)

2.1.6 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद का 2015-16, 2016-17, 2017-18 तक का बजटीय विवरण

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल पंजीकृत स्वशासी संस्था है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बजट-आय व्यय का प्रावधान पंजीयन/परीक्षा शुल्क से प्राप्त आय से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

2015-16		2016-17		2017-18	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय*
884.19	474.19	3230.25	2271.17	3451.91	816.52

*(दिसम्बर 2017 स्थिति में)

2.1.7 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का 2015-16, 2016-17, 2017-18 तक का बजटीय विवरण

राज्य शासन से अनुदान —महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान को वर्ष 2017-2018 के लिये राज्य शासन से रुपये 3 करोड़ 30 लाख का अनुदान प्रदाय किया है।

आय के अन्य स्रोत—संस्थान द्वारा अन्य आय—व्यय स्वयं के वित्तीय संसाधनों से किया जाते हैं, जो सम्बद्धता शुल्क एवं परीक्षा सम्बन्धित कार्यों से प्राप्त शुल्क पर ही निर्भर है।

वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

2015-16		2016-17		2017-18	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय*
75.00	48.75	306.00	306.00	297.00	207.90

* (दिसम्बर 2017 स्थिति में)

2.1.8 म.प्र. मदरसा बोर्ड का 2015-16, 2016-17, 2017-18 तक का बजटीय विवरण

मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड को राज्य शासन द्वारा पूर्व से दिए जा रहे वार्षिक अनुदान रुपये 12 लाख में ववर्ष 2016-17 से रुपये 20 लाख की वृद्धि कर रुपये 32 लाख वार्षिक कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के प्रावधान एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

2015-16		2016-17		2017-18	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय*
53.83	9.96	75.87	43.65	41.44	33.08

* (जनवरी 2018 स्थिति में)

2.1.9 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम का 2015-16, 2016-17, 2017-18 तक का बजटीय विवरण

निगम के वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान शासक मण्डल/साधारण सभा की बैठक में पारित किये गये, जिसमें राशि रूपए 32866.69 लाख की प्राप्तियों तथा रूपए 26243.15 लाख के भुगतानों का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के वर्षांत में निगम के शासक मण्डल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

बजट 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 (प्राप्तियाँ एवं भुगतान)

(राशि रुपये लाख में)

2015-16		2016-17		2017-18	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय*
33004.77	32917.61	32866.69	26243.15	30179.11	30119.22*

*(प्रावधिक)

2.1.10 भारत स्काउट एवं गाईड का 2015-16, 2016-17, 2017-18 तक का बजटीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के प्रावधान एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

2015-16		2016-17		2017-18	
प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
130.00	130.00	174.00	174.00	148.00	148.00

2.2 योजनावार बजटीय विवरण

2.2.1 संचालनालय, लोक शिक्षण के अधीन संचालित योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 का बजट एवं व्यय

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
			बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय*
1	1500	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना	6564.32	5252.51	6879.31	5707.18	7212.19	4792.41
2	3930	विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	6282.87	5062.77	6672.37	5325.87	6878.83	4554.80
3	3491	माध्यमिक शालायें वेतन भत्ते एवं सहायक अनुदान	181282.96	149775.68	194414.08	154159.43	186325.18	128552.38
4	4396	सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	268584.34	212053.48	270298.47	217699.85	270511.93	184328.26
5	6344/649 1/7515	मदरसा बोर्ड को अनुदान- क्षेत्र गहन कार्यक्रम	2610.80	2090.65	4015.21	1194.69	2745.00	1188.45
6	9948	प्राथमिक शालायें	18900.00	13912.24	18900.00	12666.96	11700.00	10659.66
7	9949	माध्यमिक शालाओं को सहायक अनुदान	10350.00	5680.59	10350.00	6110.64	6300.00	4802.05
8	6663	संयुक्त संचालक विधि एवं खेल प्रकोष्ठ कार्यालय	239.28	189.68	261.94	213.18	284.40	190.22
9	9230	संयुक्त संचालक कार्यालयों की स्थापना	1409.97	1162.73	1598.14	1270.93	1703.60	1100.84
10	0581	उच्चतर माध्यमिक शालाएं	112604.38	94160.50	123567.62	96045.34	122075.05	82062.16

11	4193	शास.विद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यावसायिकरण	8600.62	6525.31	8730.18	6148.03	7769.60	5311.98
12	4980	जिला उत्कृष्ट विद्यालयों को प्रबंधन हेतु सहायता	516.20	312.16	400.00	272.89	370.00	170.76
13	5732	सैनिक स्कूल रीवा को अनुदान	244.50	216.50	465.00	36.00	441.00	36.00
14	4321	संस्कृत शालाएं	153.90	138.17	150.00	133.58	135.00	123.66
15	3858	लोक शिक्षण संचालनालय	2334.25	1787.86	2570.08	1931.76	2519.35	1750.07
16	5133	अन्य छात्रवृत्तियां	1979.20	1944.23	2029.20	977.18	2598.50	183.35
17	7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
18	1516	जीवाजी वैधशाला-उज्जैन	60.41	40.51	71.69	51.02	69.70	45.31
19	2446	नेशनल फाउन्डेशन फॉर टीचर्स वेल्फेयर फंड के लिये	27.00	27.00	27.00	27.00	30.00	0.00
20	1797	टी.टी.महाविद्यालय, शिवपुरी तथा खेलकूद निरीक्षण	154.59	116.07	194.60	113.31	146.60	105.54
21	3782	आवासीय खेलकूद स्कूल	41.88	24.80	86.46	65.19	76.37	19.97
22	4598	स्काउट एसोसियेशन को अनुदान	117.00	115.50	190.00	174.10	148.00	133.20
23	1084	खेल कूद तथा गतिविधियों पर व्यय	380.00	170.59	1000.00	933.08	540.00	213.80
24	0222	अन्य विशेष विद्यालय	448.87	360.04	535.54	349.00	436.21	279.43
25	6090	गायन विद्यालयों को अनुदान	127.93	83.69	180.00	114.06	90.00	60.34
26	4395	सरकारी पुस्तकालय	758.05	600.76	900.83	625.11	824.30	546.46

27	4514	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	6.30	1.39	6.30	2.08	3.60	0.93
28	4031	विभागीय परीक्षा परिषद	6.30	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
29	8403	अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिये अनुदान	374500.56	374500.24	704048.40	585455.08	630000.00	507549.47
30	2669	संविदा शिक्षकों का मानदेय	42300.00	42299.16	76700.00	65179.21	18000.00	6793.76
31	2076		0.00	0.00	1800.00	1800.00	3000.02	0.00
32	2078	हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	0.00	0.00	0.00	0.00	2657.74	0.00
33	2079	स्कूल भवनों के रिट्रोफिटिंग हेतु	0.00	0.00	840.00	0.00	920.00	0.00
34	2414/22 67	निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें (बुक बैंक)	8000.00	7810.24	7200.00	6781.00	7920.00	5306.50
35	6813	साईकिलों का प्रदाय	11911.27	10234.34	13250.00	13236.90	13665.00	423.35
36	6005	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	52788.30	50921.92	60338.00	59323.48	70279.30	64635.00
37	6007	माडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	20000.00	0.00	8818.57	1690.41	8622.59	2158.67
38	1265	प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये लैपटाप का प्रदाय	2000.02	0.57	4879.00	4875.44	5000.00	5000.00
39	6970	हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवनों का निर्माण	2584.00	2584.00	6608.65	2449.39	21400.00	21400.00
40	8707	छात्रावास भवनों का निर्माण	250.01	250.00	500.00	324.13	500.00	500.00
41	5276/69 67/6968	पंचायतों को अनुदान	9935.92	9482.78	5180.87	584.23	4675.00	593.70

42	7515	मदरसा बोर्ड को अनुदान	5.00	0.00	5.00	2.50	10.80	7.56
43	1235	रिपेयर, मेंटीनेस एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन ऑफ मदरसा	500.00	4.25	382.50	362.30	405.00	100.25
44	1498	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गण अपूर्ण कार्यों से संबंधित व्यय	0.00	0.00	2960.00	960.00	0.001	0.00
45	2075	अतिरिक्त संकाय	0.00	0.00	9.00	0.00	5.00	0.00
46	2077	आवासीय खेलकूद सीहोर एवं शा. सारीरिक शिक्षा विद्यालय शिवपुरी के रिनोवेशन हेतु	0.00	0.00	470.00	189.00	500.00	500.00
47	2080	कक्षा 9 से 12 हेतु छात्रावास/अधोसंरचना सी.डब्ल्यू.एस.एन. हेतु	0.00	0.00	800.00	48.00	400.01	400.00
48	5541	शैक्षिक अभ्युत्थान	350.00	143.77	382.50	200.24	118.50	36.76
49	5542	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का सुदृढीकरण	716.00	636.58	722.82	367.35	605.00	550.00
50	5545	महर्षि पातंजलि संस्कृत संस्थान	75.00	48.75	306.00	306.00	297.00	207.90
51	7479	बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	503.89
52	8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	1000.00	0.00	365.00	0.00	810.00	1.25
53	5539	ग्रंथालयों का सुदृढीकरण	355.70	75.22	765.00	688.37	450.00	124.46
54	6493	व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण	300.00	300.00	306.00	306.00	270.00	189.00

55	6968/57 04	उन्नयन विद्यालय-वेतन भत्ते एवं कार्यालयीन व्यय	8994.73	1487.82	4860.56	2988.47	2656.77	1840.86
56	6012	शिक्षक प्रोत्साहन योजना	8.00	0.00	9.00	2.32	9.00	2.67
57	6015	वि.खंड स्तर पर उत्क. विद्या0 को अनु.	600.00	424.74	765.00	531.11	630.00	334.00
58	6017	कृषि विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण	45.00	24.01	28.53	18.29	19.80	0.00
59	6019	वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	1150.00	1003.45	765.00	661.43	720.00	359.85
60	7127	बेटी बचाओ योजना	50.00	43.96	70.16	70.16	80.00	6.72
61	7128	संयु.संचा./जि.शि.अधि. कार्यालयीन भवन निर्माण	896.00	896.00	1300.00	450.00	1000.00	1000.00
62	7479	शालाओं में बाउण्ड्रीबाल का निर्माण	2500.00	9.00	1564.00	1415.16	योजना 6970 में समाहित की गई है।	
63	7592	शालाओं में शौचालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार	1000.00	1000.00	500.00	431.82	483.48	36.96
64	0701	अतिथि शिक्षकों का मानदेय	0.00	0.00	0.00	0.00	44355.70	7957.05
65	0731	बालिका छात्रावास की स्थापना एवं संचालन सुरक्षा व्यवस्था तथा मैस	0.00	0.00	0.00	0.00	4434.40	0.00
66	0732	राष्ट्रीय अकादमी एवं मुख्य सैन्य सेवायें	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
67	0816	उत्कृष्ट विद्यालय तथा मॉडल स्कूल में छात्रावास निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	5209.50	4000.00
योग			1167602.45	1005986.21	1561993.61	1264045.23	1482812.04	1063731.66

*(दिसंबर 2017 की स्थिति में)

2.2.2 राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन सर्व शिक्षा अभियान व अन्य कार्यक्रमों के वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 दिसंबर तक का बजट एवं व्यय

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
		बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय*
अ-केन्द्र प्रवर्तित योजनायें							
1	सर्व शिक्षा अभियान (राजस्व) (केन्द्र प्रवर्तित) (6040) (8810)	304304.44	189267.90	333700.00	274325.00	278000.00	193458.18
2	सर्व शिक्षा अभियान (पूँजीगत) (6040) (8810)	46628.34	25377.67	45400.00	30371.15	62000.00	21264.56
3	कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय (6040) (6809)	10500.00	4718.50	10260.00	6700.00	9200.00	3726.00
4	साक्षर भारत (केन्द्र प्रवर्तित) (6040) (6011)	6000.00	4187.21	6240.00	6240.00	6300.00	1329.18
	योग (अ)	367432.78	223551.28	395600.00	317636.15	355500.00	219777.92
ब-राज्य बजट से संचालित कार्यक्रम / योजनाएँ							
1	निःशुल्क गणवेश (6716)	10718.54	10718.54	6750.00	6750.00	6500.00	2500.00
2	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सामग्री का प्रदाय (2267)	836.19	836.19	938.106	938.106	1100.00	951.00
3	छात्राओं को निःशुल्क साईकिल का प्रदाय (6813)	10450	9450.00	8055.00	8055.00	8900	0
4	सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना (5776)	5100	439.5	2250.01	0	0.001	0
5	निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां (5627)	1100	1100	594	594	701.5	0

6	आरटीई के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (6484)	24240	17816.8	19800	8000	21400	0
7	छात्रावास भवन निर्माण (8799)	1500	1500	1500	0	4000.00	0
8	विद्यालय भवन निर्माण (7728)	800	800	0.01	0	0.01	0
9	शिक्षक योग्यता (वन स्टेप अप) (7472)	30.00	30.00	27.00	0	0.01	0
10	100 सीटर बालक छात्रावास भवन	0	0	900.00	0	0	0
11	कक्षा 6-8 तक के छात्रों हेतु छात्रावास सहित उत्कृष्ट विद्यालय (7618)	400.00	400.00	180.00	0.00	0.01	0
12	प्रतिभाशाली एवं प्रखर बुद्धि वाले विशिष्ट छात्रों के विकास के लिये संस्थान की स्थापना (2069)	0.0000	0.0000	0.01	0.00	0.01	0
13	वर्तमान शालाओं को अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में उन्नयन (1233)	300	300	270	0	0.01	0
14	प्राथमिक स्तर पर मानिट्रिंग हेतु निधि (7478)	800	800	900	900	800	500
15	शालाओं में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण (7479)	1200	1200	1500	1250	1100	0
16	एकेडेशन ऑफ स्कूल (7485)	400	400	630	200	250	225
17	ई-गवर्नेन्स (6735)	0.01	0	0.01	0	330	0
18	शालाओं में शौचालय निर्माण/जीर्णोद्धार (7592)	18010	18000	1000	0	1000	0
19	शालाओं में अकादमिक मूल्यांकन (7616)	0	0	900	500	50	45
20	राजाराम मोहन राय लायब्रेरी (2071)	0	0	45	0	0.01	0
21	छात्रावास में चौकीदार कक्ष का निर्माण (7733)	0	0	500	500	550	0
22	इन्टरवेंशन फार चिल्डरन विथ स्पेशल नीड्स (7734)	500	500	0.01	0	0.01	0

23	सोलर लाईट (2066)	0	0	900	500	900	0
24	ड्रिंकिंग वाटर (2067)	0	0	1350	0	1350	0
25	इलेक्ट्रिक फिकेशन ऑफ स्कूल (2068)	0	0	1800	1033	2000	810
26	स्काउट एवं गाईड की गतिविधियाँ नवीन 2017-18 (0729)	0	0	0	0	133	0
27	माध्यमिक शालाओं में फर्निचर नवीन 2017-18 (0730)	0	0	0	0	3000	0
28	शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसंधान एवं मूल्यांकन 2017-18 (0739)	0	0	0	0	50	0
योग (ब)		76384.74	64291.03	50789.166	29236.106	54165.621	5031.00

*(दिसंबर 2017 की स्थिति में)

स - म0प्र0 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय*
1	1502 - डाइट्स	7912.15	6811.91	8378.70	5859.57	8340.05	4703.48
2	5788 - पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान - जबलपुर	92.21	73.08	108.19	81.17	106.02	76.31
3	3668 - राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान - जबलपुर	223.36	191.36	261.79	230.96	292.93	224.87
4	3694 - राज्य शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ़ शिक्षा भोपाल	1390.87	960.10	1674.04	1034.85	1482.25	911.29
5	67 - आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान - भोपाल	213.28	73.74	189.67	85.23	118.45	85.87
6	4402 - सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	2076.63	1477.22	2239.44	1364.13	2203.48	1276.27
7	5481 - वृहद निर्माण कार्य	94.49	66.45	300.00	278.27	300.00	299.78
8	7617 - पीएसएम परिसर, जबलपुर	500.01	0.00	270.00	0.00	300.00	0.00
9	7471 - शाला भवन एवं छात्रावास संधारण पर व्यय	22.50	0.80	20.25	16.05	6.93	0.00

	योग	12525.50	9654.66	13442.08	8950.23	13150.11	7577.87
	महायोग (अ+ब+स)	456343.02	297496.97	459831.25	355822.49	422815.73	232386.79

(दिसंबर 2017 की स्थिति में)

2.2.3 राष्ट्रीय कैडेट कोर का 2015-16, 2016-17, 2017-18 तक का बजटीय विवरण

(राशि रुपये लाख में)

स्कीम कोड	स्कीम	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय (31 जनवरी 18)
3755	वरिष्ठ संभाग	2388.47	2011.54	3517.07	2442.69	3361.62	2330.47
3754	कनिष्ठ संभाग	1796.70	1358.18	1909.02	1222.06	1351.79	933.07
8808	आई.टी.	4.10	3.37	4.50	3.48	4.50	3.13
2081	राष्ट्रीय कैडेट कोर के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु	—	00	1000.00	00	210.08	00
	योग	4189.27	3373.09	6430.59	3668.23	4927.99	3266.67

2.2.4 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

बजट एवं व्यय

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	बजट	व्यय
2010-11	38480.00	30781.00
2011-12	40810.00	34701.00
2012-13	68113.00	57173.00
2013-14	81190.00	56528.00
2014-15	43793.00	40580.00
2015-16	53841.00	48756.00
2016-17	62178.00	60532.00
2017-18	64636.00	54023.00*

*(दिसंबर 2017 की स्थिति में)

2.2.5 माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश

व्यय अनुमान

(व्यय का विवरण अधिनियम धारा 12)

(राशि रु. लाख में)

व्यय के शीर्ष		वास्तविक लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान*
		2015-2016स	2016-2017	2016-2017	2017-2018
अ	राजस्व				
ए-	मुख्यालय/प्रशासन	3840.48	6905.00	6905.00	7045.00
बी-	संभागीय कार्यालय	682.49	938.71	938.71	1015.79
सी-	आदर्श विद्यालय	1129.61	1348.21	1347.41	1537.27
डी-	परीक्षा	6006.35	7166.00	7136.00	7080.00
ई-	शैक्षणिक कार्य (अकादमी व्यय)	1340.67	1740.00	740.00	1335.00
योग-राजस्व व्यय		12999.60	18097.92	17067.12	18013.06
ब	पूंजीगत लेखा				
एफ-	भवन निर्माण	0.00	300.00	300.00	350.00
जी-	मुद्रणालय	0.00	15.00	15.00	15.00
एच-	वाहन	0.00	20.00	20.00	20.00
आई-	फर्नीचर एवं अन्य कार्यालयीन उपकरण	12.25	150.00	100.00	150.00
योग-पूंजीगत व्यय		12.25	485.00	435.00	535.00
स जमाधन/अग्रिम धन लेखा		78.36	152.00	144.94	152.00
बृहद योग		13090.21	18734.92	17647.06	18700.06



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भाग – तीन

- 1 राज्य योजनाएं
- 2 केन्द्र प्रवर्तित योजना
- 3 अन्य योजनाएं

भाग – तीन

3.1 राज्य योजनाएं

3.1.1 लोक शिक्षण संचालनालय के तहत प्रमुख राज्य योजनाएँ

3.1.1.1 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में (हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा 09 वीं से 12वीं तक) अध्ययनरत समस्त वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत समस्त वर्ग के शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं।

राज्य एवं केन्द्र के पाठ्यक्रम में एकरूपता हो, इस हेतु राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 23.11.2016 द्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों को राज्य में अभिगृहीत किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार प्रदेश में शिक्षा सत्र 2017-18 से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को गणित एवं विज्ञान व कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पाठ्य पुस्तकें अभिगृहीत कर निःशुल्क उपलब्ध करायी गई है। शिक्षा सत्र 2018-19 में कक्षा 10वीं में गणित एवं विज्ञान तथा कक्षा 12वीं में गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पाठ्य पुस्तकें (एन.सी.ई.आर.टी.) अभिगृहीत कर निःशुल्क वितरण योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जायेंगी।

विगत तीन शैक्षणिक सत्रों में लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

संख्या निम्नानुसार है:-

स.क्र	शैक्षणिक सत्र	लाभान्वित छात्र/ छात्राओं की संख्या
1	2014-15	2304922
2	2015-16	2272911
3	2016-17	2301487

3.1.1.2 सुपर 100 योजना

इस योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय स्कूलों के प्रत्येक जिले के कक्षा 10 वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को संबंधित जिले की प्रावीण्य सूची/सर्वोच्च अंक के आधार पर गणित/जीवविज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के 02-02 छात्र/छात्राओं को चयनित किया जाता है। कक्षा 11 वीं में अध्ययन के साथ-साथ देश के प्रख्यात व्यावसायिक संस्थाओं तथा आई. आई. टी./मेडिकल/सी.पी.टी. आदि पाठ्यक्रमों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश हेतु आवश्यक कौचिंग प्रदाय कराये जाने के लिए "सुपर 100" योजना संचालित है। यह योजना भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.वि. शिवाजी नगर भोपाल एवं इंदौर के शासकीय मल्हाराश्रम उ.मा.वि. में संचालित है।

शासकीय मल्हाराश्रम उ.मा.वि. इन्दौर में कक्षा 11 वीं में वाणिज्य संकाय में 89, कक्षा 12 वीं में गणित संकाय में 85, जीवविज्ञान संकाय में 77 एवं वाणिज्य संकाय में 68 प्रविष्ट होकर अध्ययन के साथ-साथ, देश के प्रख्यात व्यावसायिक संस्थाओं आई.आई.टी./मेडीकल आदि पाठ्यक्रमों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण (कौचिंग) प्राप्त कर रहे हैं।

शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.वि. भोपाल में वर्ष 2017-2018 में प्रदेश के जिले से चयनित छात्र-छात्राओं को कक्षा 11 वीं में गणित संकाय में 98 एवं जीवविज्ञान संकाय में 93 प्रवेशित होकर अध्ययन एवं प्रशिक्षण (कोचिंग) प्राप्त कर रहे हैं। अब कानून बना है शिक्षा का अधिकार,

स्थानीय निकाय, शिक्षक, पालक, सब हैं जिम्मेदार।

स्कूल चलें हम अभियान

वर्ष 2016-17 में इंजीनियरिंग कालेज/NIT में 5 छात्र, मेडिकल कालेज में 1 छात्र, सी.ए. हेतु 28 छात्र, इस प्रकार कुल 34 छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया।

3.1.1.3 मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

वर्ष 2009-10 से छात्र प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। शासकीय एवं अशासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा 12 वीं की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय हेतु रुपये 25,000/-प्रति छात्र के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है। यह प्रोत्साहन राशि वर्ष 2009-10 से सतत् प्रदाय की जा रही है।

वर्ष 2016-17 की माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा में शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 18,578 विद्यार्थियों (सामान्य वर्ग के 85 प्रतिशत एवं अनु. जाति एवं अनु. जन जाति एवं विमुक्त एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किये जाने पर) को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2016-17 से व्यावसायिक शिक्षा से उत्तीर्ण छात्रों को भी उपरोक्तानुसार लाभ प्रदाय किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में योजनान्तर्गत लाभान्वित छात्रों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र	शैक्षणिक सत्र	लाभान्वित छात्र/ छात्राओं की संख्या
1	2014-15	10473
2	2015-16	17896
3	2016-17	18578



3.1.1.4 निःशुल्क साईकिल वितरण योजना

निःशुल्क साईकिल प्रदाय योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में 9 वीं में अध्ययनरत हैं, तथा वह जिस ग्राम का निवासी है उस ग्राम में शासकीय हाई स्कूल संचालित नहीं है तथा वह अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम/शहर के शासकीय स्कूल में जाते हैं, उसे निःशुल्क साईकिल वितरण योजना अंतर्गत लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ छात्र को 9 वीं प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा अर्थात् 9 वीं पुनः प्रवेश लेने पर उसे साईकिल की पात्रता नहीं होगी। कक्षा 9 वीं के विद्यार्थी को 20 इंच की साईकिल प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 के पूर्व पात्र बच्चों को साईकिल के लिये रुपये 2400/- के मान से राशि प्रदान की जाती थी। वर्ष 2016-17 से साईकिल प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2016-17 में समग्र शिक्षा पोर्टल अनुसार कक्षा 9वीं के पात्र 4.16 लाख बालक/बालिकाओं को साईकिल वितरित की गई। वर्ष 2017-18 से ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा उसी ग्राम के ऐसे मजरे-टोले में निवासरत हैं, जो उस माध्यमिक/हाईस्कूल से 2 किमी. की अधिक दूरी पर हैं, एवं ग्रामीण अंचलों में स्थित कन्या छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी जिनकी माध्यमिक/हाईस्कूल शाला 2 कि.मी. या उससे अधिक दूरी पर स्थित है, को सम्मिलित किया गया है। योजना के तहत कक्षा 9वीं के लगभग 5.00 लाख छात्र-छात्राये लाभान्वित होंगे। विगत तीन शैक्षणिक सत्रों में सत्रवार लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

स.क्र	शैक्षणिक सत्र	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
1	2014-15	491951
2	2015-16	426292
3	2016-17	416746

3.1.1.5 शिक्षक प्रोत्साहन योजना

शासकीय विद्यालयों में शिक्षक द्वारा बेहतर अध्यापन व्यवस्था एवं परीक्षा परिणाम देने पर शिक्षक को प्रोत्साहन राशि प्रदाय कर शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया जाना इस योजना का मूल उद्देश्य है। योजना के मापदण्ड निम्नानुसार है:-

- (अ) शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय की कक्षा 9 से 12 वीं तक की प्रत्येक कक्षा में कम से कम 20 विद्यार्थी अध्ययनरत होकर परीक्षा में शामिल होना आवश्यक होगा।
- (ब) सामान्य शासकीय हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 वीं का परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या उससे अधिक तथा कक्षा 10 वीं में 80 प्रतिशत या अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 9वीं का परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या उससे अधिक तथा कक्षा 10 वीं में 90 प्रतिशत या अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर सभी शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि रुपये 8000/- दिये जाने का प्रावधान है।
- (स) सामान्य शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कक्षा 11 वीं का परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत या उससे अधिक एवं कक्षा 12 वीं में 80 प्रतिशत या अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11 वीं का परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत या उससे अधिक तथा कक्षा 12 वीं में 90 प्रतिशत या अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि रुपये 10,000/- दिये जाने का प्रावधान है।

शिक्षा सत्र 2016-17 में हाईस्कूल स्तर के 111 शिक्षक तथा हायर सेकेण्डरी स्तर के 123 शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि दिया जाना प्रस्तावित है। गत दो वर्षों में निम्नानुसार शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है:-

स.क्र	शैक्षणिक सत्र	लाभान्वित शिक्षकों की संख्या
1	2014-15	90
2	2015-16	33

3.1.1.6 मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन

मॉडल स्कूलों की स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई है। इन स्कूलों को बेंचमाक्र के रूप में विकसित किये जाने की योजना थी। इसके अंतर्गत प्रदेश में शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी 201 विकासखंडों में मॉडल स्कूल संचालित हैं। 2014-15 तक योजना में 75 : 25 का केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुपात था। वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग बंद किये जाने के कारण केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन के संबंध में दिनांक 12.06.2015 को मॉडल स्कूलों का संचालन राज्य स्तर पर किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार मॉडल स्कूल योजना राज्य शासन की नई योजना के रूप में संचालित हो रही है। ये मॉडल स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं। वर्ष 2016-17 से प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 100 सीट निर्धारित की गई हैं। कक्षा 9वीं में प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इन स्कूलों में वर्तमान में कक्षा 9 से 12वीं तक कक्षाएँ संचालित हैं, जिसमें वर्ष 2015-16 में 42556, वर्ष 2016-17 में 43647 एवं वर्ष 2017-18 में 41237 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

वर्तमान में 201 मॉडल स्कूलों में से 196 स्थानों पर स्वयं के मॉडल स्कूल भवन निर्मित हो चुके हैं। शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.1.1.7 उत्कृष्ट स्कूलों की स्थापना एवं संचालन

शासकीय स्कूलों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय पर स्थापित एक शासकीय उ.मा.विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में 41 जिला मुख्यालयों पर जिला स्तरीय एवं 194 विकास खण्ड मुख्यालयों पर विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। वर्तमान में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में 39037 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है, जबकि विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में 1,82,360 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2016-17 में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं का परीक्षा परिणाम क्रमशः 88.36 प्रतिशत एवं 90.53 प्रतिशत रहा है।

3.1.1.8 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल छात्रावास योजना

प्रदेश के उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूलों में प्रवेश पात्रता परीक्षा के आधार पर किया जाता है जिसके फलस्वरूप अन्य ग्रामों, विकासखण्ड अथवा जिलों से चयनित विद्यार्थी इन विद्यालयों में प्रवेश तो लेना चाहते हैं किन्तु आर्थिक विषमताओं के कारण जिला अथवा विकासखण्ड स्तर पर स्वयं की व्यवस्था से किराये आदि पर नहीं रह सकते। इस कठिनाई के दृष्टिगत प्रदेश के 224 जिला एवं ब्लॉक स्तरीय उत्कृष्ट एवं 201 मॉडल स्कूलों के लिए छात्रावास योजना स्वीकृत की गई है। प्रथम चरण में 41 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में तीन वर्षों में 100-100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास निर्मित एवं संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त छात्रावासों में इन विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन एवं आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी

3.1.1.9 बालिका छात्रावास

अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की तुलनात्मकरूप से कम नामांकन दर के दृष्टिगत उक्त बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर उनके लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने की आवश्यकता के दृष्टिगत आदिवासी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में साक्षरता दर एवं जनसंख्या के आधार पर प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए 6 स्थानों पर 200 सीटर नवीन बालिका छात्रावास क्रमशः झाबुआ, खण्डवा (हरसूद), शहडोल, छतरपुर, उज्जैन, छिंदवाडा में स्थापित किए जाने प्रस्तावित है।

3.1.1.10 हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी विद्यालय निर्माण

वर्ष 2016-17 तक रु. 16169.28 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के कुल 136 कार्य स्वीकृत थे। इनमें से 119 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष 17 प्रगतिरत हैं। वर्तमान में प्रदेश में 724 हायर सेकण्डरी एवं 846 हाईस्कूल भवन विहीन हैं। इनमें से रु. 657 करोड की लागत से वर्ष 2017-18 में 573 हायर सेकण्डरी एवं 125 हाईस्कूलों का भवन निर्माण करने की स्वीकृति जारी की जा रही है। इन भवनों को 3 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

3.1.1.11 हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी विद्यालय विद्युतीकरण

प्रदेश में 1736 हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी विद्यालय विद्युतहीन हैं, इस हेतु म.प्र. विद्युत मंडल को राशि प्रदान की गई है। 1169 विद्यालयों में विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है। शेष 567 में कार्यवाही जारी है।

3.1.1.12 दिव्यांग छात्रावास की स्थापना एवं संचालन

प्रदेश में सभी संभागों में कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र/छात्राओं हेतु दिव्यांग छात्रावास की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ये छात्रावास भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, शहडोल, होशंगाबाद एवं जबलपुर पर निर्मित किये जायेंगे। वर्तमान में कक्षा 9वीं से 12वीं के 162 विद्यार्थी सर्वशिक्षा अभियान में संचालित दिव्यांग छात्रावासों में निवासरत हैं।

3.1.1.13 सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन

सैनिक स्कूल की स्थापना वर्ष 1962 में प्रदेश के छात्रों को सैना के लिए तैयार करने के लिए की गई थी। सैनिक स्कूल रीवा में वर्तमान में 542 छात्र अध्ययनरत हैं जिसमें प्रदेश के छात्रों को एनडीए के लिए छात्रों को तैयार किया जाता है। सैनिक स्कूल रीवा के संचालन हेतु कर्नल रैंक के अधिकारी को प्राचार्य का दर्जा दिया जाता है। शेष शैक्षणिक एवं अन्य कर्मचारी स्थानीय समिति के द्वारा चयनित किये जाते हैं।

3.1.1.14 समेकित छात्रवृत्ति योजना (समग्र शिक्षा पोर्टल)

मध्यप्रदेश विधानसभा के संकल्प क्र. 37 में लिए गए निर्णय अनुसार 8 विभागों की 30 प्रकार की छात्रवृत्ति समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वितरित कराने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को नोडल विभाग नामांकित किया गया। इसके तहत प्रदेश की समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत 1.48 करोड विद्यार्थियों प्रोफाइल ऑनलाइन लिया जाकर उसके आधार पर छात्रवृत्ति की गणना कर वितरित कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होकर सम्पूर्ण देश में अपने तरह का पहला प्रयास था।

इसके तहत प्रत्येक स्कूली विद्यार्थी का समग्र यूनिक ID के आधार पर उसके स्कूल के DISE Code के साथ मैपिंग कर, कक्षा वार, स्कूल वार नामांकन ऑनलाइन लिए जाने का सिस्टम "समग्र शिक्षा पोर्टल" NIC के माध्यम से तैयार कराया गया। प्रत्येक छात्र का प्रोफाइल यथा (जाति, माता पिता का व्यवसाय, परिवार की वार्षिक आय, BPL

स्टेटस, छात्रावासी स्टेटस, गत वर्ष का परीक्षा परिणाम आदि जानकारीयों जो कि छात्रवृत्ति की गणना करने के लिए आवश्यक होते हैं) ऑनलाइन लिया गया। जिसके आधार पर सिस्टम द्वारा छात्रवृत्ति की गणना की जाकर स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।

मिशन वन किलक 2017-18

भारत सरकार द्वारा हितग्राही मूलक जन कल्याणकारी योजनाओं को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रॉसफर (D.B.T.) के माध्यम से प्रभावशाली किए जाने की अपेक्षा की गई है।

वर्ष 2017-18 में लगभग 79 लाख विद्यार्थियों को रु. 520 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। दिनांक 03.01.2018 को मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा वन-किलक के माध्यम से वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति वितरण प्रारंभ किया गया। प्रथम चरण में 50 लाख विद्यार्थियों को लगभग रु. 344 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में किया गया।



क्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
			प्राप्त आवंटन	व्यय	प्राप्त आवंटन	व्यय	प्राप्त आवंटन	व्यय
1	आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र	सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8 तक)	1100.00	659.97	594.00	474.70	631.35	372.46
2	आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र.	सामान्य निर्धन वर्ग एवं अन्य छात्रवृत्ति	1979.20	1944.23	1879.20	852.51	2458.50	1026.11
3		ईकलौती बेटों को "शिक्षा" विकास छात्रवृत्ति	50.00	43.96	70.16	70.16	80.00	18.87
4	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग म.प्र.	राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के लिए)	1950.00	1762.31	901.16	885.88	1750.00	869.79
5		राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10	5600.00	4946.24	4360.54	3754.29	5250.00	3778.11
6		प्री मेट्रिक अ. जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10)	13500.00	9449.45	7710.00	7710.00	7700.00	7699.15
7		पोस्ट मेट्रिक अ.जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)	5650.10	4875.02	4500.00	4500.00	11500.00	5095.33
8		सफाई एवं जोखिमपूर्ण कार्य छात्रवृत्ति (अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति) (कक्षा 01 से 10 तक)	960.00	719.08	303.14	289.33	640.00	240.91
9		अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (कक्षा 11 वी)	1500.00	1263.29	1200.00	1200.00	1300.00	1297.99

10	आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म.प्र.	राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 (अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त बालिकाएं एवं केवल विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया, सहारिया) के बालकों के लिए	3066.70	2470.85	2620.35	1553.17	3019.98	1923.15
11		राज्य शासन अनु.जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10 तक)	13234.20	7369.77	13246.44	4634.76	21800.00	4932.18
12	आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म.प्र.	प्री मैट्रिक अ. ज.जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10)	11480.73	8219.30	3690.00	3689.99	2000.00	2000.00
13		पोस्ट मैट्रिक अनु.जनजाति छात्रवृत्ति	4000.00	3300.72	4602.21	4601.69	3000.00	2998.53
14		अ.ज.जा. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि (कक्षा 11वीं)	1475.03	1150.94	1537.89	1344.58	989.94	587.42
15	संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़	राज्य छात्रवृत्ति प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)	100.00	81.61	99.00	49.22	49.50	49.32
16	जनजाति विकास विभाग म.प्र।	राज्य छात्रवृत्ति माध्यमिक स्तर (कक्षा 06 से 10 तक)	127.00	76.20	125.73	71.06	105.16	79.43
17		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	55.00	30.00	45.00	45.00	40.00	40.00

18		कन्या साक्षरता प्रोत्साहन कक्षा 11 वी	36.00	12.67	35.82	8.91	6.75	6.75
19	आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक	राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10 तक)	2436.00	2435.59	2700.00	2389.88	2700.00	1212.23
20		पोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 11वीं व 12वीं तक)	12500.00	11806.93	12343.26	11186.87	13400.00	5757.82
21	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय म.प्र.।	निःशक्त जन छात्रवृत्ति	550.00	338.99	504.00	436.47	525.90	316.64
महायोग:-			81349.96	62957.13	63067.89	49748.45	78947.08	40302.20

3.1.1.15 आवासीय खेलकूद संचालन

विभाग द्वारा जिला शिवपुरी में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं जिला सीहोर में शासकीय आवासीय विद्यालय संचालित है। उक्त संस्थाएँ निम्नानुसार संचालित हैं :-

- (1) शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय (शिवपुरी) में शिक्षा विभाग के शिक्षक/अध्यापक/पी.टी.आई. संवर्ग को लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के उपरांत चयनित किया जाता है। शिवपुरी में बी.पी.एड. (बेचलर ऑफ फिजिकल एज्युकेशन) दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित होता है। कुल 55 सीट निर्धारित है जिसमें 28 सीटे विभागीय एवं 27 सीटे विभागेत्तर अभ्यर्थियों के लिए प्रावधानित है।
- (2) शासकीय आवासीय विद्यालय सीहोर में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए कुल 200 सीट निर्धारित है। विज्ञापन प्रकाशित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्रों को चयन किया जाता है। छात्र विद्यालय में 04 वर्ष अध्ययनरत रहकर अपनी रुचि अनुसार खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। शासकीय आवासीय विद्यालय, सीहोर में अध्ययनरत छात्रों की विगत तीन वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	वर्ष	सीटों की संख्या	छात्रों की संख्या
1	2015-16	200	145
2	2016-17	200	179
3	2017-18	200	115

3.1.1.16 खेलकूद

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन

मध्यप्रदेश में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता एशियन स्कूल हॉकी चैम्पियनशिप का सफलतापूर्वक आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 03 से 11 अप्रैल, 2017 तक भोपाल में किया गया, जिसमें 08 देशों श्रीलंका, यू.ए.ई., चीन, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एवं मेजबान भारत ने सहभागिता की। प्रतियोगिता में भारत विजेता रहा।



स्कूल ओलम्पियाड

ग्रामीण अंचल में छुपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने एवं खेल गतिविधियों में छात्र-छात्राओं की अधिक से अधिक सहभागिता कराए जाने हेतु प्रथम बार "स्कूल ओलम्पियाड" का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण स्तर पर मुख्य रूप से खेले जाने वाले खेल जैसे खो-खो, कबड्डी, रस्सीकूद, शतरंज, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, तैराकी एवं बॉक्सिंग की संकुल स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।



राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं

वर्ष 2017-18 हेतु जारी राज्य स्तरीय खेल कैलेण्डर अनुसार मध्यप्रदेश में कुल 58 खेलों की 14, 17 एवं 19 आयुवर्ग में प्रतियोगिताएं विभिन्न जिलों में आयोजित की गईं।

राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु जारी खेल कैलेण्डर अनुसार 57 खेलों की विभिन्न आयुवर्ग (14, 17 एवं 19 बालक/बालिका) में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश शालेय दल ने सहभागिता की।

वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं की पदक तालिका निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	पदक तालिका में स्थान
2013-14	43	45	74	आठवा
2014-15	48	48	106	आठवा
2015-16	45	59	77	नवा
2016-17	78	71	114	चौथा
2017-18	102	93	120	तीसरा

(23.01.2018 की स्थिति में)

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु जारी खेल कैलेंडर अनुसार मध्यप्रदेश में लगोरी, कराते, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हूपक्वांडो, स्काय मार्शल आर्ट, कूडो, जूडो, खो-खो, सॉफ्ट टेनिस, कंबड्डी, रोलबॉल एवं टेनिस बॉल क्रिकेट की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन भोपाल, रीवा, इंदौर, सागर, रीवा, उमरिया, नीमच, देवास एवं खंडवा में किया गया।

शालेय खेल प्रतिभा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह

राष्ट्रीय प्रतियोगिता शालेय व्यक्तिगत एवं सामूहिक खेलों में प्रदेश के प्रथम स्थान प्राप्त खिलाड़ी को रूपए 10,000 /—, रूपए द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 7,500 /— एवं तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को रूपए 5,000 /— की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदाय की जाती है। वर्ष 2016-17 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त 472 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण वर्ष 2017 में प्रथम बार राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वितरण किया गया।



3.1.1.17 ग्रंथालय

संचालनालय स्तर से वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के सभी 36-जिला पुस्तकालयों के उन्नयन हेतु पूर्व वर्ष के अनुक्रम में प्रति जिला पुस्तकालय को राशि रुपये-3.00 लाख एवं प्रति केन्द्रीय पुस्तकालय को राशि रुपये-8.00 लाख का बजट आवर्ती व्यय हेतु उपलब्ध कराया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहित स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी को आवर्ती व्यय हेतु राशि रुपये-26.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन(एन.एम.एल), संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की योजना अंतर्गत चयनित शासकीय जिला पुस्तकालय-खण्डवा के उन्नयन हेतु राज्यांश राशि रुपये-18.50 लाख एवं शा. श्री अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय-इन्दौर के उन्नयन हेतु राज्यांश राशि रुपये-21.75 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

विभागीय पुस्तकालयों के भवनों के सुदृढीकरण अंतर्गत लघु मरम्मत कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के प्रकलन के अनुक्रम में निम्नानुसार आवंटन स्वीकृत किया गया है-

- शा. जिला पुस्तकालय शिवपुरी के लिये राशि रुपये-13.14 लाख।
 - शा. श्री बरसेन्द्र पुस्तकालय नागौद जिला-सतना के लिये राशि रुपये-2.28 लाख।
 - शा. जिला पुस्तकालय-मण्डला के लिये राशि रुपये-21.98 लाख।
 - शा. केन्द्रीय पुस्तकालय-ग्वालियर के लिये राशि रुपये-10.00 लाख
 - शा. केन्द्रीय पुस्तकालय-जबलपुर के लिये राशि रुपये-42.71 लाख।
 - शा. केन्द्रीय पुस्तकालय-रीवा के लिये राशि रुपये-16.65 लाख।
- **मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल-** मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल की स्थापित, चर्चित एवं शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित लाइब्रेरी है। एक ओर तो अत्यंत सुन्दर स्थापत्य के लिये इसकी प्राचीन इमारत आकर्षित करती है, तो दूसरी ओर बौद्धिक सम्पन्नता है।

शैक्षणिक नई पुरानी लाखों पुस्तकों की व्यवस्थित पंक्तिबद्ध अलमारियों, निरन्तर चलती रहने वाली गतिविधियों ने यहाँ के विद्यार्थियों, युवाओं, साहित्यकारों और पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित किया है। यहाँ निरन्तर चलते रहने वाली गतिविधियों में मासिक लोक व्याख्यान जिनमें भारतीय इतिहास के तथ्य युवा दिवस पर आयोजित विवेकानन्द और युवा, "विमुद्रीकरण के बहुआयामी प्रभाव", लोकतंत्र में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की भूमिकाएँ, "एकात्म मानव दर्शन" जैसे अनेक गंभीर विषयों पर प्रतिमाह होने वाली बौद्धिक चर्चाओं व्यक्तित्व विकास के गुर, युवा चर्चा, भोपाल का इतिहास और जैसे शैक्षिक एवं ज्ञानवर्धक क्रिया कलापों में स्वयं हिस्सा लेकर युवा लाभ उठाते हैं। इस प्रकार के आयोजनों से पुस्तकालय सदस्य न केवल पुस्तक प्रेमी बनते हैं, बल्कि शैक्षिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विषयों के जानकार भी बनते हैं।

विभिन्न गतिविधियों के अतिरिक्त पुस्तकालय की बाह्य एवं आंतरिक छवि को आकर्षित करने के साथ सम्पन्न करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। मुख्य भवन की वॉटर प्रूफिंग, बरक्तउल्ला भवन का रंगरोगन, शौचालयों की व्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था, नवीन फर्निचर, पुस्तकें क्रय करने का कार्य किया गया। विभाग द्वारा उर्जा विकास निगम को राशि रुपये-6.87 लाख स्वीकृत किये गये हैं, जिससे सौलर पैनल लगवाए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। इस वर्ष पुस्तकालय में 1125 नए सदस्य बने हैं। यहाँ आने वाले सदस्यों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भारतीय अन्वेषण ब्योरों में 03, आई.ई.एस. में 06, म.प्र. सिविल सेवा-डिप्टी कलेक्टरों में 04, बैंकिंग-पी.ओं में 07, क्लेरिकल में 28, सब इंस्पेक्टर 18, पुलिस अन्य पद में 24, मेट्रो दिल्ली प्रबंधक-01, यू.पी.एस.सी.पी. में 06, जॉब फेयर के माध्यम में विभिन्न

कम्पनियों द्वारा 73 युवाओं को लिया गया।

केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल के शिक्षा मित्र क्लब द्वारा 08 बस्तियों में निःशुल्क पुस्तकालय संचालन निम्न वर्ग के बच्चों के लिए किया जा रहा है। यहाँ के 35 विद्यार्थी सदस्यों के समूह द्वारा बस्तियों में शिक्षण सामग्री, ऊनी वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का निःशुल्क वितरण प्रति माह किया जाता है।

- **शासकीय अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर**— शासकीय अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर रीगल चौराहा, एम.जी.रोड, इन्दौर की स्थापना दिनांक 19.11.1961 को हुई थी। पुस्तकालय में 18 हजार वर्गफीट पर विनोबा-वन स्थापित है, जिसमें शहर के पर्यावरण परिशोधन हेतु पौधे लगाए गए हैं। पुस्तकालय के विकास एवं प्रशासकीय नियंत्रण मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय द्वारा गठित 10 सदस्यीय परामर्शदात्री समिति के द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय में विभिन्न विषय की लगभग 75 हजार पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में 17 समाचार पत्र एवं 32 पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं। पुस्तकालय ऑटोमेटेड होकर कम्प्यूटराइज्ड है। पुस्तकालय में Koha Software द्वारा OPAC सुविधा उपलब्ध है। पुस्तकालय में आर.आर. आर.एल.एफ. कोलकाता से वर्तमान में 987 पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। पुस्तकालय में 7906 पंजीकृत आजीवन सदस्य हैं। पुस्तकालय में वर्ष 2017 में 135 पाठकों ने नवीन सदस्यता ग्रहण की है। पुस्तकालय में वर्ष 2017 में 9989 पुस्तकों का आदान प्रदान हुआ है।

पुस्तकालय द्वारा शहर के कलाकारों एवं साहित्यकारों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु अत्यंत न्यूनतम दरों पर सभागृह/कलावीथिका/प्रदर्शनी हॉल उपलब्ध कराया जाता है। लोक शिक्षण, संचालनालय, भोपाल द्वारा पुस्तकालय सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु प्राप्त आवंटन से पुस्तकालय की छत के वॉटरप्रूफिंग कार्य हेतु इन्दौर विकास प्राधिकरण को भुगतान किया गया है।

- **केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर**— कम्प्टीशन कार्नर में शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर में निर्धन छात्र-छात्राओं को प्रतियोगियों परीक्षाओं की तैयारी हेतु माँग अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने एवं अध्ययन हेतु उचित स्थान की उपलब्धता हेतु “कम्प्टीशन कार्नर” स्थापित किया गया है। शा. केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर में प्रतिमाह जैसे माँक टेस्ट (बैंक, सिविल सेवाये), कैरियर गाईडेन्स, निबंध प्रतियोगितायें, ग्रुप डिस्कशन, पेटिंग प्रतियोगिताएँ, कवि सम्मेलन आदि इवेंट्स का आयोजन किया गया है। इन इवेंट्स से पुस्तकालय में आने वाले पाठकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, एवं पाठकों में रीडिंग हैबिट का विकास हुआ है।
- **केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर**— केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर में इस वर्ष पाठकों की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई है। स्थायी पाठकों में 40 से 50 अस्थायी पाठकों की संख्या में ओर वृद्धि हुई है। समय-समय पर पाठकों के लिये कैरियर गाईडेन्स सेमीनार, विशेष दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन गोष्ठी, प्रतियोगितायें, आदि आयोजित की जाती है। जिनका प्रकाशन मुख्य अखबारों में किया जाता है। वर्ष 2017-18 में ग्रंथालय में 200 से 300 किताबों की वृद्धि हुई है।
- **विभाग के जिला पुस्तकालय**— विभाग द्वारा वर्तमान में 36-जिला पुस्तकालयों को संचालित किया जा रहा है। जिला पुस्तकालयों की मुख्य गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं—

शा. जिला पुस्तकालय टीकमगढ़ में वर्ष 2017-18 के दौरान में 2 अग्नि शमक यंत्र, 2 लोहे की रेक, फलैक्स बोर्ड पर्दे, रेगजीन आदि क्रय किये जो जिला पुस्तकालय को व्यवस्थित व आकर्षक बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। वर्ष 2017-18 में पुस्तकालय टीकमगढ़ को लगभग 400 पुस्तकें स्थानीय दान दाताओं से प्राप्त हुई हैं। इनमें पत्रिकाएँ, गणित इतिहास विज्ञान कहानियाँ आदि की पुस्तकें शामिल हैं। दान दाताओं से प्राप्त पुस्तकें वाचनालय में रखी जाती हैं जो पाठकों के ज्ञानवर्धन में, मनोरंजन में सहायक हैं।

पुस्तकालय की पुस्तकें कम्प्यूटरीकृत की गई हैं। उनका एक डाटाबेस तैयार किया गया है। इस डाटा बेस को और भी अधिक उपयोगी व इन्टरनेट के अनुकूल बनाने के लिए ई-ग्रंथालय साफ्टवेयर पर कार्य जिला पुस्तकालय टीकमगढ़ में किया जा रहा है।

जिला पुस्तकालय उज्जैन की स्थापना वर्ष 1980 में हुई। जिला ग्रंथालय उज्जैन में 2717 सदस्य पंजीबद्ध हैं। वर्ष 201-18 में 142 नवीन सदस्य बनाये गये हैं, एवं लगभग 100 सदस्य प्रतिदिन समाचार पत्र/पत्रिका वाचन करने आते हैं।

जिला पुस्तकालय भोपाल वर्ष 1958 से जिले में सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिला पुस्तकालय रायसेन में पंजीकृत सदस्यों की संख्या 113 है, एवं प्रतिदिन 40-50 पाठक पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्रों के पढ़ने आते हैं। जिला पुस्तकालय शाजापुर में सदस्य संख्या लगभग 910 है। प्रतिदिन लगभग 75 से 100 पाठक पत्र पत्रिका एवं साहित्य तथा अन्य पुस्तकें पढ़ने हेतु आते हैं। जिला पुस्तकालय-खण्डवा की स्थापना सन् 1955 में शासन की योजना अंतर्गत की गई। इस वर्ष माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार खण्डवा जिला ग्रंथालय का चयन ई-लायब्रेरी में करने हेतु किया गया है। जिला पुस्तकालय खण्डवा की सदस्य संख्या वर्तमान में 1400 है, एवं पुस्तकों की संख्या 15853 है, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, साहित्य, काव्य, उर्दू और अंग्रेजी की पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तकालय द्वारा पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी कर ली गई, जिसके पाठकों की कठिनाइयों का समाधान हो चुका है। नवाचार के अंतर्गत ग्रंथालय परिवार के आसपास लगने वाले शासकीय व अशासकीय माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र/छात्राओं को ग्रंथालय के समय पर उपस्थित होकर समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के पठन-पाठन हेतु उत्साहित किया गया है। जिसके प्रतिफल स्वरूप से छात्र/छात्राएँ ग्रंथालय में आकर पढ़ने में रुचि देने लगे हैं।

विभागीय जिला पुस्तकालयों में नवीन एवं दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह है, जिसमें प्राचीन, धार्मिक, उर्दू, मराठी, ज्योतिष, हिन्दी व अंग्रेजी साहित्य, गाँधी सहित्य, प्रेमचन्द सहित्य, विवेकानन्द एवं रविन्द्रनाथ का उत्कृष्ट साहित्य प्रमुख है। नवीन पुस्तकों में संदर्भ-ग्रंथ प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सामग्री, कविता, विभिन्न सहित्यिक लेखकों के कथा सहित्य, हास्य व्यंग्य, इतिहास, नाटक, बाल सहित्य, उपन्यास, कविता, कहानियाँ, हिन्दी साहित्य, राजनिति, मानविकी विज्ञान, गणित एवं विविध, पत्रकारिता, योगासन, स्वास्थ्य, जीवनी एवं संस्मरण, शिक्षा, नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकें, संगीत, ललित कलाओं से संबंधित पुस्तकें विषयवार व कैटलॉग सहित व्यवस्थित कर पाठकों को उपलब्ध करायी जाती है।

● **स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी भोपाल**—स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी की वर्ष के दौरान की गतिविधियाँ हैं—

- 1180 नए मेम्बर लाइब्रेरी से जुड़े।
- 33 स्कूलों/महाविद्यालयों और कार्यालयों ने लाइब्रेरी की संस्थागत सदस्यता ली।
- 4200 नई किताबें लाइब्रेरी में शामिल की गई।
- 820 नई फिल्में लाइब्रेरी में शामिल की गई।
- 1800 पत्रिकाएँ लाइब्रेरी में शामिल की गई।
- लाइब्रेरी में पहली “हिन्दी कलेक्शन” शामिल किया गया।
- लाइब्रेरी के सामने स्थित पाक को प्रदेश के पहले “रीडर्स पाक” के तौर पर विकसित किया गया।
- मेंबर्स के लिए 7 लोक व्याख्यान तथा 4 युवा चर्चा कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय 6 लेखकों को बुलाकर “लेखक से मिलिये” कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- लाइब्रेरी के सदस्यों के लिए “बुक डिस्कशन क्लब” शुरू किया गया।

3.1.1.18 हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी नवीन विद्यालय

विगत तीन वर्षों में राज्य योजना मद से माध्यमिक से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकण्डरी शाला में उन्नयन की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	वर्ष	हाईस्कूल	हायर सेकण्डरी
1	2014-15	50	100
2	2015-16	100	100
3	2016-17	914	—
4	2017-18*	57	29

*जनवरी 2017 की स्थिति में

तीन वर्षों 2017-20 की कार्ययोजना में 820 माध्यमिक शालों को हाईस्कूल एवं 540 हाईस्कूल से हायर सेकण्डरी शालाओं में उन्नयन की योजना है।

3.1.2 राज्य शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत प्रमुख राज्य योजनाएँ

3.1.2.1 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

वर्ष 2017-18 में शासकीय प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं, म.प्र.मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं म.प्र.संस्कृत बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्कृत शालाओं के लगभग 72.81 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का वितरण किया गया है।

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण (लाभांवित बच्चे लाख में)	88.40	80.48	75.76

3.1.2.2 निःशुल्क साईकल वितरण

वर्ष 2017-18 में शासकीय शालाओं में अध्ययनरत ऐसे बालक बालिकाएं जो कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के पश्चात् कक्षा 6 में अध्ययन हेतु अन्य गाँव की माध्यमिक शाला में प्रवेश लेते हैं वे निःशुल्क साईकल वितरण योजनांतर्गत पात्र हितग्राही हैं। वर्ष 2016-17 के पूर्व पात्र बच्चों को साईकिल के लिये रुपये 2300/- के मान से राशि प्रदान की जाती थी। वर्ष 2016-17 से साईकिल प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2016-17 में लगभग 1.75 लाख पात्र बच्चों को साईकल वितरित की गई। वर्ष 2017-18 से योजना में परिवर्तन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा उसी ग्राम के ऐसे मजरे-टोले में निवासरत हैं, जो उस माध्यमिक/हाईस्कूल से 2 किमी. की अधिक दूरी पर हैं, को सम्मिलित किया गया है, एवं ग्रामीण अंचलों में स्थित कन्या छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी जिनकी माध्यमिक/हाईस्कूल शाला 2 कि.मी. या उससे अधिक दूरी पर स्थित है, को सम्मिलित किया गया है।

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
निःशुल्क साईकल वितरण (लाभान्वित बच्चे लाख में)	3.06	2.40	1.76



3.1.2.3 सामान्य निर्धन वर्ग के परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण

शासकीय शालाओं में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के ऐसे परिवार, जिनकी आय रु. 54,000/-वार्षिक से कम है, के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदाय योजना वर्ष 2008-09 से आरम्भ की गयी है। इसके अनुसार बालिकाओं को रु. 300/- वार्षिक तथा बालकों को रु. 200/-वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है। वर्ष 2017-18 में समग्र पोर्टल के माध्यम से सामान्य निर्धन वर्ग के बच्चों को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदाय की जा रही है।

3.1.2.4 निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना

शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक के दर्ज बालक/बालिकाओं में से सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से ऊपर के बालक/बालिका को निःशुल्क गणवेश हेतु राज्य योजना से राशि दी जा रही है। वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के तहत 14.21 लाख गरीबी रेखा से ऊपर सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के बालकों को गणवेश हेतु खातों में राशि हस्तान्तरित की गयी है। शेष बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान से गणवेश हेतु राशि उनके खातों में हस्तान्तरित की गयी है।



वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
निःशुल्क गणवेश वितरण (लाभांवित बच्चे लाख में)	86.55	78.95	74.30

3.1.2.5 मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

स्थापना

मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की संस्थापना 04 नवंबर सन् 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय निकाय-राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के दिशा निर्देशों के अनुसार की गई थी। इसके अन्तर्गत समस्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं।

उद्देश्य

प्रदेश में एस.सी.ई.आर.टी. के गठन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं -

- 1 राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान, शोध हेतु योजना तैयार कर क्रियान्वित कराना।
- 2 औपचारिक एवं गैर औपचारिक स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें विकसित करना।
- 3 शैक्षिक गतिविधियों एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- 4 शिक्षा में उचित मूल्यांकन की तकनीक और प्रक्रिया का विकास करना।
- 5 शिक्षकों की विषयगत आवश्यकताओं का आंकलन कर सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- 6 भावी शिक्षक तैयार करने हेतु सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- 7 प्रारंभिक शिक्षा में लोक व्यापीकरण तथा गुणात्मक सुधार का कार्य करना।
- 8 शैक्षिक समस्याओं को हल करने में परस्पर समन्वय एवं निदानात्मक प्रक्रिया विकसित करना।
- 9 प्रदेश में प्रशिक्षण प्रभाग के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
- 10 सेवारत शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता का विकास करना एवं उन्हें उच्च अध्ययन के अवसर प्रदान करना।
- 11 सेवारत शिक्षकों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों की क्षमता अभिवृद्धि हेतु कार्यक्रम आयोजित कराना।
- 12 शैक्षिक प्रक्रिया/प्रविधियों/तकनीकी विकास हेतु नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- 13 विद्यालयीन शैक्षिक गतिविधियों की अकादमिक मॉनिटरिंग आयोजित करना।
- 14 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसाओं एवं नीतियों के अनुरूप डाईट्स, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों इत्यादि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास सुनिश्चित करना।

कार्यक्षेत्र

मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् भोपाल का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है। इसके अधीन निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं -

- 1 आंग्ल भाषा अध्यापन संस्थान, (ई.एल.टी.आई) भोपाल
- 2 प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.ई.) भोपाल एवं जबलपुर,
- 3 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (एस.आई.एस.ई.), जबलपुर

- 4 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (सी.टी.ई.) ग्वालियर, देवास, खंडवा, उज्जैन, छतरपुर, और रीवा
- 5 शासकीय शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय जबलपुर
- 6 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) – 47
- 7 पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान (पी.पी.टी.आई.), जबलपुर

3.1.2.6 सहयोगी उपक्रम/संस्थाएं –आंग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान (E.L.T.I.)

अंग्रेजी भाषा शिक्षण के उन्नयन, शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्य सामग्री निर्माण में गुणात्मक विकास करने की दृष्टि से राज्य स्तर पर आंग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान भोपाल की स्थापना सन् 1964 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के अंतर्गत कार्यरत एक राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है। इसके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्य निम्नलिखित हैं :—

उद्देश्य :

- (i) राज्य की उच्चतर/उच्च/माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा अध्यापन में गुणात्मक सुधार करना।
- (ii) विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण करना।
- (iii) राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों को अंग्रेजी विषय की आधुनिक पद्धति से अवगत कराना एवं उन्हें प्रशिक्षित करना।
- (iv) नवाचार कार्य, विशेषतया कक्षोन्मुखी शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
- (v) शिक्षकों/शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए दीर्घकालीन/अल्पकालीन अवधि के उन्मुखीकरण/कार्यशाला/सेमीनार इत्यादि आयोजित करना।
- (vi) ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में कार्यरत शिक्षकों हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- (vii) अंग्रेजी भाषा के मूल्यांकन के क्षेत्र में एवं प्रश्न पत्रों के निर्माण कार्य में सहयोग करना।
- (viii) समय-समय पर विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन एवं मूल्यांकन करना।
- (ix) आंग्ल भाषा अध्यापन क्षेत्र में सतत उन्नयन एवं स्तरीकरण हेतु अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (E-FLU) हैदराबाद से निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन लेना।

कार्यक्षेत्र

संपूर्ण राज्य के समस्त प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।

वित्तीय प्रावधान

इस संस्थान को म.प्र. शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। सन् 1988 से ई. एल.टी.आई. सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (E-FLU) हैदराबाद से सन् 2016 तक प्राप्त होती रही है।

सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

यह संस्थान प्रदेश के सभी स्तरों के शिक्षकों के लिये विभिन्न नियमित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व उन्मुखीकरण/सेमीनार/कार्यशालाएँ आयोजित करता है।

(i) **EMPower Project (ब्रिटिश काउंसिल) का समन्वयन**

ब्रिटिश काउंसिल द्वारा प्रायोगिक तौर पर प्रदेश के उज्जैन संभाग के सभी जिलों एवं सीहोर जिले के प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अब तक लगभग 210 मास्टर ट्रेनर्स एवं 8000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ii) **प्राथमिक शिक्षकों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण**

राज्य शासन ने प्रदेश के बच्चों की आवश्यकता व बच्चों के पालकों की मांग को देखते हुए कक्षा 01 से अंग्रेजी भाषा का अध्ययन सन् 2000 से प्रारंभ किया। प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य इस संस्थान को दिया गया।

(iii) **आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम**

आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संस्थान द्वारा अल्पकालीन प्रशिक्षण अमरकंटक, तामिया, कुशी, झाबुआ, बैतूल इत्यादि स्थानों पर आयोजित किये थे। विगत वर्षों में आदिवासी विकास विभाग के स्रोत शिक्षकों को भी इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

(iv) **सेमीनार, उन्मुखीकरण, संगोष्ठी व कार्यशालाएँ**

इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित सेमीनार, उन्मुखीकरण, संगोष्ठी व कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं:—

- (v) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिये उन्मुखीकरण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- (vi) प्रश्न-पत्र निर्माण हेतु कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- (vii) पाठ्यपुस्तक लेखन, पुनरीक्षण व मूल्यांकन हेतु कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- (viii) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण करना व प्रशिक्षण आयोजित करना।
- (ix) प्रदेश के विद्यालयों के व्याख्याताओं/शिक्षकों के लिये उपयोगी विषयों जैसे कि Classroom Interaction/ Language Game आदि पर कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- (x) शिक्षक प्रशिक्षकों/शिक्षकों के लिए Teleconferencing आयोजित करना।
- (xi) हेड स्टार्ट केन्द्रों के लिये अंग्रेजी भाषा की सी.डी. का निर्माण करना।
- (xii) प्राथमिक शिक्षकों के लिए अंग्रेजी भाषा की ऑडियो सी.डी. का निर्माण करना।

3.1.2.7 बाईलिंगुअल (Bilingual Books) पुस्तकें

कक्षा 1 एवं 2 हेतु बाईलिंगुअल पुस्तकों का निर्माण किया गया, इसमें बच्चों की रीडिंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए चित्रों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में सरल वाक्य दिये गये हैं एवं अंग्रेजी वाक्यों के नीचे उनका हिन्दी में उच्चारण एवं अनुवाद भी दिया गया है। प्रदेश की प्राथमिक शालाओं के बच्चों में अंग्रेजी भाषा के प्रति रुचि जागृत करने व सहायक पठन सामग्री के रूप में वर्ष 2015-16 में रीड फॉर फन अंतर्गत लेवल 1 व 2 की 08 रंगीन बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण किया गया —

- | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1. माय कैट | 2. नम्बर राइम | 3. इट्स माय डे | 4. नटी द स्क्विरिल |
| 5. एट द फेयर | 6. रैटीज होल | 7. इन अ टॉय शॉप | 8. बबलूज स्वीट्स |

उपरोक्त पुस्तकों के 03 सेट्स प्रति शाला व एक-एक सेट डाइट, जिला शिक्षा केन्द्र व बी.आर.सी.सी. को भी उपलब्ध कराये गए। वर्ष 2017-18 में 05 बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण लेवल 3 व 4 हेतु किया गया व प्रति शाला 05 पुस्तकों के 2-2 सेट्स उपलब्ध कराए गए-

1. बिग और स्मॉल
2. मॉय बेबी
3. माय मॅगो ट्री
4. माय फैमिली
5. आवर फेस्टिवल्स

इन पुस्तकों का निर्माण प्राथमिक शाला के बच्चों की रुचि के अनुसार किया गया है। पुस्तकों में आकर्षक रंगीन चित्र हैं व पाठ्यवस्तु बच्चों के परिवेश से ही ली गयी है। पुस्तकों में अंग्रेजी के छोटे-छोटे शब्दों, वाक्यांशों व वाक्यों का प्रयोग किया गया है। बच्चे स्वयं पढ़ सकें इसलिए देवनागरी में अंग्रेजी भाषा का उच्चारण भी दिया गया है। पुस्तकों के अंत में शिक्षकों हेतु कक्षा में इन पुस्तकों के उपयोग हेतु निर्देश दिए गए हैं। ये पुस्तकें बच्चों व शिक्षकों दोनों के पठन कौशल के विकास में सहायक हैं। पुस्तकों की उपयोगिता देखते हुए वर्ष 2018-19 हेतु भी लेवल 5 की 08-10 बायलिंगुअल बुक्स निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया है।

3.1.2.8 परस्पर रेडियो संवाद Interactive Radio Instructions (आई.आर.आई.)

Interactive Radio Instruction आई.आर.आई. का अर्थ है परस्पर रेडियो संवाद। सामान्यतः जब हम रेडियो सुनते हैं तो वह केवल एक तरफा संवाद होता है। हमें वह सब चुपचाप सुनते रहना होता है, जो रेडियो से प्रसारित होता है। जब इसमें Interaction जुड़ जाता है तब आप चुपचाप बैठे एक श्रोता नहीं रह जाते। आपको रेडियो में बताये जा रहे बातों को सुनने के साथ-साथ कुछ ना कुछ गतिविधि भी करनी पड़ती है। मध्यप्रदेश में यह कार्यक्रम सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा के शिक्षण सहयोग हेतु "इंग्लिश इज फन" कार्यक्रम के नाम से शैक्षणिक सत्र 2005-06 में, कुछ चुने हुये क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम का विस्तार करते हुये वर्ष 2009-10 से 4 रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का प्रसारण विवरण निम्नानुसार है-

(i) इंग्लिश इज फन लेवल-1

कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा सिखाने का कार्यक्रम।

यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में दोपहर 12 से 12:30 बजे के दौरान प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार आकाशवाणी के सभी 14 केन्द्रों से एक साथ प्रसारित किया जाता है।

(ii) इंग्लिश इज फन लेवल-2

कक्षा 3 व 4 के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी भाषा सिखाने का कार्यक्रम।

यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में दोपहर 12.30 से 1:00 बजे के दौरान प्रत्येक सोमवार से बुधवार आकाशवाणी के सभी 14 केन्द्रों से एक साथ प्रसारित किया जाता है।

(iii) झिलमिल

कक्षा 4 व 5 के विद्यार्थियों के लिए गणित, विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन विषयों की कठिन अवधारणाओं पर आधारित कार्यक्रम।

यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में दोपहर 12.30 से 1:00 बजे के दौरान प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार आकाशवाणी के सभी 14 केन्द्रों से एक साथ प्रसारित किया जाता है।

(iv) मीना की दुनिया

मीना की दुनिया रेडियो कार्यक्रम मध्यप्रदेश के शैक्षिक जगत में स्कूल शिक्षा विभाग का यूनीसेफ संस्था के सहयोग से एक नवाचारी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम प्रदेश की माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों के लिए लागू किया जा रहा है। 15 मिनट के इस रेडियो प्रसारण की मुख्य पात्र "मीना" अपने हम उम्र बच्चों की एक सच्ची दोस्त के रूप में गढ़ा गया किरदार है। कार्यक्रम में "मीना" एक जागरूक लड़की है, जो समाज में बच्चों का नेतृत्व करती है। बाल अधिकारों के प्रति समाज को जागृत करती है। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में दोपहर 2.45 से 3:00 बजे के दौरान प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार आकाशवाणी के सभी 14 केन्द्रों से एक साथ प्रसारित किया जाता है।

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

3.2.1 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना प्रदेश में 2009 से आरंभ किया गया है। भारत शासन द्वारा 2013-14 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बालिका छात्रावास, आई.सी.टी.@स्कूल, व्यावसायिक शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेकण्डरी स्तर पर समावेशित शिक्षा (IEDSS) को एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत सम्मिलित किया गया है। एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत समन्वित समस्त योजनाओं यथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बालिका छात्रावास, आई.सी.टी.एट स्कूल, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.), व्यवसायिक शिक्षा के लिए वर्ष 2015-16 से इन सभी योजनाओं के लिए भारत शासन द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुपात 60:40 कर दिया गया है।

उद्देश्य

- सभी बच्चों की पहुँच (affordable distance) पहुँच योग्य दूरी में माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना
- सभी माध्यमिक शालाओं में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भौतिक सुविधाएं, स्टाफ उपलब्ध कराना
- कोई भी बच्चा माध्यमिक शिक्षा से सामाजिक, आर्थिक, जेंडर, विशेष आवश्यकता होने के कारण अर्थात् भेदभाव के कारण वंचित न हो।
- सभी बच्चे गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करें।
- प्रगति-सूचकांक

सूचकांक	2007-08	2016-17
सकल पहुँच दर – GAR	60%	80%
सकल नामांकन दर GER	41.1%	80.1%
शाला त्याग दर (सेकण्डरी स्तर)	27.7%	14.49%
कक्षा 8 से 9 में अंतरण दर	58.6%	84.1%
जेंडर पेरिटी इंडेक्स GPI	0.67	0.98

क्रियान्वयन ढाँचा

माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति का गठन किया गया है। समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्रीजी तथा कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। राज्य स्तर पर आयुक्त लोक शिक्षण राज्य परियोजना संचालक एवं पदेन सचिव म.प्र. माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति हैं। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक हैं। स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन के लिए शाला प्रबंधन एवं विकास समिति गठित है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदान की जाने वाली गतिविधियों के मापदण्ड

नवीन हाईस्कूल

- पाँच शिक्षक, 1 प्राचार्य के लिए वेतन
- भवन — 4 कक्ष, 1 पुस्तकालय, 1 लेब, 1 आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष, 1 कम्प्यूटर कक्ष, 1 प्राचार्य कक्ष, 1 स्टाफ रूम, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर— पूर्व में 58.12 लाख प्रति भवन, अब एस.ओ.आर. (SOR) पर आधारित — रु. 1 करोड़ भवन लागत एवं 14 लाख फर्नीचर

पुराने हाईस्कूलों के लिए

- 1:40 के आधार पर अतिरिक्त शिक्षकों के लिए वेतन
- अधोसंरचना सुदृढीकरण के तहत 1:40 के मान से अतिरिक्त कक्ष, आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालय आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष, पेयजल शौचालय अब एस.ओ.आर. (SOR) पर आधारित
- शालाओं के लिए रु. 50000 वार्षिक अनुदान
- शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण
- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण— 300 रु. प्रति शिक्षक प्रति दिन के मान से 10 दिवसीय
- विज्ञान प्रदर्शनी — 1 लाख प्रति जिला
- विद्यार्थी भ्रमण
- रेमेडियल टीचिंग — ब्रिज कोर्स
- मॉनिटरिंग, प्रबंधन, रिसर्च मूल्यांकन — 3 से 4 प्रतिशत राशि

भौतिक प्रगति

- शाला का उन्नयन—अभी तक भारत शासन द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार 1858 माध्यमिक शालाओं में से 1856 का हाईस्कूल में उन्नयन कर दिया गया है। सभी शालाएं आरंभ हो चुकी हैं।
- भवन निर्माण — शाला भवनो के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू. को सौंपा गया है। पूर्व में स्वीकृत 944 में से 873 भवन निर्मित हो चुके हैं। 34 लाख के 979 भवनों में से 939 पूर्ण हो चुके हैं। नवउन्नत स्कूलों में से 912 स्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसमें से 35 भवन निर्मित हो गए हैं तथा 175 भवन फिनिशिंग एवं शेष अन्य स्तर पर हैं।
- हाई स्कूलों के लिए 5868 अतिरिक्त कक्ष, 1844 विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष, 2744 गतिविधि (आर्ट, क्राफ्ट, संस्कृति) कक्ष, 2448 पुस्तकालय कक्ष, 3303 शौचालय एवं 1282 पेयजल सुविधा की स्वीकृति दी गई है। इन शालाओं में निर्माण का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। अभी तक इन कार्यों में से 14934 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष निर्माणाधीन है।

- सभी शालाओं को रु. 50,000/- प्रति स्कूल के मान से वार्षिक स्कूल ग्रांट प्रतिवर्ष जारी की गई है।
- 9665 अतिरिक्त शिक्षकों के पद की स्वीकृति जारी कर पदपूर्ति की गई है।
- सभी जिलों में प्रतिवर्ष विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है।
- 18000 शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण संपन्न किया गया है।
- लगभग 90000 बालिकाओं को प्रतिवर्ष आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।
- प्रदेश में 201 विकासखंड शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। इन विकासखंडों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका छात्रावास आरंभ किये गए हैं। इस वर्ष इन छात्रावासों में 20450 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।
- छात्रावास निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू. को सौंपा गया है। लगभग 172 छात्रावास पूर्ण हो चुके हैं।
- **विज्ञान मेलों का आयोजन**— प्रदेश में सभी विकासखंडों में जादू नहीं विज्ञान के नाम से विज्ञान मेलों का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यार्थियों को विज्ञान के ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया गया जिन्हें प्रदर्शित कर ढोंगी व्यक्ति जन सामान्य में अंधविश्वास पैदा करते हैं।
- **विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण (एक्सपोजर विजिट)** — भ्रमण यात्रा विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह ज्ञान का प्रत्यक्ष स्रोत होता है। इससे छात्रों में अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है तथा विद्यार्थियों में कुशलता आत्मविश्वास, नेतृत्व के गुण विकसित करने में सहायता मिलती है। दिसंबर माह से लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट कराई जा रही है।
- **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** — राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण संचालित किये जा रहे हैं। लगभग 80000 बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं।
- **जीवन कौशल शिक्षा** — किशोरावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस अवस्था में बच्चों में शारीरिक, मानसिक बदलावों के साथ परिपक्वता आती है। किशोरावस्था के इस दौर में शारीरिक, मानसिक बदलाव होते हैं। किशोर आयु के बच्चे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपनी पहचान के प्रति अत्यधिक सचेत होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जीवन कौशल शिक्षा (उमंग) आरंभ किया गया है। मॉड्यूल में स्वजागरूकता, संप्रेषण, हमारे संबंध समूह भावना, किशोरावस्था से परिचय, स्वास्थ्य, पोषण जेंडर, हिंसा एवं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को लिया गया है। प्रथम चरण में मॉड्यूल को पायलट तौर पर सभी जिलों के जिला मुख्यालय के विकासखंड के लगभग 1863 स्कूलों में नवंबर 2017 से आरंभ किया गया है।

- **अभिरूचि परीक्षण (इंट्रेस्ट टेस्ट)** – शासकीय शालाओं में कक्षा 10वीं में दर्ज समस्त बच्चों के लिए इंट्रेस्ट टेस्ट की व्यवस्था प्रत्येक स्कूल स्तर पर की जा रही है ताकि बच्चों की प्रतिभा, क्षमता का आकलन कर उन्हें दिशा दी जा सके।
- **एप्टीट्यूड टेस्ट एवं केरियर काउंसलिंग** – कक्षा 10वीं के लगभग 1 लाख विद्यार्थियों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट एवं केरियर काउंसलिंग की कार्यवाही अप्रैल से जून 2018 के मध्य की जाएगी। ताकि बच्चों का अपने केरियर के लिए विकल्पों के प्रति विज्ञान तैयार हो सके एवं वे बेहतर विकल्पों का चयन कर सकें। समस्त स्कूलों से एक एक शिक्षक को काउंसलर के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा।

बालिका छात्रावास की स्थापना एवं संचालन

प्रदेश में 201 विकासखंड शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। इन सभी विकासखंडों में 100 सीटर बालिका छात्रावास कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए संचालित है। छात्रावास के लिए 50 प्रतिशत सीटें अजा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। बालिकाओं के चयन हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास, आश्रम शालाओं से कक्षा 8 पास करके आने वाली बालिकाओं, अस्थि बाधित बालिकाएं, ऐसी बालिकाएं जिनके ग्राम में स्कूल की दूरी अधिक है, मॉडल स्कूल में प्रवेशित बालिकाएं को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान में 20100 के लक्ष्य के विरुद्ध 20450 बालिकायें दर्ज हैं।

आई.सी.टी.@स्कूल योजना

योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में वर्ष 2005-06 में 230 विद्यालयों का चयन किया गया था जिनमें कम्प्यूटर लेब हे 10-10 कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। 2000 स्कूलों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है। शिक्षकों का प्रशिक्षण आरंभ कर दिया गया है। अभी तक 5000 शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके हैं।

माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.)

आई.ई.डी.एस.एस. योजना अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में नामांकित कर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। आई.ई.डी.एस.एस.योजना के अंतर्गत शासकीय शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों को सुविधा भत्ते प्रदान किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए पुस्तक, एस्कॉर्ट अलाउंस, स्टेशनरी, गणवेश, परिवहन, रीडर अलाउंस, उपकरण इत्यादि मदों के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष रु. 3000 के मान से राशि निर्धारित है। वर्ष 2014-15 में 12,073, वर्ष 2015-16 में 12,211 एवं वर्ष 2016-17 में 12,380 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

प्रदेश की शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2014-15 से 50 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 2 ट्रेड IT/ ITes एवं सिक्यूरिटी आरंभ किए गए थे। वर्ष 2016-17 से नवीन 263 विकासखंड स्तरीय

विद्यालयों में इसे विस्तारित किया गया है तथा इन विद्यालयों में 8 ट्रेड यथा ब्यूटी एण्ड वेलनेस, बैंकिंग एण्ड फाईनेंस सर्विसेस, इलेक्ट्रिकल्स टेक्नालॉजी, हैल्थ केयर, आई.टी./आई.टी.ईएस., फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स, शीटेल, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 से नवीन 313 विद्यालयों में 5 ट्रेड यथा ब्यूटी एण्ड वेलनेस, हैल्थ केयर, आई.टी./आई.टी.ईएस., फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म आरंभ किए गए हैं। वर्तमान में लगभग 63000 विद्यार्थी दर्ज हैं।

3.2.2 सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान भारत शासन का व्यापक एवं समेकित प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा को लोकव्यापीकरण मिशन के रूप में लागू किया जा सके। इसका उद्देश्य शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों को लक्षित करते हुए 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी व सार्थक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के लोक व्यापीकरण का एक प्रयास है जिसमें शाला तंत्र को समुदाय के स्वामित्व में देना है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य :

- सभी बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाना।
- सभी बच्चों का उच्च प्राथमिक स्तर पर ठहराव सुनिश्चित करना।
- नामांकन, ठहराव एवं अधिगम के संबंध में लिंग एवं सामाजिक स्तर के अंतर (Difference) को पाटना।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की अधिगम उपलब्धि स्तर में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना।

प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिए बनाया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी वर्ष 2017-18 में 60 : 40 है। प्रदेश में अभियान का क्रियान्वयन म.प्र.सर्व शिक्षा अभियान मिशन द्वारा किया जा रहा है। भारत शासन के निर्देशानुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का क्रियान्वयन एक पंजीकृत संस्था म.प्र.सर्व शिक्षा अभियान मिशन द्वारा किया जाता है, मिशन के नीति निर्देशक मापदण्ड साधारण सभा और कार्यकारिणी के स्तर पर तय होते हैं।

मिशन की साधारण सभा के सभापति माननीय मुख्यमंत्री तथा उपसभापति माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के प्रभारी माननीय मंत्री होते हैं। मिशन की साधारण सभा में राज्य शासन द्वारा 30 अशासकीय सदस्य एवं केन्द्र शासन द्वारा 8 अशासकीय सदस्य मनोनीत किये जाते हैं।

मिशन द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए मिशन के कार्यों का संचालन कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव तथा उपाध्यक्ष स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव होते हैं। मिशन की कार्यकारिणी समिति में राज्य शासन द्वारा 5 अशासकीय सदस्य एवं केन्द्र शासन द्वारा 3 सदस्य मनोनीत किये जाते हैं।

मिशन का प्रबन्धन विकेन्द्रीकृत और सहभागिता के सिद्धान्तों पर आधारित है। मिशन की गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं अनुवीक्षण हेतु राज्य, जिला, विकासखण्ड, ग्राम एवं शाला स्तर पर समितियां गठित हैं। इन समितियों में शासकीय, अशासकीय/जनप्रतिनिधियों का समावेश है।

3.2.2.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं तथा शासन से अनुदान प्राप्त सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबन्धन समिति के गठन का प्रावधान है। शाला प्रबन्धन समितियां, अपनी शाला की शाला विकास योजना तैयार करने एवं स्थानीय स्तर पर शाला प्रबन्धन के कार्य दायित्वों का निर्वहन करती हैं। उक्त प्रावधान के तहत प्रदेश की समस्त उल्लेखित शालाओं में शाला प्रबन्धन समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों का कार्यकाल दो वर्षीय समयावधि का होता है। वर्ष 2017-19 हेतु समितियों का गठन वर्ष 2017 में किया गया है। कार्य संचालन एवं क्षमता संवर्धन हेतु संपूर्ण प्रदेश की शाला प्रबन्धन समितियों के चयनित सदस्यों का प्रशिक्षण भी विभागीय पद्धति से किया जा रहा है। शाला प्रबन्धन समितियों में, कक्षावार मेधावी विद्यार्थियों के पालक/अभिभावक, श्रेणीवार वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के विधिमान्य रूप से चयनित पालक/अभिभावकों, स्थानीय पंच/पार्षद एवं स्थानीय निकाय के प्रमुख (सरपंच/अध्यक्ष/महापौर) के द्वारा नामित अन्य किसी वार्ड की महिला पंच/पार्षद तथा शाला की वरिष्ठतम महिला शिक्षिका एवं प्रधान पाठक सम्मिलित होते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चयन, पालक/अभिभावक सदस्यों में से किये जाने का प्रावधान है। समिति में 50 प्रतिशत न्यूनतम स्थान महिलाओं हेतु नियत है।



निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011" बनाए गए हैं। यह नियम 26 मार्च 2011 को अधिसूचित किये गये हैं। नियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं :

निजी स्कूलों को मान्यता — प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के तहत यह व्यवस्था है कि सभी निजी स्कूलों को सक्षम अधिकारी से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पदाविहित अधिकारी बनाया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत स्कूल संचालन के लिए शिक्षक और अधोसंरचना का न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किया गया है। अधिनियम अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है। प्रदेश में निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से मान्यता आवेदनों के निराकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आयी है। प्रदेश में सत्र 2017-18 की स्थिति में 25292 स्कूलों द्वारा मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। इसमें से जिलों द्वारा 22600 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। शेष प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा सुविधा का विस्तार — बसाहट के नजदीक स्कूल की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी बसाहट में 40 बच्चे उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्कूल और 12 बच्चे उपलब्ध होने पर माध्यमिक स्कूल की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। आवश्यक होने पर बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास की व्यवस्था का प्रावधान नियम में किया गया है।

स्कूल खोलने के उपरोक्त मापदण्ड के आधार पर प्रदेश की बसाहटों में शाला सुविधा की अधिसूचना जारी की गई है।

निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश — अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 में और यदि स्कूल में प्री-स्कूल शिक्षा दी जाती है तो उसकी प्रवेशित कक्षा में पड़ोस स्थित वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को न्यूनतम 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है। इन बच्चों के फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

अधिनियम के इस प्रावधान के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2016-17 तक लगभग 8.40 लाख बच्चों को निःशुल्क प्रवेश निजी स्कूलों में दिया गया है। अधिनियम के इस प्रावधान के तहत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017-18 में लगभग 1.46 लाख बच्चों को निःशुल्क प्रवेश निजी स्कूलों में दिया गया है। गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिए जाने के लिए मध्यप्रदेश में सत्र 2016-17 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रक्रिया में आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज कराकर केन्द्रीयकृत पारदर्शी तरीके से रेण्डमाइजेशन के माध्यम से छात्रों को स्कूलों में सीटों का आवंटन किया गया। आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की गई एवं सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई गई।

सत्र 2016-17 में अध्ययनरत् बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी करने के उद्देश्य से वर्तमान में आर.टी.ई. के तहत प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत् समस्त बच्चों का आधार तथा बायोमेट्रिक मशीन से आधार सत्यापन कराया जाकर उनकी फीस प्रतिपूर्ति प्रारंभ की गई है। फीस की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की ऑनलाईन व्यवस्था की है। इसके तहत पोर्टल के माध्यम से दावे प्रस्तुत होंगे और जिला परियोजना समन्वयक द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति सीधे स्कूल के बैंक खाते में की जाएगी।

शिकायतों का निराकरण — शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकार से जुड़ी शिकायतों के निराकरण की जवाबदारी स्थानीय निकायों को दी गई है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन स्थानीय निकाय किस तरीके से करें इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, राज्य शासन द्वारा जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों के लिए जिला पंचायतों को शिकायत निवारण का दायित्व सौंपा गया है। नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक नगरीय संस्था को यह दायित्व सौंपा गया है।

अधिसूचनाएँ — अधिनियम के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं :-

1. वंचित समूह — अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत वंचित समूह को परिभाषित करने की अधिसूचना नवंबर 2010 में जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत निम्न समूहों को वंचित समूह में शामिल किया गया है। दिनांक 03 जून 2017 को प्रकाशित अधिसूचना अनुसार एच.आई.व्ही. से ग्रस्त अथवा प्रभावित बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में इसमें निम्न समूह शामिल हैं:-
 - (i) अनुसूचित जाति
 - (ii) अनुसूचित जन जाति
 - (iii) विमुक्त जाति
 - (iv) वन भूमि के पट्टाधारी परिवार/वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार पत्रधारी परिवार
 - (v) विकलांग बच्चे
 - (vi) एच.आई.व्ही. से ग्रस्त अथवा प्रभावित बच्चे (सत्र 2018-19 से प्रभावशील)
2. कमजोर वर्ग — अधिनियम की धारा 2 (ड) के अंतर्गत कमजोर वर्ग को परिभाषित करने की अधिसूचना नवंबर 2010 को जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को शामिल किया गया है। राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है।
3. अकादमिक प्राधिकार — अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को अकादमिक प्राधिकरण घोषित करने संबंधी अधिसूचना जुलाई 2010 में जारी की जा चुकी है।

- 4 राज्य सलाहकार परिषद – अधिनियम की धारा 34 के अनुसार राज्य शासन द्वारा राज्य सलाहकार परिषद के गठन की कार्यवाही फरवरी 2012 में की जा चुकी है। परिषद के द्वितीय कार्यकाल के गठन की अधिसूचना शासन द्वारा दिनांक 17.03.2015 को जारी की गई है।
- 5 उपस्थिति प्राधिकारी – अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जिलों में कार्यरत जनशिक्षकों को उनके क्षेत्र की शालाओं में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति के लिए उपस्थिति प्राधिकारी (Attendance Authority) नामांकित किया गया है।
- 6 वर्ष 2017-18 में शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 तथा नियम 18 में संशोधन किया गया।

1. नियम 12 में, उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा गया, अर्थात् :-

“(8) (एक) समिति के पालकों या अभिभावकों में से निर्वाचित सदस्य/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष को अशोभनीय व्यवहार, नैतिक पतन, कर्तव्य निष्पादन न करने, किसी अपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने की शिकायत पर जिले के राजस्व सब-डिविजन के सब डिविजन अधिकारी द्वारा पद से हटा दिया जायेगा: परन्तु उस सदस्य को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जायेगा।

(दो) समिति के अध्यक्ष को, जिले के राजस्व सब-डिविजन के सब-डिविजन अधिकारी द्वारा समिति की लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहने की शिकायत पर पद से हटा दिया जाएगा: परन्तु अध्यक्ष को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जायेगा।

(तीन) सब-डिविजन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील दाखिल कर सकेगा। कलेक्टर, यदि वह विलंब के कारणों से संतुष्ट है, अपील के आवेदन को प्रस्तुत करने में विलंब के लिए माफी दे सकेगा। कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा।”

2. नियम 18 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया गया अर्थात् :-

“(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी :-

- (क) नियमित आधार पर, बालक की समग्र गुणवत्ता निर्धारण प्रक्रिया की रूपरेखा बनाएगा तथा उसका क्रियान्वयन करेगा ;
- (ख) समस्त प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणाम तैयार करेगा; तथा
- (ग) परिभाषित अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का अमल में लाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा।

अधिनियम के तहत पूर्व में जो मुख्य निर्देश जारी किये गये हैं वह निम्नानुसार है

1. धारा 3 के अनुसार सभी बच्चों को अनिवार्यतः प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जानी है। अतः शासकीय शालाओं में किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अथवा राशि नहीं ली जायेगी जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो।
2. धारा 4 के अनुसार चिन्हित शाला से बाहर बच्चों को सर्वप्रथम उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज कराया जायेगा तथा तदुपरांत उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था आवासीय ब्रिज कोर्स एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से की जायेगी अर्थात् कोई भी बच्चा शाला से बाहर नहीं रहेगा।
3. धारा 5 के अनुसार बच्चों द्वारा शाला छोड़ने पर उसे स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) तुरन्त प्रदान करने का दायित्व शाला के प्रधानाध्यापक का होगा। ऐसी शाला जो प्राथमिक स्तर तक की हैं उनमें कक्षा 5वीं पास करने वाले बच्चों को अंक सूची के साथ ही स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। अन्य परिस्थितियों में छात्र द्वारा आवेदन करने पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 7 दिवस की समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। धारा 5 (2) के अनुसार समय सीमा में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान न करने की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. धारा 14 (2) के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी किसी भी बच्चे को शाला में प्रवेश से इंकार नहीं किया जायेगा।
5. धारा 15 के अनुसार किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में या विहित विस्तारित अवधि के भीतर प्रवेश से इंकार नहीं किया जायेगा।
6. धारा 16 के अनुसार किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा न ही शाला से बाहर किया जाएगा जब तक कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।
7. धारा 17 के अनुसार स्कूल में नांमाकित किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।
8. धारा 24 के अनुसार शाला के शिक्षकों के लिए भी अधिनियम में अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इसकी पूर्ति न करने पर शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अकादमिक उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:-
 - (i) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन।
 - (ii) समयसीमा में पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना।
 - (iii) विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कराना।
 - (iv) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमताओं का आकलन करना, और उसके अनुरूप आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पठन पाठन कराना।

(v) माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक की उपस्थिति में नियमिता, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, उसकी प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना।

(vi) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो चिन्हित किए जाए।

9. धारा 27 के अनुसार शिक्षकों का जन गणना, चुनाव तथा आपदा राहत को छोड़कर अन्य गैर शिक्षकीय कार्य में नियोजन निषिद्ध है।

10. धारा 28 के अनुसार कोई भी शिक्षक प्रायवेट ट्यूशन अथवा प्रायवेट रूप से पढ़ाने का कार्य नहीं कर सकेगा।

11. धारा 29 (2) के अनुसार शाला में बच्चों को गतिविधि आधारित प्रक्रियाओं एवं बाल केन्द्रित गतिविधियों के माध्यम से पठन पाठन कराया जाएगा।

12. धारा 30 (2) के अनुसार प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक लर्निंग रेकार्ड रखना अनिवार्य होगा।

13. अधिनियम की अनुसूची में पठन पाठन के घंटे भी निर्धारित हैं:-

न्यूनतम कार्य दिवस/शिक्षण के घंटे

(i) न्यूनतम कार्य दिवस ——— प्राथमिक स्तर -200 दिवस

(ii) न्यूनतम कार्य दिवस ——— माध्यमिक स्तर-220 दिवस

(iii) प्राथमिक स्तर ——— 800 शैक्षणिक घंटे

(iv) माध्यमिक स्तर ——— 1000 शैक्षणिक घंटे

(v) शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे—45 घंटे (पठन पाठन तैयारी के घंटे सहित)

● शाला सुविधा उपलब्धता -

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बसाहट में 6 से 11 आयु वर्ग के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किमी की परिधि में प्राथमिक शाला सुविधा तथा 11 से 14 आयु वर्ग के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किमी की परिधि में मिडिल शाला उपलब्ध कराई जानी है।
- निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश की समस्त बसाहटों में शाला सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पड़ोस की सीमा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की अधिसूचना जारी।
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक 17851 प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में उन्नयन किया गया है। इन शालाओं में 53553 शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं।
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक 27910 EGS/Satellite शालाओं के प्राथमिक शालाओं में उन्नयन तथा नई प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं। इन शालाओं में 55820 शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं।

3.2.2.2 स्कूल चलें हम अभियान 2017-18

स्कूल में नामांकन कराने, सतत् रूप से स्कूल आने के लिये प्रेरित करने और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "स्कूल चलें हम अभियान" को जन आन्दोलन के रूप में आयोजित किया जाता रहा है।

इस वर्ष यह अभियान तीन चरणों में संचालित किया गया, **प्रथम चरण**— अकादमिक सत्र 2016-17 के वार्षिक मूल्यांकन परिणाम की घोषणा, कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् बच्चों को आगामी कक्षा में प्रवेश एवं कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों एवं शाला से बाहर बच्चों का घर-घर जाकर सर्वे, **द्वितीय चरण**— कक्षा 1 (नवप्रवेशी) एवं कक्षा 10 वीं से 11 वीं तथा 11वीं से 12वीं में प्रवेश होने वाले बच्चों हेतु एवं शाला से बाहर तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संचालित किया जाना एवं **तृतीय चरण**— शाला में ठहराव (प्रथम एवं द्वितीय चरण में किए गए नामांकन अनुसार) एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित रहेगा।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशित शिक्षा व्यवस्था हेतु सुदूर के गाँव आदि ऐसे क्षेत्रों के लिये विशेष रणनीति बनाई जाकर शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी बालिकाओं को कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/ बालिका छात्रावास में प्रवेश की सुविधा करायी जाकर शाला में निरन्तरता सुनिश्चित की गयी है।

सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित बालक छात्रावासों में अनाथ, बेघर, भीख मांगने वाले, रेल्वे प्लेटफार्म, बस स्टेण्ड पर पाये जाने वाले 06 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया गया है।

महिला सशक्तिकरण विभाग म.प्र. द्वारा संचालित छात्रावासों में सभी अनाथ, बेघर, भीख मांगने वाले, रेल्वे प्लेटफार्म, बस स्टेण्ड पर पाये जाने वाले 06 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाने की कार्यवाही की गयी है।

शिक्षा सत्र 2017-18 हेतु 16 जून 2017 को प्रवेशोत्सव में बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश एवं सायकल की राशि वितरित की गयी है।

इस वर्ष "स्कूल चलें हम अभियान" में शाला प्रबंध समिति एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के अलावा, मिल बाँचे म.प्र. कार्यक्रम में लगभग कुल 2,15,220 वॉलेंटियर द्वारा कार्यक्रम में सहभागिता की गई।

3.2.2.3 नवीन आवासीय छात्रावास

शाला से बाहर रहे बेघर एवं अनाथ बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में मेनस्ट्रीम करने हेतु आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं जिसके तहत म.प्र. में वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों (देवास-1, उज्जैन-1, सागर-1, कटनी-1, होशंगाबाद-1, खण्डवा-1, इन्दौर-2, भोपाल-2, बुरहानपुर-1, ग्वालियर-1, जबलपुर-2) में 14 बालक छात्रावास संचालित हैं। प्रत्येक छात्रावास में 100 सीटें स्वीकृत हैं। इन छात्रावासों में शाला त्यागी एवं अप्रवेशी, निराश्रित, पन्नी बीनने वाले, अनाथ, बेघर, प्लेट फार्म तथा गलियों में घूमने वाले उपेक्षित बच्चे, जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत है, ऐसे प्रवेशित बच्चों को भोजन, आवासीय सुविधा तथा शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

वार्षिक कार्ययोजना 2017-18 में भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक 100 सीटर नवीन आवासीय छात्रावास स्वीकृत किया गया है। 51 नवीन आवासीय छात्रावास के साथ पूर्व से संचालित 15 बालक आवासीय छात्रावास यथावत संचालित रहेंगे। इस तरह वर्ष 2017-18 में 66 आवासीय छात्रावास संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्ष 2017-18 में प्रति 100 सीटर छात्रावास हेतु रुपये 36.00 लाख का प्रावधान रखा गया। वर्तमान में लगभग 6600 बच्चों लाभान्वित हो रहे हैं।



(छायाचित्र-नवीन आवासीय छात्रावास जिला सिवनी म.प्र.)

3.2.2.4 आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (आर.एस.टी.)

शाला से बाहर रहे ऐसे बसाहटों के बच्चे जहां पड़ोस की परिधि में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला नहीं है। इनके लिए आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इन आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में बच्चों को रखकर उनकी आयु अनुरूप दक्षता कराई जाती है।

शाला से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए गए हैं। आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में बच्चों को आवासीय, भोजन तथा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2017-18 में 16800 बच्चों के लिए 33 जिलों में 336 नवीन आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालन की प्रति बालक रुपये 20000/- के मान से स्वीकृति प्रदाय की गई है।

3.2.2.5 गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र — शाला से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए गए हैं। इन केन्द्रों में बच्चों को दर्ज कर उनकी आयु अनुरूप शैक्षिक दक्षता हासिल कराई जाती है। शाला से बाहर चिन्हित बच्चों को सर्वप्रथम नियमित शाला में उनकी आयु अनुरूप कक्षा में दर्ज करवाया जाता है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों को इन केन्द्रों के माध्यम से उनकी आयु के अनुसार दक्षता विकसित कर उन्हें कक्षा में प्रवेश कराया जाता है। वर्ष 2017-18 की स्वीकृति में 29040 शाला त्यागी बच्चों के लिए 1453 गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाने की व्यवस्था है।

गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र हेतु वर्ष 2017-18 में तीन माह के लिए प्रति बालक रुपये 1500/- के मान से राशि निर्धारित की गई है।

3.2.2.6 पलायन छात्रावास – पलायन मौसमी होता है तथा प्रायः खेती के समय से जुड़ा रहता है। इस पलायन की अवधि तीन एवं छः माह तक रहेगी ये परिवार पलायन के समय अपने साथ शाला जाने योग्य बच्चों को भी ले जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई अवरुद्ध होती है। कक्षा में वापस आने के बाद उनकी दक्षताएं अपने साथी से कम हो जाती हैं, जिससे वे अपने साथियों की गति से नहीं सीख पाते हैं, इससे उनमें हीनभावना आने लगती है और उनका पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है। धीरे-धीरे वे इसके कारण पुनः ड्राप आउट हो जाते हैं। अतः प्रवासी परिवारों के बच्चों की शिक्षा की निरंतरता में कोई बाधा न आये, इस हेतु वर्ष 2017-18 में 16 जिलों में 7604 बच्चों के लिए 676 पलायन छात्रावास संचालित किये जाने की व्यवस्था है। पलायन के समय बालकों के माता-पिता पढ़ने योग्य बच्चों को पलायन छात्रावास में प्रवेश करवा देते हैं ताकि पढ़ने योग्य बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो तथा बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे। इन छात्रावासों में अधिकतम तीन से छः माह के लिए आवासीय एवं भोजन व्यवस्था प्रदाय की जाती है। पलायन हॉस्टल के लिए प्रति बच्चा रुपये 5000/- के मान से तीन माह के लिए तथा प्रति बच्चा रुपये 10000/- के मान से छः माह के लिए स्वीकृति प्रदाय की गई है।

3.2.2.7 अल्पसंख्यक छात्रावास– अल्पसंख्यक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए 02 अल्पसंख्यक छात्रावास भोपाल एवं बुरहानपुर में संचालित हैं।

3.2.2.8 बालिका छात्रावास एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय – प्रारंभिक शिक्षा सुविधा से वंचित रहने वाली बालिकाओं के लिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बालिका छात्रावास योजना आरंभ की गई है। वर्तमान में 324 छात्रावास स्वीकृत हैं, जिनमें लगभग 23100 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।



बालिका छात्रावास की गतिविधियां के अंतर्गत बालिकाओं को वृतिका, आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, लायब्रेरी एवं उपचारात्मक शिक्षण का प्रावधान है। वर्ष 2017-18 में विभिन्न जिलों के छात्रावासों की बालिकाएं द्वारा राज्य स्तर की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया है।

वर्ष 2017-18 की वार्षिक कार्ययोजना में बालिका छात्रावास की बालिकाओं हेतु आत्म सुरक्षा गतिविधि संचालित करने के लिए प्रति बालिका 200 रु. के मान से राशि स्वीकृत हुई है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण समस्त बालिका छात्रावासों में भी संचालित किया जा रहा है। छात्रावासों में समस्त बालिकाओं को हाईजीन किट प्रदाय किये गये हैं।



कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत शासन की योजना है जिसके अनुसार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे विकासखंड (जहां महिला साक्षरता दर ग्रामीण महिला साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत से कम तथा महिला व पुरुष साक्षरता दर में राष्ट्रीय औसत से अधिक हो) वहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आरंभ किये गये हैं।

बालिकाओं की प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की स्वीकृति भारत शासन द्वारा प्रदान की गई है। योजना का उद्देश्य 75 प्रतिशत बालिकाएं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक समुदाय की व 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली, अनाथ, बेसहारा एवं एकल परिवार की बालिकाओं को 8वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में संचालित 207 के.जी.बी.वी. में लगभग 28800 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।



कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यूनिसेफ के सहयोग से स्पोर्ट फार डेवलपमेन्ट (S4D) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बालिकाओं की शालाओं में दर्ज होने, कक्षा में उपस्थित रहने, बढ़-चढ़कर सीखने और अकादमिक उपलब्धियों के सुधार को बढ़ावा देगा। स्पोर्ट्स फार डेवलपमेन्ट कार्यक्रम को सभी 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संचालित किया गया है। छात्रावास की सहायक वार्डन को यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया है एवं समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवायी गई है।

लायब्रेरी – समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लायब्रेरी स्थापित की गई है। जिनमें बाल साहित्य उपलब्ध करवाया गया है।



रेमेडियल कक्षाएं – कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में बालिकाओं के उपचारात्मक शिक्षण का प्रावधान है। इस हेतु समस्त छात्रावासों में विषयवार (गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान भाषा अंग्रेजी) अंशकालीन शिक्षिकाओं का प्रावधान है। अंशकालीन शिक्षिकाओं को पढ़ाने हेतु डाईट के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।



अंशकालिक स्वयं सेविकाओं को छात्रावासों में बालिकाओं को प्रतिदिन 3-4 घण्टे अध्यापन कार्य करना होता है। यह बालिकाओं के शाला लगने के समय पर निर्भर करता है कि 2 घण्टे प्रातः एवं 2 घण्टे सायः के समय हो सकता है। किसी भी स्थिति में एक ही विषय एक से अधिक शिक्षिका नहीं रखी जावेगी। शिक्षिकाओं को रखने का अधिकार छात्रावास प्रबंधन समिति का है।

कैरियर काउंसलिंग-कैरियर निर्माण हेतु बालिकाओं को आवश्यकता आधारित कैरियर काउंसलिंग प्रदान की जाती है। विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं जैसे महिला डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि से भेंट करवाई जाती है। इससे बालिकाएं विभिन्न व्यवसायों से एवं उनमें प्रवेश की प्रक्रियाओं से परिचित हो सकेंगी।



वर्ष 2017-18 की वार्षिक कार्ययोजना में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास की बालिकाओं हेतु आत्म सुरक्षा गतिविधि संचालित करने के लिए प्रति बालिका 200 रु. के मान से राशि स्वीकृत हुई है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण न केवल बालिकाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, वरन् विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की भी रक्षा करता है। अतः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं को आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। जुडो कराटे स्पर्धा में बालिकाओं द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया है। जुडो एवं कराटे में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिका ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया है। छात्रावास की बालिकाओं द्वारा फुटबॉल एवं त्वाईकॉंडो में संभागीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया।



3.2.2.9 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत समावेशित शिक्षा का क्रियान्वयन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जिला परियोजना समन्वयक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। स्कूल चलें हम अभियान के अंतर्गत सर्वे में वर्ष 2017-18 में प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के 1,06,788 बच्चों का चिन्हांकन करने के उपरांत सामान्य शालाओं में नामांकन किया गया है तथा चिन्हांकित बच्चों की समग्र पोर्टल पर प्रविष्टि की जा चुकी है।

प्रदेश में दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा आंशिक रूप से मानसिक विकलांग बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में 50 सीटर एक सी.डब्लू.एस.एन. छात्रावास एवं 09 संभागीय जिलों में 50 सीटर एक बालिका सी.डब्लू.एस.एन. छात्रावास संचालित है। छात्रावास का संचालन विभागीय/स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 60 सी.डब्लू.एस.एन. छात्रावास संचालित हैं। इसमें 2974 सी.डब्लू.एस.एन. बच्चे दर्ज होकर छात्रावास की सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

आई.ई.डी. योजना अंतर्गत संचालित 50 सीटर CWSN छात्रावासों के संचालन हेतु रु. 12 लाख प्रति छात्रावास सर्व शिक्षा अभियान में स्वीकृति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना मद से प्रति छात्रावास रु. 3 लाख 80 हजार अन्य मदों जैसे बच्चों के लिए वृत्तिका, स्टेशनरी, विभिन्न थेरेपिस्ट, जीवन कौशल आदि के प्रशिक्षण के लिए CWSN छात्रावासों हेतु स्वीकृत किये गये हैं।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दर्ज 696 दृष्टिबाधित बच्चों को शासकीय ब्रेल प्रेस भोपाल के माध्यम से ब्रेल पाठ्यपुस्तकें मुद्रित करवाकर उपलब्ध कराई गई हैं।

प्रदेश के सभी 45 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट) में एक आई.ई.डी. संसाधन केन्द्र एवं आगर-मालवा जिले को छोड़कर प्रत्येक जिले के दो विकासखण्डों में एक-एक आई.ई.डी. संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन संसाधन केन्द्रों का उपयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन, सी.डब्लू.एस.एन. बच्चों के शिक्षण/प्रशिक्षण एवं सामान्य शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि में किया जा रहा है।

वार्षिक कार्य योजना 2017-18 में भारत सरकार से स्वीकृति अनुसार 23653 बच्चों के लिए परिवहन भत्ता राशि रु. 250/- तथा 18000 बच्चों को मार्गरक्षण भत्ता की राशि रु. 250/- माह के मान से 10 माह की अवधि के लिए भुगतान हितग्राही बच्चों के बैंक खातों के माध्यम से करवाया गया है।

विश्व विकलांग दिवस 03 दिसम्बर 2017 का आयोजन प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक विकासखण्ड में किया गया। इस अवसर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक एवं सामर्थ्य प्रदर्शन संबंधी आयोजन कराये गये हैं।

3.2.2.10 शालाओं को अनुदान

शाला आकस्मिक अनुदान - शासकीय प्राथमिक शालाओं को रु. 5000/- एवं माध्यमिक शालाओं को रु. 7000/- शाला आकस्मिक निधि शाला शिक्षा कोष में उपलब्ध कराई गई।

शाला रखरखाव अनुदान — प्रति शाला रुपये 5000 (3 कक्षा तक) से रु.10,000 (3 से अधिक कक्षा) वार्षिक के मान से वितरित किये गये।

3.2.2.10.1 मदरसों का आधुनिकीकरण

मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड में पंजीकृत 1897 मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाकर इसके शिक्षकों को प्रशिक्षण, प्रत्येक मदरसे को शाला आकस्मिक निधि के रूप में रु. 5000/- प्रति मदरसा राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इन मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक दर्ज बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं।

3.2.10.2 शासकीय संस्कृत शालाएं

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अंतर्गत पंजीकृत कुल 174 शासकीय संस्कृत शालायें प्रदेश में संचालित हैं। इन शालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण, प्रत्येक शाला को आकस्मिक निधि के रूप में रु. 5000/- प्रति शाला राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इन शालाओं में नामांकित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं।

3.2.2.11 शिक्षक प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु प्रतिवर्ष सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2017-18 में प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाईन प्रोसेस द्वारा शिक्षकवार सूची प्रशिक्षण की तिथियों में बैचवार जारी की गई जिससे सभी शिक्षकों की उपस्थिति समय पर एवं पूरे प्रशिक्षण में समय-सारिणी अनुसार रही। इस वर्ष विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये उनका विवरण निम्नानुसार है—

1. कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए NCERT पाठ्यपुस्तकों पर आधारित प्रशिक्षण:— इस वर्ष NCERT पाठ्यपुस्तक पर आधारित गणित एवं विज्ञान विषय में निर्मित पाठ्यपुस्तकों एवं लर्निंग आऊटकम पर 5 दिवसीय डाईट स्तर पर 44320 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में से 38029 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण मॉड्यूल के रूप में राज्य स्तर से निर्मित टीचर गाईड प्रदान की गई है। जो NCERT की कक्षा 6 से 8 तक की गणित एवं विज्ञान की किताबों के साथ प्रशिक्षण में उपयोग की गई है। कक्षा 6 से 8 SRG राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किये गये। तत्पश्चात् इन SRG द्वारा ही 6-6 DRG राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किये गये जिनके द्वारा सीधे शिक्षकों को डाईट स्तर पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर से स्रोत व्यक्ति तैयार किये गये हैं और उन्हीं के द्वारा सीधे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। ताकि ट्रांसमिशन लॉस कम से कम हो। मास्टर ट्रेनर के रूप में भी अच्छे शिक्षकों का चयन कर ऑनलाईन सूची बनाकर आदेश जारी किये गये हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्री-टेस्ट व पोस्ट-टेस्ट तथा फीड बैक लिया गया एवं उसका विश्लेषण कर रिकार्ड तैयार किया गया है। जो शिक्षकों की कक्षा शिक्षण में

कार्य करने हेतु काफी मदद एवं उपयोगी होगा। शिक्षकों ने प्रशिक्षण को काफी उत्साह एवं रोचक तरीके से सहभागितापूर्वक ग्रहण किया। जो गुणवत्ता बढ़ाने में एक सकारात्मक प्रयास है।

2. कक्षा 3 से 5 के शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण:— कक्षा 3 से 5 तक के ऐसी शालाओं के शिक्षक जो एक से अधिक हैं, उन्हें सर्वप्रथम NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित गणित एवं पर्यावरण अध्ययन में निर्मित प्रशिक्षण मॉड्यूल (शिक्षक गाईड) पर 5 दिवसीय विकासखंड स्तर पर 75353 शिक्षकों में से 70114 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। दूसरे चरण में वे शिक्षक जो एक शिक्षकीय शाला में थे उन्हें कक्षा 1 से 5 तक के समस्त विषयों में 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्य हेतु शिक्षकों की उपस्थिति प्रशिक्षण के समय सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाईन आदेश जारी किये गये। शिक्षकों ने बड़े ही रुचिपूर्वक तरीके से प्रशिक्षण में सहभागिता की। साथ ही टीचर गाईड को पाठ्यपुस्तकों से जोड़कर प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण हेतु सर्वप्रथम राज्य स्तर पर एसआरजी प्रशिक्षित किये गये। इन एसआरजी द्वारा संभाग स्तर पर IASE/CTE पर MT तैयार किये गये। इन MT द्वारा विकासखंड स्तर पर शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

3. कक्षा 1 एवं 2 के शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण:— कक्षा 1 एवं 2 के लिए नामांकित शिक्षक को कक्षा 1 एवं 2 की गणित, अंग्रेजी एवं हिन्दी में 6 दिवसीय विकासखंड स्तर पर प्रथम संस्था के सहयोग से लर्निंग आउटकम को जोड़ते हुए 34200 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। शिक्षकों की प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाईन आदेश जारी किये गये। राज्य स्तर पर 102 डीआरजी प्रशिक्षित किये गये डीआरजी द्वारा 4-6 विकासखंडवार आवश्यकतानुसार डाईट स्तर पर एमटी प्रशिक्षित किये गये हैं। हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, में लर्निंग आउटकम को समाहित करते हुए प्रशिक्षण मॉड्यूल सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण में उपलब्ध कराये गये हैं।

4. जनशिक्षा केन्द्र स्तरीय प्रशिक्षण:— समस्त सेवाकालीन कक्षा 1 एवं 2, कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 3 से 5 के शिक्षकों के प्रशिक्षण उपरांत 1-1 दिवस प्रतिमाह फालोअप के रूप में जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर दिसम्बर से फरवरी माह तक गैर आवासीय शैक्षिक संवाद आयोजित किया गया है। इसमें लिखा प्रशिक्षण शैड्यूल राज्य से निर्धारित किया गया है, जिसमें उसी क्रम में प्रशिक्षण का आयोजन जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी द्वारा डाईट/डीपीसी की निगरानी में किया जाता है।

5. हेडमास्टर प्रशिक्षण:— इस वर्ष वार्षिक कार्ययोजना में लगभग 6000 वास्तविक प्रधान अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाना था, जो छात्रों की वार्षिक परीक्षा को ध्याम में रखते हुए निरस्त किया गया है। इस आगामी सत्र में आयोजित किया जायेगा।

6. शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण:— वर्ष 2017-18 में नव निर्मित शालाप्रबंधन समिति के लगभग 19 लाख सदस्यों को शाला स्तर पर लर्निंग आउटकम, एसएमसी के कार्य एवं उत्तरदायित्व, स्वास्थ्य, सफाई, सेनिटेशन आदि में प्रशिक्षित किया गया है। इन माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर द्वारा प्राथमिक शाला के हेडमास्टर तथा इसके उपरांत प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के हेडमास्टर द्वारा शाला स्तर पर समस्त शालाप्रबंधन समिति के सदस्यों को 1-1

दिवस तीन माह में 1 दिवस प्रतिमाह गैर अवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। एसएमसी प्रशिक्षण में राज्य स्तर से निचले स्तर तक यूनिसेफ द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है।

7. **जीवन कौशल प्रशिक्षण:**— राज्य के ऐसे जिले जहां फीमेल लिटरेशी रेट तुलनात्मक रूप से कम है जैसे— भिण्ड, दतिया, मुरैना, ग्वालियर, अलीराजपुर, झाबुआ जिलों के माध्यमिक शाला के 3164 शिक्षकों 6 को दिवसीय किशोरावस्था आयु के बच्चों के लिए इंदौर एसआरसी एवं यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर लगभग 3164 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

8. **जागरूक नागरिक अन्तर्गत मूल्य परक प्रशिक्षण:**— रामकृष्णमिशन संस्था दिल्ली के द्वारा जागरूक नागरिक अन्तर्गत मूल्य परक कार्यक्रम अन्तर्गत भोपाल जिले के फंदा एवं बैरसिया तथा सीहोर जिले के बुधनी विकासखंड के चयनित माध्यमिक शाला से 1-1 शिक्षक को प्रशिक्षित किया गया है। इन के लिए कक्षा 6 से 8 हेतु प्रशिक्षण सामग्री/मॉड्यूल रामकृष्ण मिशन द्वारा डिजिटल एवं मॉड्यूल के रूप में तैयार कर शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान प्रदान की गई है। साथ ही सीएसआर फंड के तहत भोपाल जिले के 96 माध्यमिक विद्यालय तथा सीहोर जिले के 27 स्कूलों में एलसीडी प्रोजेक्टर विथ सोलर पेनल प्रदान किये गये हैं। इससे शिक्षक बच्चों को शाला में प्रशिक्षण सामग्री ऑनलाईन दिखाकर प्रशिक्षित कर रहे

9. **शाला सिद्धि पर प्रशिक्षण:**— पूर्व वर्ष में प्रशिक्षित बाह्यमूल्यांकन कर्ता एवं आंतरिक मूल्यांकन कर्ता एवं हेडमास्टर को जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर followup किया गया है।

10. **अन्य प्रशिक्षण:**—PFMIS (Public Finance, Monitoring and Information System) में Mis Coordinator, APCF को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। NAS (National Achievement Survey) प्रतिभापर्व पर डाइट स्तर पर राज्य शिक्षा के निर्देशानुसार प्रशिक्षित किया गया है।

11. **ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से अंग्रेजी का प्रशिक्षण:**— ELTI (English Language Training Institute) RSK द्वारा ब्रिटिश काउंसिल एवं यूनिसेफ के सहयोग से उज्जैन संभाग के उज्जैन मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर-मालवा देवास एवं सीहोर जिले के प्राथमिक शिक्षकों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित SRG एवं MT द्वारा संबंधित जिले की डाइट पर 7 दिवसीय 9000 शिक्षकों को शिक्षक शिक्षा मद से आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

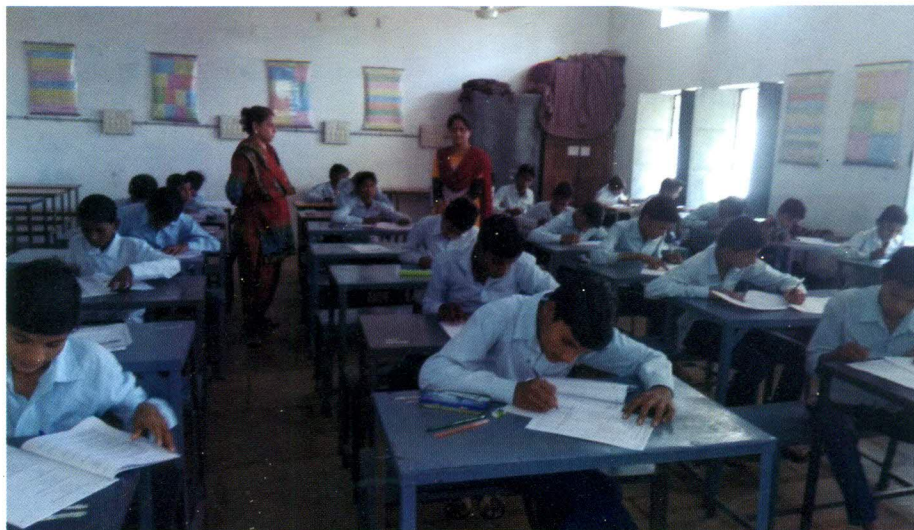
3.2.2.12 प्रतिभा पर्व

प्रदेश में “प्रतिभा पर्व” के नाम से व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किया जाता रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शालेय व्यवस्था व संचालन एवं अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों का जायजा लिया जाता है। इसमें शिक्षक, प्रधानाध्यापक, जनशिक्षक, बीएसी, बीआरसी, बीईओ, संकुल प्राचार्य, एपीसी, डीपीसी, डाइट प्राचार्य व डाइट फेकल्टी, डीईओ, सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास), प्राचार्य शास. शिक्षा

महाविद्यालय व फेकल्टी, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आदि हर स्तर के अधिकारी/कर्मचारी को उत्तरदायी बनाया गया है।

प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के अन्तर्गत प्रमुख रूप से शालेय व्यवस्था मूल्यांकन एवं शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रतिभा पर्व का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता की सही-सही स्थिति ज्ञात करना एवं नियमित अन्तराल पर प्रगति की समीक्षा करना, बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रति शासन की प्रतिबद्धता एवं प्राथमिकता दर्शाना एवं समाज को संवेदित करना, प्रदेश के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार हेतु कार्यक्रम व रणनीति निर्धारित करना, अपेक्षित दक्षता हासिल न कर पाने वाले बच्चों के लिए निदानात्मक/उपचारात्मक कदम उठाना, बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रति शिक्षकों, शिक्षा प्रशासन, जन प्रतिनिधियों एवं समाज को उत्तरदायी बनाना, शाला संचालन व शालेय सुविधाओं की सही-सही स्थिति ज्ञात करना तथा आवश्यक सुधार करना है।

प्रतिभा पर्व का आयोजन प्रदेश में एक साथ दिनांक 5-7 दिसम्बर, 2017 की अवधि में किया गया, जिसमें सभी प्राथमिक शालाएं एवं माध्यमिक शालाएं सम्मिलित हुईं। प्रतिभा पर्व का तीसरे दिवस बालसभा का आयोजन वार्षिक उत्सव के रूप में किया गया। बालसभा का संचालन बाल-केबिनेट के द्वारा किया गया। बालसभा के अन्तर्गत शाला प्रबन्धन समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों व बच्चों के पालकों को आमंत्रित करके बच्चों के सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत कर उनके मनोबल को बढ़ाने की प्रक्रिया की गयी, साथ ही समुदाय की सहभागिता भी सुनिश्चित की गयी। इस वर्ष प्रतिभा पर्व के कक्षा-3, 5 व 8 के प्रश्नपत्रों को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के टूल्स अनुरूप विकसित किया गया। साथ ही बच्चों की उत्तरपुस्तिकाओं का प्रश्नवार विश्लेषण (Analysis based on Item Response Theory-IRT) किया जा रहा है। इस विश्लेषण के आधार पर बच्चों व शिक्षकों के अकादमिक गेप्स को चिह्नित कर सुधारात्मक प्रयास किए जा सकेंगे। प्रतिभा पर्व अंतर्गत कक्षा-6 व 7 में चयनित शाला सिद्धि शालाओं में गणित व विज्ञान विषय में ओएमआर शीट के माध्यम से बाह्य मूल्यांकन कराया गया। इस परिणाम का विश्लेषण करके 'शाला मित्र' की सहायता से सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है।



प्रतिभा पर्व के परिणामों के विश्लेषण में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक जिले, ब्लाक एवं स्कूल स्तर पर प्राप्त परिणामों के आधार पर सुधार के प्रयास किए जाएंगे।

3.2.2.13 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (National Achievement Survey-NAS) 2017

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी के सहयोग से देशभर में एक साथ दिनांक 13 नवम्बर, 2017 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (NAS) 2017 कक्षा-3, 5 व 8 में कराया गया। यह सर्वे प्रथम बार आरटीई के तहत अधिसूचित लर्निंग आउटकम्स पर आधारित कराया गया। इस सर्वे में प्रदेश के सभी 51 जिलों के कुल 8789 विद्यालय 1,46,175 विद्यार्थी शामिल हुए। इस सर्वे के आंकड़ों का विश्लेषण कर एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक जिले का 'जिला रिपोर्ट कार्ड' जारी किया गया।

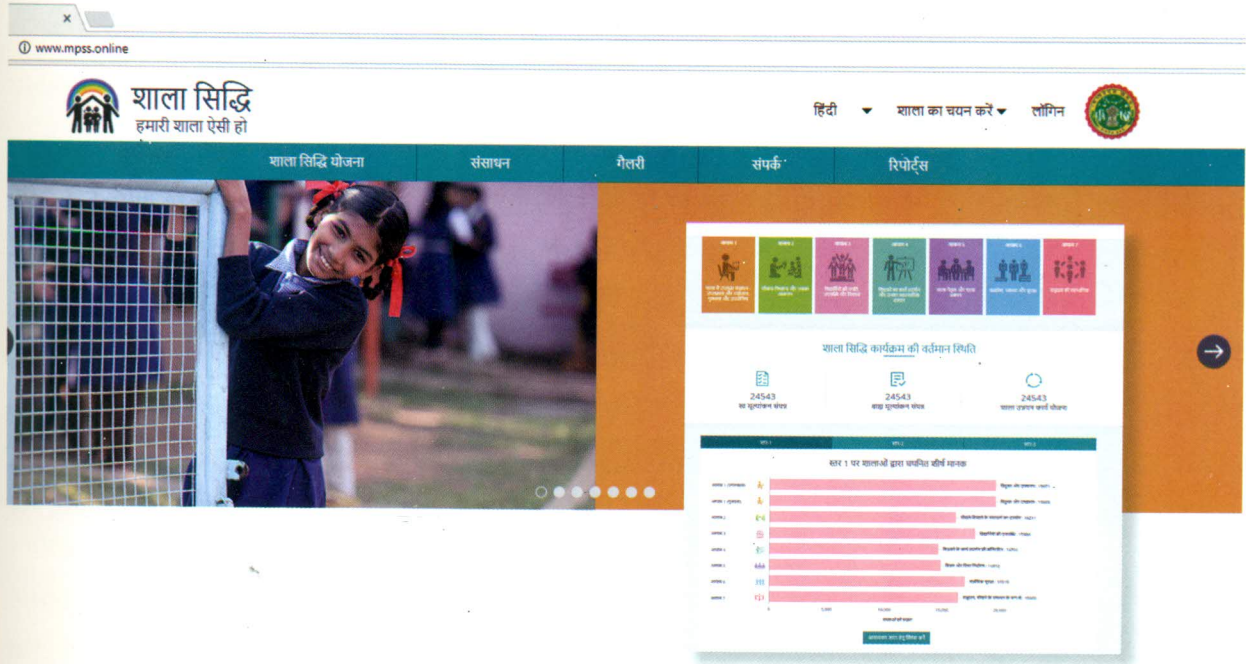
उक्त जिला रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त स्थिति का विश्लेषण कर उपलब्धि स्तर में सुधार के लिए जिले की स्थिति अनुसार फोलोअप गतिविधियां यथा- सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रभावी टीएलएम निर्माण आदि करने की योजना है।

3.2.2.14 सतत्-व्यापक मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation)

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 व एन.सी.एफ. 2005 की अनुशंसाओं के दृष्टिगत म. प्र. में सतत्-व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) का क्रियान्वयन वर्ष जुलाई, 2010 से लागू किया गया।

सीसीई प्रक्रिया को अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश की 234 शालाओं में सीसीई पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया गया और फील्ड ट्रायल से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नवीन सीसीई मार्गदर्शिका विकसित की गई है। फील्ड से प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित मूल्यांकन निर्देश वर्ष 2017-18 में जारी किए गए हैं, इनमें शैक्षिक क्षेत्रों, सह-शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत-सामाजिक गुणों को मूल्यांकन में समावेशित किया गया है। इस वर्ष विशेष रूप से स्व-मूल्यांकन प्रपत्र, अवलोकन प्रपत्र, पोर्टफोलियो प्रोफाइल प्रपत्र को सीसीई के नवीन टूल्स के रूप में लागू किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सीसीई का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

3.2.2.15 हमारी शाला ऐसी हो- शाला सिद्धि कार्यक्रम



विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए विगत वर्षों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रयास किए गए हैं। दक्षता संवर्धन जिला अकादमिक गुणवत्ता सुधार योजना, प्रतिभा पर्व, हमारी शाला कैसी हो, शाला गुणवत्ता कार्यक्रम जैसे कई प्रयास इसके उदाहरण हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में NUEPA (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) द्वारा शालाओं के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु एक फ्रेमवर्क "शाला सिद्धि" तैयार किया गया है जिसे दिनांक 7.11.2015 को प्रारम्भ किया गया। इस फ्रेमवर्क को आधार मानते हुए प्रदेश में किए गए पूर्व प्रयासों के अनुक्रम में राज्य की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को केन्द्रित करते हुए शालाओं के मूल्यांकन और उन्नयन के लिए "हमारी शाला ऐसी हो" कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम द्वारा शाला स्वयं का सतत मूल्यांकन एवं बाह्य मूल्यांकन कर चिन्हित क्षेत्रों में शाला उन्नयन की कार्य योजना बनाकर शाला का समग्र विकास कर सकेंगी।

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शाला सिद्धि-"हमारी शाला ऐसी हो" कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 में प्रदेश के प्रत्येक जिले से प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र से 4 प्राथमिक एवं 4 माध्यमिक शालाएं (1-1 डी अथवा ई ग्रेड सहित) कुल 24792 शालाएं चयनित की गईं। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 4 चरणों में किया गया, ये चरण हैं- स्व-मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, शाला उन्नयन कार्य योजना का निर्माण व शाला उन्नयन कार्य योजना अनुसार सुधार हेतु कार्यवाही करना। इन चरणों की प्रक्रिया निम्नानुसार पूर्ण की गई-

1. शालाओं द्वारा अपना स्व-मूल्यांकन, निर्धारित प्रपत्र में एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार किया गया; जो सात चरणों में पूरा होता है। इससे शालाओं को अपनी वर्तमान स्थिति एवं उन आयामों और मानकों जिनमें सुधार किया जाना है, की जानकारी स्पष्ट हुई है।
2. तत्पश्चात् बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार शालाओं का बाह्य मूल्यांकन किया गया।
3. उक्त स्व-मूल्यांकन व बाह्य मूल्यांकन के आधार पर शालाओं द्वारा सभी शिक्षकों व शाला प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) के साथ मिलकर निर्धारित प्रपत्र पर अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर शाला उन्नयन की कार्य योजना बनाई गई। इस कार्ययोजना में कौन से कार्य, कैसे एवं कब किसके द्वारा किए जाएंगे इसका विवरण है।
4. विकासखण्ड, जिले/राज्य स्तर के मनोनीत अधिकारी व बाह्य अकादमिक विशेषज्ञ भी शाला मूल्यांकन के आयामों एवं मानकों में शाला द्वारा किए गए स्वमूल्यांकन पर अपनी टीप एवं मार्गदर्शन दिया गया।
5. इस कार्यक्रम में बेहतर कार्ययोजना निर्माण एवं समय-सीमा में उक्त कार्ययोजना का क्रियान्वयन किए जाने के लिए शाला सिद्धि-“हमारी शाला ऐसी हो” प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का प्रावधान भी किया गया है। इसके अंतर्गत विकासखंड पर तीन प्राथमिक एवं तीन माध्यमिक शालाओं तथा इनमें से सर्वश्रेष्ठ पर तीन प्राथमिक एवं तीन माध्यमिक शालाओं का चयन जिले स्तर पर किया गया।
6. वर्ष 2017-18 प्रतिभा पर्व के दौरान जिलों के 15800 अधिकारियों द्वारा शाला सिद्धि शालाओं शाला मित्र के रूप में को गोद लिया गया एवं उनमें कक्षा 6 एवं 6 में गणित और विज्ञान विषय का मूल्यांकन स्वयं किया गया।
7. प्रत्येक विकासखंड के एक जनशिक्षा केन्द्र को उत्कृष्ट जनशिक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित किया जाकर इसकी शाला सिद्धि शालाओं द्वारा अन्य शालाओं के लिए मेंटर की भूमिका का निर्वहन किया जाएगा। शेष जनशिक्षा केन्द्रों में प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र की चार शाला सिद्धि शालाएं अन्य शालाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।
8. प्रत्येक संकुल की शाला सिद्धि की एक अग्रणी माध्यमिक शाला को लर्निंग किट प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

3.2.2.16 शिक्षा में गुणवत्ता हेतु अन्य गतिविधियाँ

देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके “प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992” के आधार पर विकसित शैक्षिक रणनीतियों में प्रमुख रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जाता रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) और सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के उद्देश्यों में सभी बच्चों के नामांकन, ठहराव और उपलब्धि को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। विद्यार्थियों की सीखने की सामग्री, सिखाने की विधियों और शैक्षिक सुविधाओं के साथ-साथ, शिक्षकों की शिक्षा और उनके कार्य

करने के तरीकों की मॉनीटरिंग को भी उपयोगी और परिणाम मूलक बनाने की दिशा में सतत प्रयास किये गये हैं। वर्ष 2002 में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार जन शिक्षा अधिनियम 2002 एक विशेष पहल थी जिसके माध्यम से प्रदेश के बच्चों के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को अधिनियमित किया गया और सभी हितधारकों के कर्तव्य भी निर्धारित किये गये।

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रत्येक बच्चे को सीखने के सामर्थ्य को सहज स्वीकार करने तथा उनके सीखने के दौरान ही ज्ञान-निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधि अवधारणा को विकसित किये जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.) 2005 में विशेष रूप से रचनावादी दृष्टिकोण के साथ शिक्षण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। एन.सी.एफ. 2005 और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रदेश स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के विकास हेतु किये जा रहे प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं -

(i) पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं गुणवत्ता विकास

- कक्षा 1 से 7 एवं 9 के पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, गणित विषयों में NCERT पुस्तकों का को अभिग्रहित किया गया है। कक्षा 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन एवं गणित, कक्षा 6, 7, 9 में विज्ञान एवं गणित तथा कक्षा 11 के लिए गणित संकाय, जीव विज्ञान संकाय तथा वाणिज्य संकाय की सत्र 2017-18 में NCERT पुस्तकें अभिग्रहण की गईं।
- कक्षा 1 से 8 तक के (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू माध्यम) समस्त विषयों, कक्षा 9 से 10 तक के (हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम) समस्त विषयों एवं कक्षा 11 एवं 12 के भाषा की पाठ्यपुस्तकों (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू) एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 11 व 12 की (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) कुल 123 पाठ्यपुस्तकों को अद्यतन किया गया।
- गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL) लगभग 16005 प्राथमिक शालाओं में प्रदेश में लागू हैं।
- संस्था NEG-FIRE (New Education Group-Foundation for Innovation and Research in Education) के सहयोग से मण्डल व डिण्डौरी जिले में बैगा व गौड़ी भाषा पर 10 पुस्तकों का सेट तैयार किया गया। दोनों जिले में 15-15 शालाओं पर स्थानीय भाषा पर पायलेट प्रोजेक्ट किया गया।
- राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा एक "टीचर हैण्डबुक" तैयार की गई है। यह पुस्तिका कक्षा 1 से 8 के लिए प्रत्येक विषय में तैयार की गई है। जिसके माध्यम से कक्षा कक्ष में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को एक पुस्तक के रूप में समेकित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से अवधारणा क्षेत्र, पैडागॉजिकल प्रक्रिया, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन आओ करके सीखें व लर्निंग आउटकम्स हैं।
- राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अन्तर्गत मेन्टर संस्थाओं (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इन्दौर, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल व भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल) के सहयोग से बच्चों में विज्ञान व गणित में रुचि उत्पन्न करने हेतु कार्ययोजना तैयार की गई। प्रदेश की तीन मेन्टर संस्थाएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इन्दौर, मौलाना आजाद राष्ट्रीय

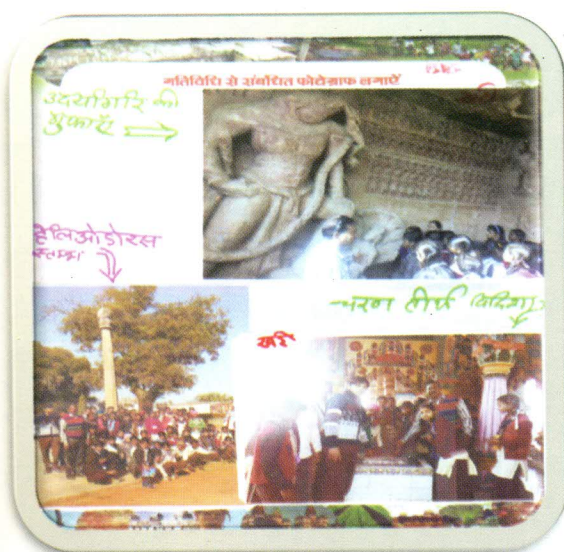
प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल व भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल है। प्रदेश की स्कूलों में बच्चों को विज्ञान एवं गणित में रुचि जागृत करने हेतु मॉडल, प्रदर्शनी, शिक्षकों की सहायता करने की योजना है।

- आंचलिक विज्ञान केन्द्र के सहयोग से प्रदेश के चयनित जिलों में मोबाइल विज्ञान वैन का भ्रमण सुनिश्चित कराया गया। उक्त मोबाइल वैन में विज्ञान के चलित मॉडल का प्रदर्शन करते हुए विज्ञान की अवधारणाओं को स्पष्ट किया गया।



- **आस-पास की खोज** — आस-पास की खोज प्रोजेक्ट का आयोजन प्रदेश की समस्त 30341 माध्यमिक शालाओं में किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं अन्वेषी प्रवृत्ति के विकास हेतु विशेष नवाचारी पहल की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ कराई जाती हैं। जैसे— स्थानीय लोक गीतों का संकलन, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थलों, रीति-रिवाजों, परंपराओं एवं तीज-त्यौहारों आदि की जानकारी

एकत्रित करना आदि। छात्रों को 14 थीम्स सुझावात्मक गतिविधियों सहित दी गई हैं, इन गतिविधियों के आयोजन हेतु रुपये 3000/- की राशि प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराई गई है।



- **विज्ञान मित्र क्लब** — विद्यार्थियों को दैनिक परिवर्तनों एवं अवलोकनों के वैज्ञानिक कारणों को तक्रसम्मत व स्वतंत्र सोच से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करने एवं अंध-विश्वास, रुढ़िवादिता, कुरीतियों को समाप्त करने हेतु वैज्ञानिक तथ्य खोजने के उद्देश्य से सभी माध्यमिक शालाओं में विज्ञान मित्र क्लब स्थापित किए गए हैं। जिनमें 9 विभिन्न क्षेत्रों पर गतिविधियाँ सुझाते हुए रुपये 3000/- की राशि विद्यालयों को जारी की गई है तथा 3 हाउस बनाते हुए गतिविधियाँ जनवरी माह तक संचालित की जानी है। उनका अभिलेखीकरण करने हेतु सभी माध्यमिक विद्यालयों को रंगीन "अन्वेषिका" जिले से मुद्रित करके प्रदान की गई है।
- **मेथ्स ओलम्पियाड** — प्रदेश प्रथम बार जूनियर मेथ्स ओलम्पियाड का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सत्र 2016-17 में कक्षा 7 व 8 की शासकीय माध्यमिक शालाओं के अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की गई। जूनियर गणित ओलम्पियाड के प्रथम चरण 24842 विद्यार्थियों द्वारा पंजीयन कराया गया था। जिसमें से 614 विद्यार्थियों द्वारा आयोजित द्वितीय चरण की प्रतियोगिता में सहभागिता की गई, द्वितीय चरण में सफल 121 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता के 10 सफल विद्यार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिल बाँचें मध्यप्रदेश के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में पुरुस्कृत किया। यह परीक्षा सत्र 2017-18 में भी आयोजित की जा रही है।

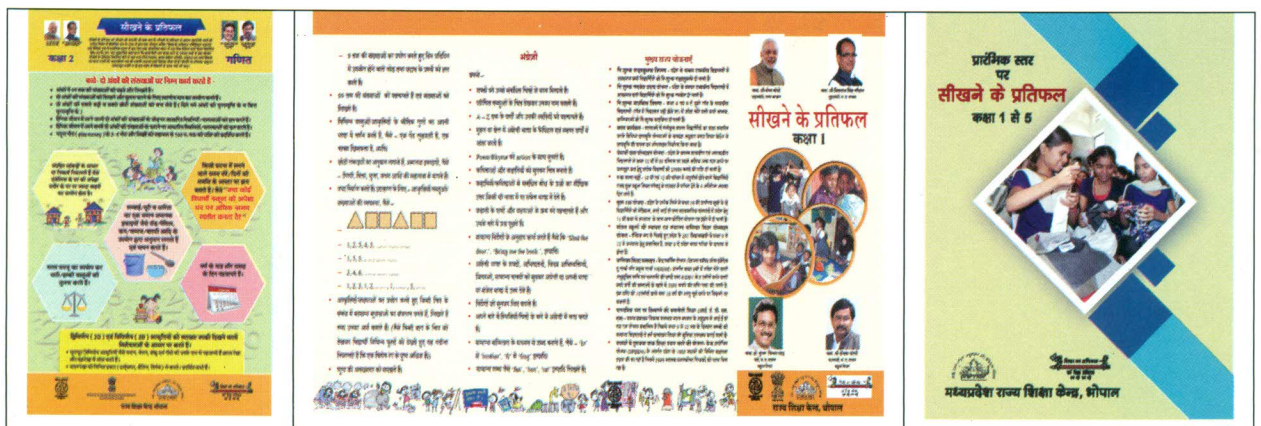
- **सीखने के प्रतिफल** — सीखने की सम्प्राप्ति अर्थात् सीखने के प्रतिफल से आशय है कि बच्चे को सत्र के अंत में क्या-क्या दक्षताएँ प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसे शैक्षिक अपेक्षाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। सीखने के प्रतिफल को कक्षावार व विषयवार तैयार किए गए हैं। यह सीखने की सम्प्राप्ति आंकलन के मानक या आंकलन के बेंच मार्क के रूप में चिह्नित किए गए हैं। यह सामग्री तीन स्वरूप में तैयार की गई है।

1. पोस्टर
2. ब्रोशर
3. पुस्तिका (प्राथमिक एवं माध्यमिक पृथक-पृथक)

पोस्टर शाला स्तर पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिससे बच्चे, शिक्षक व पालक यह जान सकेंगे कि संबंधित कक्षा व विषय में सत्रान्त तक क्या-क्या दक्षताएँ पूर्ण कराई जाएँगीं।

ब्रोशर हितग्राहियों यथा पालक, समुदाय के सदस्यों को प्रदाय किया जाएगा जिससे वह यह जान सकें कि उनके बच्चे को सत्रान्त तक क्या-क्या सीख जाना चाहिए।

सीखने के प्रतिफल पर आधारित पुस्तिका दो पृथक-पृथक स्वरूप में तैयार की गई है जिसे प्रदेश की समस्त प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में उपलब्ध कराया गया है। यह पुस्तिका शाला स्तर पर संधारित की जाएगी।



- **सक्रिय अधिगम प्रविधि (ALM)** — प्रदेश की समस्त माध्यमिक शालाओं में सक्रिय अधिगम प्रविधि के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक जिले के तीन ब्लॉक जो पूर्व से ALM चयनित है। उनकी शालाएँ 14,438 ALM मॉडल 01 की शालाएँ हैं जिनमें प्रत्येक कालखण्ड 90 मिनट्स का अर्थात् प्रतिदिवस 03 कालखण्डों में अध्यापन होता है, जबकि जिले के शेष विकासखण्डों की शालाएँ ALM मॉडल की शालाएँ कहलाती हैं। इनमें प्रत्येक कालखण्ड 45 मिनट्स अर्थात् प्रतिदिवस 06 कालखण्ड लगाए जाते हैं।

- **“मिल बाँचें मध्यप्रदेश कार्यक्रम”** – ‘मिल-बाँचें मध्यप्रदेश कार्यक्रम’ के नाम से प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में एक साथ एक दिवस में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त आयोजन में माननीय जनप्रतिनिधिगण, सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/सेवक, निजी क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर व्यक्ति, शालाओं के पूर्व छात्रों द्वारा स्वेच्छा से स्कूल चलें हम पोर्टल पर पंजीयन कराकर दिनांक 26 अगस्त 2017 को शालाओं में उपस्थित होकर बच्चों से संवाद स्थापित किया गया।

उक्त आयोजन में प्रदेश के लगभग 2 लाख 15 हजार व्यक्तियों ने स्वयं को पंजीकृत किया। लगभग एक लाख छियान्वे हजार व्यक्तियों द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2017 को शालाओं में पहुँचकर बच्चों के साथ संवाद स्थापित करते हुए बच्चों को सह-शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में विशेष सहयोग प्रदान किया गया। उपस्थित व्यक्तियों में से 33,165 व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक बार शालाओं में उपस्थित होने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले वॉलंटियर द्वारा शाला की आवश्यकताओं के आधार पर ‘प्रणाम पाठशाला’ के अन्तर्गत दान देने वाले इच्छुक व्यक्ति द्वारा बच्चों एवं शाला को उपहार प्रदाय किए गए जिसमें पेन, पेसिल, कॉपी, वॉटल से लेकर टेबलेट व कम्प्यूटर तक शामिल हैं। ‘मिल-बाँचें मध्यप्रदेश’ के अन्तर्गत प्रदेश के अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले साथियों का भी सहयोग मिला। उक्त आयोजन बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से सफल रहा।





- कहानी उत्सव — भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना 'पढ़े भारत — बढ़े भारत' के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से 'कहानी उत्सव' का आयोजन प्रारंभ किया गया है।
- वर्तमान समय में शिक्षण प्रक्रिया वहाँ नीरस हो जाती है, जहाँ शिक्षक बच्चों को कोई कहानी नहीं सुनाते हैं और न ही उस पर खुलकर चर्चा करते हैं। ऐसी कक्षा में शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता। बच्चे खुलकर शिक्षक से अपनी जिज्ञासा को उजागर नहीं कर पाते और यह बच्चों के सीखने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। शिक्षक को कहानी कहने की कला अर्जित करनी चाहिए, जिससे बच्चों के पठन-पाठन की प्रक्रिया में रोचकता उत्पन्न हो। हमारे प्रदेश के नौनिहालों में कहानी के माध्यम से व्यवस्था, अनुशासन, एकाग्रता, भाषा विकास, इतिहास बोध, लोक संस्कृति से परिचय कराने की दृष्टि से कहानी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रयास किया गया जिसमें प्रदेश के उत्कृष्ट कहानी वाचक का चयन दो समूह में किया जाने की प्रक्रिया सम्पूर्ण प्रदेश की शालाओं से प्रारंभ होकर आज राज्य स्तर पर आयोजित हो रही है। यह प्रतियोगिता दो समूहों में आयोजित की गई जिसमें
 1. प्रथम समूह शासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 5 से 8 तक के बच्चे और
 2. द्वितीय समूह शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में अध्यापन कार्य करा रहे शिक्षक।

उक्त आयोजन सम्पूर्ण प्रदेश में शाला स्तर पर आयोजित किए गए। जिसमें बच्चों, पदस्थ शिक्षकों द्वारा कहानी सुनाने हेतु प्रेरित किया गया। सर्वाधिक श्रेष्ठ कहानी सुनाने वाले सदस्य को (प्रत्येक समूह से एक सदस्य) का चयन किया गया। उक्त चयनित सदस्य जन शिक्षा केन्द्र स्तर पर आयोजित होने वाले 'शैक्षिक संवाद' में से किसी एक दिवस, जो जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी द्वारा नियत किया गया, पर उक्त चयनित सदस्यों को 'कहानी सुनाने' का अवसर दिया गया। जन शिक्षा केन्द्र स्तर से प्रत्येक समूह में एक-एक सदस्य का चयन कर विकासखण्ड स्तर पर 'कहानी-उत्सव' का आयोजन किया गया। विकासखण्ड स्तर पर प्रत्येक विकासखण्ड स्तर से प्रत्येक समूह से न्यूनतम एक सदस्य का चयन किया जाकर इन चयनित सदस्यों को जिला स्तरीय 'कहानी-उत्सव' में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया। जिले स्तर से प्रत्येक समूह में

एक-एक सर्वश्रेष्ठ सदस्य का चयन किया जाकर, राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले 'कहानी-उत्सव' में सहभागिता का अवसर दिया गया। राज्य स्तर पर उक्त 'कथा-उत्सव' 25 अगस्त 2017 को IASE, (प्रगत शैक्षिक संस्थान) भोपाल (म.प्र.) में आयोजित किया गया। राज्य स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को 'मिल-बाँचें मध्यप्रदेश कार्यक्रम' में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया गया।

- सत्र 2017-18 से कक्षा 3 से 8 के छात्रों के लिए गतिविधि पुस्तिका का निर्माण किया गया है। गतिविधि पुस्तिका विषयवार न होकर कक्षावार तैयार की गयी। जिसमें समस्त विषयों को समेकित किया गया है।

(ii) हेडस्टार्ट एवं स्मार्ट क्लास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत 2589 जनशिक्षा केन्द्रों में हेडस्टार्ट केन्द्र हैं। हेडस्टार्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी के सॉफ्टवेयर स्थानीय परिवेश और बच्चों के सीखने के अनुरूप विकसित किए गए हैं। विभिन्न विषयों पर कई सी.डी. विकसित की जा चुकी हैं। इसके अलावा एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्मित कार्यक्रम की सी.डी. भी इन केन्द्रों को उपलब्ध करायी गयी हैं।

माननीय मुख्यमंत्रीजी की स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की घोषणा की पूर्ति करने के परिपेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में 1380 माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा चुकी है। स्मार्ट क्लास में एक लेपटॉप, 42" टेलीविजन तथा यू.पी.एस. प्रदाय किया गया है।

ज्ञान पिटारा के अन्तर्गत कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा (सी.ए.एल.) के लिए विषयवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री जैसे वीडियो, आडियो, पीडीएफ तथा अन्य उपयोगी लिंक अपलोड की गयी हैं।

चिन्हित स्मार्ट क्लास के प्रधानाध्यापक को माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रदेश में 8 स्थानों पर माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है।

(iii) विशेष प्रशिक्षणों का आयोजन

एडूसेट कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र में स्थापित एडूसेट स्टूडियो से एम.एड., बी.एड. तथा डी.एल.एड. के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित कैलेंडर के अनुसार वर्चुअल कक्षाओं का नियमित रूप से संचालन किया जाता है। प्रदेश में शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जनपद शिक्षा केन्द्रों में 64 सेटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल (SIT) स्थापित हैं, जिनका उपयोग प्रशिक्षण तथा सर्व शिक्षा अभियान की समस्त गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है। प्रशासन अकादमी में स्थापित हब के द्वारा अपलिंक/डाउनलिंक सुविधा का उपयोग किया जा रहा है।

(iv) निर्माण कार्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शालाओं के लिए अधोसंरचना विकास का कार्य किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान मद अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का प्रकार	वर्ष 2017-18 तक स्वीकृत कार्यों की प्रगति	
		लक्ष्य	पूर्ण कार्य
1	बी.आर.सी. भवन	84	84
2	नवीन प्राथमिक शाला भवन	26796	26134
3	नवीन माध्यमिक शाला भवन	19711	19017
4	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक/माध्यमिक)	126816	117449
5	प्रधानाध्यापक कक्ष	12460	10610
6	शौचालय- बालक/बालिका/सी. डब्ल्यू एस.एन	94896	92771
7	पेयजल सुविधा	18723	18644
8	आवासीयों विद्यालयों का निर्माण	15	14
9	बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	5491	5491
10	शाला भवन मरम्मत कार्य	2370	167

स्वच्छ विद्यालय मिशन के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण

स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अन्तर्गत प्रदेश के एक ही परिसर में स्थित समस्त शालाओं में पृथक-पृथक बालक एवं बालिका शौचालयों का निर्माण वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में किया गया है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना	कुल स्वीकृत	पूर्ण	बजट (करोड़ में)
1	सर्वशिक्षा अभियान	8540	8540	83.47
2	स्वच्छता कोष	1204	1204	12.34
3	नगरीय प्रशासन	229	229	3.20
4	आई.ए.पी.	197	197	2.75
5	सांसद निधि	789	789	11.04
6	विधायक निधि	253	253	3.54
7	जन भागीदारी/पंचपरमेश्वर	1130	1130	15.82
8	राज्य बजट एवं विशेष पी.ए.बी.	14747	14747	197.37
9	केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम	19184	19184	256.53
10	शौचालय मरम्मत	8762	8762	38.49

- (i) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में 414 प्राथमिक जीर्ण-शीर्ण भवन, 99 माध्यमिक जीर्ण-शीर्ण भवन हेतु नवीन भवन, शहरी क्षेत्र की 25 शालाओं में स्थाई पेयजल सुविधा, 120 से अधिक छात्र संख्या वाली शालाओं में 449 बालिका शौचालय, 420 बालक शौचालय की स्वीकृति तथा 1708 प्राथमिक एवं 662 माध्यमिक शालाओं के मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृति दी गई है उक्त उद्देश्य हेतु राशि जारी की जाकर कार्य प्रारंभ किये गये हैं।
- (ii) यूनिसेफ की सहायता से सभी जिलों के लिए स्वच्छ विद्यालय अभियान अन्तर्गत राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिसमें जिले स्तर से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु नामांकन प्रक्रिया एवं सत्यापन हेतु जानकारी दी गई साथ ही कार्ययोजना बनाने तथा छात्रों में स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन हेतु गतिविधियों की जानकारी दी गई।
- (iii) शाला शौचालयों की नियमित साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु अंतर्विभागीय संयोजन से उक्त कार्य करने हेतु निर्देश जारी किये गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की पंचपरमेश्वर योजना से शौचालयों की नियमित साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु निर्देश जारी किये गये हैं, तथा शहरी क्षेत्र की शालाओं में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शिक्षा उपकर की राशि से संपादित करने के निर्देश जारी किये गये।
- (iv) प्रदेश के 312 छात्रावासों में शिक्षक आवास गृह निर्माण हेतु राशि रु. 2496.00 लाख की योजना वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक राज्य मद से उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है।
- (v) "मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना" अन्तर्गत राज्य मद से विगत वर्ष 10490 शालाओं में विद्युत संयोजन राशि रुपये 1320.70 लाख का कार्य किया जा चुका है। राज्य मद अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक शेष 97291 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में विद्युत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।
- (vi) राज्य मद अंतर्गत 6039 शासकीय माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर की सुविधा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक राशि रुपये 10000.00 लाख, 3954 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में स्थायी पेयजल स्रोत राशि रुपये 4465.00 लाख, से उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

3.2.3 साक्षर भारत योजना

भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 08 सितंबर 2009 के अवसर पर साक्षर भारत योजना का शुभारंभ किया गया। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार मध्यप्रदेश के 37 (विभाजित 42) जिलों में जहां महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है में नवीन साक्षर भारत योजना लागू की गई है। योजना क्रियान्वयन के क्रम में मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार से योजना क्रियान्वयन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60 : 40 के अनुपात में योजना का वित्तीय

पोषण नियमानुसार किया जा रहा है। राज्य स्तर से जिला एवं विकासखंड स्तर तक वित्तीय विनिमय हेतु अथोराइजेशन जारी किया जाना योजना की निर्देशिका में है। इसी अनुसार आवश्यकता का आकलन करते हुए योजना गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य स्तर से समय-समय पर अथोराइजेशन जारी कर अनुदान की विभिन्न स्तरों पर पूर्ति की जाती है।

उद्देश्य

- (i) असाक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना।
- (ii) नवसाक्षर व्यक्तियों की शिक्षा को बरकरार एवं समतुल्यता कार्यक्रम के तहत उनकी योग्यता को बढ़ाना।
- (iii) नवसाक्षरों के जीविकोपार्जन हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देना।
- (iv) सीखने वाले समाज का निर्माण करना और नवसाक्षरों की शिक्षा को सतत बनाये रखना।

योजना के लक्ष्य

- (i) 80 प्रतिशत साक्षरता की दर प्राप्त करना।
- (ii) साक्षरता में लैंगिक अनुपात 10 प्रतिशत तक घटाना।
- (iii) क्षेत्रीय, सामाजिक एवं लैंगिक असमानता को घटाना।
- (iv) पूर्व में लागू योजनाओं की तुलना में योजना का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर 15 वर्ष से अधिक के समस्त निरक्षरों को योजनान्तर्गत लाना।

लक्षित समूह

- (i) ग्रामीण महिला
- (ii) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक।
- (iii) अन्य ऐसे समूह जिनको विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हो पाये हैं।
- (iv) आदिवासी जिले एवं क्षेत्र में निवासी जन।

भारत सरकार द्वारा 5146288 नवसाक्षरों को बुनियादी साक्षरता से जोड़ने का लक्ष्य प्रदान किया है। इस क्रम में अब तक 08 नवसाक्षर परीक्षाओं का आयोजन प्रदेश में किया गया है जिसमें अब तक कुल 5223872 नवसाक्षरों को बुनियादी साक्षरता से जोड़ा गया है।

मध्यप्रदेश में साक्षर भारत योजना के अंतर्गत हुए नव साक्षरों को प्रदेश में संचालित स्वच्छता अभियान, जनधन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जीवन ज्योति योजना एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं से जोड़ा गया साथ ही नव साक्षरों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया जिससे शाला त्यागी बच्चों का प्रतिशत भी कम हुआ। इन कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए अंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर दिनांक 08.09.2017 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में महामहिम माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा मध्यप्रदेश को निम्नानुसार निम्न राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान किये गये:-

1. राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (राज्य शिक्षा केन्द्र) भोपाल, मध्यप्रदेश ।
2. राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर मध्यप्रदेश ।
3. जिला लोक शिक्षा समिति, टीमकगढ मध्यप्रदेश ।



3.2.4 शिक्षक-शिक्षा सुदृढीकरण

केन्द्र प्रवर्तित शिक्षक शिक्षा सुदृढीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, भोपाल एवं इसके अधीन संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के दृष्टिगत शिक्षक प्रशिक्षण को सशक्त और बेहतर करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-17 में शिक्षक शिक्षा योजना का पुनरीक्षण एवं संस्थानों का सुदृढीकरण किया गया है।

शिक्षक शिक्षा सुदृढीकरण हेतु सेवाकालीन एवं सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में निम्नानुसार कार्यवाही की गई है—

3.2.4.1 सत्र 2017-18 में भारत सरकार द्वारा राज्य की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के आवर्ती मद के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन के लिए राशि रुपए 3,083.60 लाख का अनुमोदन दिया गया है, जिसमें केन्द्रांश राशि रुपए 1,850.16 (60 प्रतिशत) लाख एवं राज्यांश राशि रुपए 1,233.44 लाख (40 प्रतिशत) है। राज्य के शिक्षा महाविद्यालयों (आई.ए.एस.ई. एवं सीटीई) का क्षेत्रीय स्तर पर मेण्टर इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं के साथ समन्वय किया जा

रहा है। आई.ए.एस.ई. भोपाल को शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थान (Institute of Excellence) के रूप में विकसित करने की योजना है।

3.2.4.2 वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 47 डाइट्स में से 43 डाइट्स द्वारा डी.एल.एड. नियमित पाठ्यक्रम संचालित है। शेष डाइट्स को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालन करने की मान्यता प्रक्रियाधीन है। इन सीट्स पर प्रवेश के लिए संबंधित शिक्षक को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश प्रदान किये जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की नियमावली अनुसार गठित फीस विनियामक समिति द्वारा डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारित किये गये हैं।

शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों हेतु संस्थान विकास समिति गठित है। इन समितियों की नियमित बैठक आयोजित कर स्थानीय प्रबंधन एवं संसाधनों का सुदृढीकरण किया गया है।

3.2.4.3 प्रदेश में शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को बी.एड. पाठ्यक्रम में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित करने हेतु 1,385 स्थान उपलब्ध हैं। 3,463 अप्रशिक्षित शिक्षकों को डी.एल.एड. पाठ्यक्रम (नियमित) में डाइट द्वारा तथा पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण के द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 40 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश प्रदान कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी अनुक्रम में एम.एड. पाठ्यक्रम में 223 शिक्षकों को प्रवेश दिया गया।

3.2.4.4 सतत शिक्षा के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु पी.एच.डी. प्रवेश के अर्हताधारी सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षकों को पी.एच.डी. हेतु प्रशासकीय अनुमति प्रदान की जा रही है।

3.2.4.5 शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा संचालित सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों का डी.एल.एड. प्रशिक्षण

भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) में संशोधन करते हुए सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के व्यावसायिक योग्यता हासिल करने की अवधि को 31.03.2019 तक बढ़ाया गया है। इसमें यह लेख किया गया है कि ऐसे सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक (शासकीय/अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत) जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं की है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए यह योग्यता 31.03.2019 तक हासिल करना अनिवार्य होगा। बड़ी हुई समय सीमा में सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) के द्वारा ओपन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग (ओ.डी.एल.) माध्यम से डी.एल.एड. प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

प्रदेश में अद्यतन स्थिति के अनुसार 1,63,649 शिक्षक इस कार्यक्रम में पंजीकृत हैं। कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या के आधार पर अध्ययन केन्द्रों को चिन्हित किया गया है। यह अध्ययन केन्द्र प्रत्येक 100 छात्र पर 01 के आधार पर वर्तमान स्थिति के आधार पर लगभग 1650 केन्द्रों की स्थापना की गई है। व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम एवं अन्य अकादमिक गतिविधियों के लिए लगभग 5000 रिसोर्स पर्सन चिन्हांकित किये गए हैं। शासकीय शिक्षकों के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/सी.टी.ई./आई.ए.एस.ई. को अध्ययन केन्द्र चिन्हित किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रशिक्षणार्थियों के लिए निर्धारित संख्या में परीक्षा केन्द्रों का चिन्हांकन किया जाएगा। पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा माह अप्रैल मई 2018 में तथा अंतिम वर्ष की परीक्षा मार्च 2019 में आयोजित की जाएगी।

3.2.4.6 सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित गतिविधियों में सहयोग

शिक्षार्थियों में अधिगम की प्रक्रिया पुष्ट करने के लिए संचालित नवाचारी गतिविधियों के लिए परिषद् एवं अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा आवश्यक सामग्री का विकास, नवाचारी प्रयोग प्रविधि हेतु शिक्षक-प्रशिक्षक तथा शिक्षकों के उपयोगार्थ प्रशिक्षण सामग्री विकास, प्रशिक्षण एवं अकादमिक मॉनिटरिंग एवं अनुसमर्थन का कार्य सतत् रूप से किया गया –

- प्रदेश की चयनित कुल 16005 प्राथमिक शालाओं में गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम (एबीएल) संचालित है। जिसके अंतर्गत सतत् अकादमिक सहयोग दिया गया।
- प्रदेश की 14288 माध्यमिक शालाओं में सक्रिय अधिगम प्रविधि मॉडल (ए.एल.एम.) एवं शेष माध्यमिक शालाओं में (ए.एल.एम.) 2 बाल केन्द्रित प्रविधि में प्रदेश के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का उन्मुखीकरण किया गया है। प्रत्येक एएलएम विद्यालयों को विभिन्न विषयों के शब्दकोश, ग्लोब, चार्ट आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रविधि में शिक्षकों का लगातार सहयोग किया जा रहा है।

3.2.4.7 प्रारम्भिक शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता हेतु शासन द्वारा विभिन्न शैक्षिक योजनाएँ संचालित की जाती है। इन योजनाओं के सफल एवं गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन हेतु प्रभाग द्वारा उनका मूल्यांकन अपने अंतर्गत आने वाली आंतरिक संस्थाओं— प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASE) शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, (CTE) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (DIET) राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान तथा प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाओं से शोध अध्ययनों के रूप में करवाया जाता है।

शोध से प्राप्त निष्कर्ष एवं अनुशंसाओं के आधार पर वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण तथा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। सत्र 2017-18 में प्रभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं—

- 09 मध्यावधि शोध प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASE)/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs), 08-लघु अवधि शोध जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, 558 क्रियात्मक अनुसंधान प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASEs)/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा 175 M.Ed Dissertation प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASEs)/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs) द्वारा करवाए जा रहे हैं।
- इस सत्र में प्रतिभा पर्व के उद्देश्यों, प्रक्रिया एवं अकादमिक अंतरालों का आकलन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का अन्य बच्चों के साथ समावेशन, सक्रिय अधिगम प्रविधि, परस्पर रेडियो सम्वाद कार्यक्रम का प्रभाव, विज्ञान किट की उपयोगिता, कहानी प्रविधि की शिक्षण में प्रभावशीलता, विज्ञान मित्र क्लब से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिरुचि, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में अध्ययनरत बालिकाओं में

व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वसुरक्षा के प्रति जागरुकता, शैक्षिक सम्वाद की प्रभावशीलता, शाला सिद्धि हमारी शाला ऐसी हो के प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की प्रभावशीलता, CWSN छात्रावास के बच्चों को प्रदाय शैक्षिक सुविधाओं का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव, बाल सभा का विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं स्वशैक्षिक विकास पर प्रभाव आदि विषयों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं।

- सभी जिलों में क्रियात्मक अनुसंधान विषय पर दो चरणों में प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।
- शोध कार्यों की मॉनीटरिंग समय-समय पर प्रत्येक स्तर पर की जाती है।

3.2.5 मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना

केन्द्र प्रायोजित स्कीम मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM) के अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्तमान में 1642 मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें 3748 स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षक लाभान्वित हो रहे हैं तथा 214 नवीन मदरसों के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु वर्ष 2017-18 भेजे गये हैं जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। इन शिक्षकों को भारत सरकार से प्रतिवर्ष आवर्ती वित्तीय सहायता रु. 72,000/- प्रति शिक्षक के मान से तथा नवीन मदरसों हेतु एक बार रु. 50,000/- पुस्तकालय हेतु, रु. 15000/- साईंस किट हेतु तथा माध्यमिक स्तर के मदरसे को कम्प्यूटर लेब हेतु एक बार रु. 1,00,000/- दिये जाते हैं एवं पाँच-पाँच हजार रु. कम्प्यूटर लेब एवं पुस्तकालय के रख-रखाव हेतु प्रति वर्ष दिये जाते हैं।

3.2.6 नेशनल स्कीम फार इनसेनटिव टु गर्ल्स फार सेकण्डरी ऐज्यूकेशन (एन.एस.आई.जी. एसई) (National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education) (NSIGSE)

नेशनल स्कीम फार इनसेनटिव टु गर्ल्स फार सेकण्डरी ऐज्यूकेशन (NSIGSE) भारत सरकार की पूर्णतः केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना अन्तर्गत शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाली सभी वर्गों की पात्र बालिका के खाते में 3000/- (राशि तीन हजार रुपए मात्र) की राशि केन्द्र सरकार द्वारा जमा की जाती है जिसे वे कक्षा 10 वी उत्तीर्ण करने तथा 18 वर्ष की आयु अविवाहित होने पर राशि आहरित करने हेतु पात्र होती है। वर्ष 2016-17 से भारत सरकार की इस योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल "(National Scholarship Portal (NSP) के माध्यम से On-line जानकारी जिले/संस्थाओं के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। वर्ष 2016-17 में समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से 127194 एवं वर्ष 2017-18 में (National Scholarship Portal (NSP) पर लगभग 126135 हितग्राही बालिकाओं के द्वारा Online आवेदन किया गया है।

3.2.7 इंस्पायर अवार्ड योजना

भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना प्रदेश के युवाओं में किया गया एक ऐसा निवेश है, जो विज्ञान के अध्ययन एवं अनुसंधान को विकसित करता है। इसका उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के बीज बोना, उनका पोषण करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उनकी विज्ञान में रुचि बढ़ाना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। इस योजना हेतु प्रदेश के सभी शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक, हाईस्कूल, उ. मा. विद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय, केन्द्रीय स्कूल (सेन्ट्रल स्कूल) नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं केन्द्र सरकार के अन्य विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 10वीं तक नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी पुरस्कार के पात्र होते हैं। शैक्षणिक सत्र 2016-17 में भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इन्सपायर अवार्ड योजना की संकल्पना को संशोधित करते हुए योजना का नाम इन्सपायर अवार्ड मानक योजना किया गया है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम देशभर के पाँच लाख विद्यालयों के स्कूली बच्चों (प्रत्येक विद्यालय से दो सर्वश्रेष्ठ विचार (Innovation) के लगभग 10 लाख नवाचारों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में मान्यता प्राप्त शासकीय एवं निजी अनुदान प्राप्त विद्यालयों के 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग और 6वीं-10वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आड्रियाँस को शामिल किया जाना है। इसके तहत भारत सरकार को ऑन लाईन आड्रियाँस अग्रेषित किये गये हैं। विगत वर्षों में योजनान्तर्गत लाभान्वित छात्र/छात्राओं का विवरण निम्नानुसार है:-

स.क्र	शैक्षणिक सत्र	योजना	लाभान्वित छात्र/ छात्राओं की संख्या
1	2014-15	इंस्पायर अवार्ड	17954
2	2015-16	इंस्पायर अवार्ड	14916
3	2016-17	इंस्पायर अवार्ड मानक	3826

उक्त छात्रों को मॉडल निर्माण हेतु प्रति छात्र राशि रुपये 5000/- (पाँच हजार) भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सीधे छात्रों के बैंक खाते में स्थानान्तरित की गई है।

3.3 अन्य योजनाएँ/गतिविधियाँ

3.3.1 माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश

3.3.1.1 बेस्ट फाईव पद्धति

माध्यमिक शिक्षा मण्डल में की परीक्षा प्रणाली में सुधार के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत कक्षा 10वीं में "बेस्ट फाईव" पद्धति लागू की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जिन 06 विषयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा ली जाती है, उन में से जिन 05 विषयों में विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक हो, परीक्षा परिणाम की गणना हेतु उन 05 विषयों के अंकों को ही लिया जायेगा। परीक्षाफल "बेस्ट फाईव" पद्धति से जिन 05 विषयों में अधिकतम अंक होंगे उनको महायोग में सम्मिलित करके परीक्षाफल घोषित किया जावेगा, परन्तु पांच विषयों में (सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक/Project) में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। छट्वां विषय जिसमें सबसे न्यूनतम अंक होंगे, की गणना महायोग में नहीं की जावेगी। छटवें विषय के अंक, अंकसूची में मात्र प्रदर्शित किये जावेंगे।

हाईस्कूल बोर्ड परीक्षाओं में "बेस्ट फाईव" पद्धति अपनायी जाने से न केवल परीक्षार्थियों का मानसिक तनाव को दूर किया जा सकेगा, बल्कि प्रदेश के छात्रों-छात्राओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा।

3.3.1.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा के पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किया जाना

शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा वर्ष 2017-18 में व्यवसायिक परीक्षा के 07 नवीन ट्रेड को जोड़ा गया तथा हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2017-18 में व्यवसायिक परीक्षा के 02 ट्रेड की परीक्षा ली जावेगी। इस योजना में हाईस्कूल के छात्र तृतीय भाषा या व्यवसायिक विषय के 09 ट्रेड में से किसी एक ट्रेड का चयन कर सकता है। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी परीक्षा के छात्र द्वितीय भाषा या व्यवसायिक विषय के 02 ट्रेड में किसी एक ट्रेड का चयन कर सकता है।

3.3.1.3 म.प्र. में ऐच्छिक विषय के रूप में एन.सी.सी.

माध्यमिक शिक्षा मण्डल में वर्ष 2017-18 से हाईस्कूल बोर्ड परीक्षाओं में एन.सी.सी. को ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। ऐच्छिक विषय की ग्रेड अंकसूचियों में प्रदर्शित की जावेगी। इसके उद्देश्य है कि एन.सी.सी. विषय के प्रति छात्र-छात्राओं में ओर अधिक रुझान उत्पन्न हो सके तथा प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं में रक्षा सेवाओं की भांति अनुशासन, समर्पण, देश-भक्ति की भावना जागृत विकसित हो सके।

3.3.1.4 अंकसूचियों में QR Code की व्यवस्था

माध्यमिक शिक्षा मण्डल में बोर्ड परीक्षाओं की अंकसूचियों में प्रमाणीकता, सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2016-17 से अंकसूचियों में QR Code की व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था से जाली अंकसूचियों पर रोक लगेगी तथा विभिन्न शासकीय कार्यालय, संस्थाएं स्वयं ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल का QR Code डाउनलोड कर अंकसूचियों को सत्यापित कर सकेंगे, तथा छात्र-छात्राएं, शासकीय कार्यालय एवं संस्थाओं को सत्यापन संबंधी कार्य हेतु सुविधा होगी।

3.3.1.4 अंकसूची संशोधन का विकेन्द्रीकरण

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दस्तावेजों में संशोधन हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणों के निराकरण की नवीन विकेन्द्रित एवं पूर्णतः ऑन-लाइन व्यवस्था लागू की गई है। नवीन व्यवस्था में किसी भी प्रकार के संशोधन के आवेदन कियोस्क के माध्यम से किये जा सकते हैं। आवेदन जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। समन्वयक संस्था प्राचार्य, परीक्षण उपरान्त संशोधन योग्य प्रकरण मण्डल मुख्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किये जाते हैं। मण्डल मुख्यालय द्वारा संशोधित दस्तावेज आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से प्रेषित किए जाते हैं।

3.3.1.5 दिव्यांग (दृष्टिहीन, मूक-बधिर) छात्रों हेतु पृथक से परीक्षा कार्यक्रम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 की बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग (दृष्टिहीन, मूक-बधिर) नियमित/स्वाध्यायी छात्र-छात्राओं हेतु पृथक से परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है, जारी परीक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक विषय में काफी अंतराल रखा गया है जिससे कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी में समय मिल सके। इन छात्रों के लिये परीक्षा का समय भी दोपहर 1.00 बजे से रखा गया है, जिससे कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं को परीक्षा केन्द्र में पहुंचने में असुविधा नहीं हो।

3.3.1.6 कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों को बोर्ड परीक्षा शुल्क में छूट

मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक बी-2807 के अनुपालन में कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षाओं में वर्ष 2017-18 से परीक्षा शुल्क में पूर्णतः छूट प्रदान की गई है।

3.3.1.7 मोबाइल एप

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से निम्नानुसार सेवाओं/सुविधाएं छात्र-छात्राओं हेतु प्रदान की जा रही है :-

- डुप्लीकेट डाक्यूमेंट प्राप्त किये जाने की सुविधा।
- प्रवेश पत्र प्राप्त करने की सुविधा।

- परीक्षा परिणाम प्राप्त करने की सुविधा।
- पुर्नगणना के आवेदन प्रेषित किये जाने की सुविधा।
- उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति हेतु आवेदन प्रेषित किये जाने की सुविधा।
- पूरक परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन प्रेषित करने की सुविधा।

3.3.1.8 हेल्पलाइन सेवा

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के दौरान एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा के उपरान्त होने वाले मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक तनाव व अन्य प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं के निदान तथा करियर काउंसलिंग एवं गाईडेंस हेतु हेल्पलाइन सेवा का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2017 में हेल्पलाइन सेवा दिनांक 01.02.2017 से प्रातः 08.00 से रात्रि 08.00 तक प्रारम्भ की गई। हेल्पलाइन सेवा विज्ञान केन्द्र स्थित हेल्पलाइन सेल में 04-04 घण्टे की 03 पारियों के माध्यम से संचालित की जाती है। प्रत्येक पारी में सामान्यतः 04 परामर्शदाता सेवा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होने वाले छात्रों को भी परामर्श प्रदान किया जाता है। इस वर्ष मण्डल द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु एक टोल फ्री नम्बर 18002330175 की भी व्यवस्था की गई तथा इस वर्ष कुल 74737 विद्यार्थियों के द्वारा हेल्पलाइन सेवा का लाभ प्राप्त किया गया।

परीक्षा के नाम से ही डर लगने लगता है। परीक्षाएं प्रारम्भ होने से लेकर परिणाम आने तक के दिन बहुत ही डरवाने होते जा रहे हैं। दिखावे की संस्कृति में बच्चों के साथ साथ माता पिता भी अंकों/रैंक को ही जीवन का सबकुछ समझने लगे हैं। अच्छे अंक/रैंक लाने के लिये बच्चों पर दबाव बनाते हैं, जिसके चलते आज की पीढ़ी इस तरह मानसिक तनाव एवं हताशा के दौर से गुजर रही है कि, बच्चे आत्महत्या के कदम उठाकर अपने बहुमूल्य जीवन का खात्म करने का प्रयास कर रहे हैं। यह अत्यंत चिन्ता का विषय है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा के पूर्व एवं परीक्षा के दौरान तथा परीक्षा परिणामों के पूर्व एवं परीक्षा परिणामों के पश्चात होने वाले मानसिक तनाव, अकादमिक एवं मनोविज्ञानिक समस्याओं के निदान हेतु मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष हेल्पलाइन सेवा संचालित की जा रही है।

मण्डल द्वारा संचालित हेल्पलाइन सेवा के अन्तर्गत चयनित काउंसलर्स द्वारा मनोवैज्ञानिक तथा अकादमिक पैनल द्वारा विद्यार्थियों की अकादमिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसलर्स द्वारा विद्यार्थियों को कैरियर गाईडेंस भी प्रदान किया जाता है।

हेल्पलाइन सेवा सामान्यतः प्रत्येक वर्ष माह जनवरी से प्रारम्भ होकर पूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने तक संचालित की जाती है। हेल्पलाइन सेवा प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक चार-चार घण्टे की तीन पारियों में संचालित की जाती है। हेल्पलाइन सेवा अवकाश दिवसों में भी संचालित की जाती है। प्रत्येक पारी में चार-चार काउंसलर्स निम्न दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर्स पर उपलब्ध रहकर काउंसलिंग

प्रदान करते हैं तथा विद्यार्थी एवं अभिभावकगण व्यक्तिगतरूप से हेल्पलाइन कक्ष में उपस्थित होकर भी परामर्श प्राप्त करते हैं :-

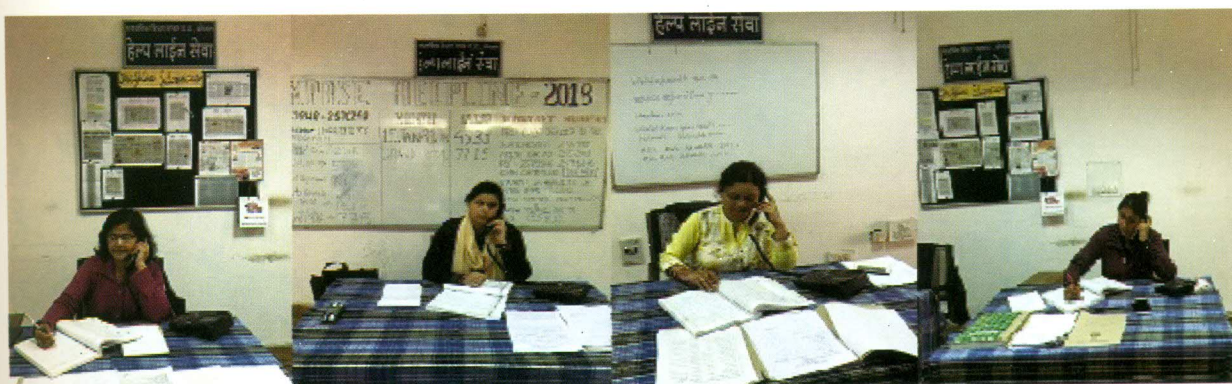
टोल फ्री क्रमांक की दो लाइन्स

18002330175

दूरभाष क्रमांक

0755 — 2570248 एवं 2570258

इस हेल्पलाइन सेवा में बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, याद करने का सही तरीका, एकाग्रता एवं भूलने की समस्या, विषय विशेषज्ञों की सहायता से विषय की कठिन अवधारणाओं का समाधान, परीक्षा संबंधी निर्देश, विद्यार्थियों हेतु आहार एवं विहार, अवसाद, भय एवं दुश्चिन्ताओं को दूर कैसे किया जावे, कैरियर एवं विषय चयन हेतु मार्गदर्शन, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, परीक्षाओं में लिखने का सही तरीका आदि जानकारीयां विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को प्रदान की जाती हैं।



3.3.1.9 ऑनलाइन काउंसलिंग

वर्ष 2017 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश की समस्त 51 जिलों में स्थित मण्डल की समन्वयक संस्थाओं में अध्ययनरत कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के समय एवं परीक्षा के पश्चात होने वाले मानसिक तनाव, अकादमिक समस्याएं, अन्य प्रकार की व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निदान एवं विद्यार्थियों की मनोदशा के अनुरूप उनको ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु योरदोस्त के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग सेवा दिनांक 01 सितम्बर 2017 से प्रारम्भ की गई।

3.3.1.10 अंग्रेजी भाषा के कौशल में सुधार हेतु ब्रिटिश काउंसिल का प्रोजेक्ट

ब्रिटिश काउंसिल एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि, शिक्षण गतिविधियों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर कार्य करती है। ब्रिटिश काउंसिल भारत वर्ष देश में लगभग 50 वर्ष से अंग्रेजी भाषा शिक्षण एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सहायता प्रदान कर रही है। संस्था के विश्वव्यापी अनुभव को देखते हुए अंग्रेजी भाषा शिक्षण एवं सीखने के लिए ब्रिटिश काउंसिल का चयन किया गया है। यह प्रोजेक्ट 2018 से 2022 तक कार्य करेगा। प्रोजेक्ट के तहत अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा शिक्षण के साथ साथ संप्रेक्षण कौशल (कम्यूनीकेशन स्किल) बढ़ाने हेतु जोर दिया जावेगा। साथ ही बच्चों को अंग्रेजी भाषा सीखने एवं अंग्रेजी भाषा बोल चाल हेतु विशेष ध्यान दिया जावेगा। अंग्रेजी भाषा सीखने की नई-नई विधियों के माध्यम से सरलता से अंग्रेजी भाषा सिखाना। कक्षा 9 से 12 तक अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों को छात्र केन्द्रित तकनीक के माध्यम से सिखाना। शिक्षकों को संप्रेक्षण कौशल निरंतर व्यावसायिक विकास (कन्टीन्यूईंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट) के पाठ्यक्रम में सहभागिता करना जिससे उनकी अंग्रेजी भाषा के कौशल, उनके ज्ञान एवं उनकी कक्षाओं में पढ़ाने की नवीन तकनीक को सीख सकें।

3.3.1.11 पैरेंटिंग काउन्सलिंग

मॉडल स्कूल भोपाल में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में स्कूल के साथ-साथ पालकों की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने के लिये पैरेंटिंग काउन्सलिंग की व्यवस्था की गई है।

3.3.1.12 मण्डल की परि-सम्पत्तियों का जीर्णोधार

मण्डल परिसर स्थित विश्राम गृह, स्वागत कक्ष एवं मण्डल परिसर स्थित उद्यान विकास कार्य हेतु कुल राशि रुपये 298.91 लाख से म0प्र0 लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा नवीनीकरण कराया जा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

मण्डल की रविशंकर नगर भोपाल स्थित आवासीय कालोनी, आंतरिक रोड एवं मण्डल मुख्यालय भवन का संधारण कार्य कुल राशि रुपये 450.00 लाख से रेनोवेशन का कार्य मण्डल की तकनीकी शाखा द्वारा संपादित कराया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित मॉडल स्कूल रीवा एवं संभागीय कार्यालय का आवासीय परिसर के पुनरुद्धार कार्य हेतु कुल राशि रुपये 967.81 लाख की डी.पी.आर. मण्डल कार्यपालिका समिति द्वारा स्वीकृत की गई है। उक्त कार्य म0प्र0 लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं मण्डल की तकनीकी शाखा द्वारा संपादित कराया जायेगा।

3.3.2 म.प्र. मदरसा बोर्ड

1. म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा उर्दू पत्रकारिता में एक वर्षीय उर्दू पत्रकारिता डिप्लोमा कोर्स माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। शासन से अनुमति चाही गई है।
2. म.प्र. मदरसा बोर्ड mponline के कियोस्क के माध्यम से मदरसों की मान्यता, नवीनीकरण, समिति पंजीयन व नवीनीकरण एवं परीक्षा आवेदन फार्म online से भरवाने की योजना प्रारंभ की गई है।

3. म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा बोर्ड की एक वेबसाईट प्रारंभ की गई है इसके अतिरिक्त mponline के कियोस्क के माध्यम से परीक्षा आवेदन फार्म online भरवाने की योजना प्रारंभ की गई है ।
4. मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से मदरसों की मान्यता संबंधी 04 सेवाएँ (नवीन मदरसा पंजीयन/नवीन मान्यता, मदरसा मान्यता का नवीनीकरण, मदरसा प्रबंध समिति का पंजीयन एवं मदरसा प्रबंध समिति का नवीनीकरण) लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित की गई है। अब इसके अनुसार ही आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।
5. शीघ्र ही मदरसों में स्मार्ट क्लासेज़ प्रारंभ करने की योजना है इस हेतु सांसद निधि से प्रथम चरण में प्रदेश के 11 मदरसों का चयन किया जाकर राशि स्वीकृत की गई है।
6. बेहतर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु मदरसा बोर्ड को ISO 9001:2008 प्रमाण पत्र – मध्यप्रदेश सरकार की ई-गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण पहल एवं संकल्पना को साकार करने हेतु म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा भी मध्यप्रदेश सरकार के अधिकृत पोर्टल “ एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड ” के माध्यम से समस्त 51 जिलों की 350 से अधिक तहसीलों में 10,000 से अधिक कियोस्क के द्वारा मदरसा पंजीयन, समिति पंजीयन, मदरसा मान्यता नवीनीकरण एवं समिति नवीनीकरण के आवेदन वर्ष 2014 से ऑनलाईन स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। इस सुविधा का लाभ मदरसा आवेदकों को मिल रहा है। वह अपने क्षेत्र के कियोस्क द्वारा ही आवेदन कर रहे हैं आवेदन उपरांत की गई कार्यवाही को बोर्ड SMS द्वारा आवेदक तक पहुंचा रहा है। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर भी अपने आवेदन की स्थिति को जानने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

इस बेहतर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिये मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, भोपाल को ISO 9001:2008 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।



7. मदरसों में स्मार्ट क्लासेज प्रारंभ करने की योजना – मदरसों में स्मार्ट क्लासेज प्रारंभ करने की योजना है इस हेतु माननीय राज्य सभा सांसद श्री एम.जे. अकबर जी द्वारा सांसद निधि से प्रथम चरण में प्रदेश के 11 मदरसों का चयन कर रु. 22 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। जिससे मदरसों में स्मार्ट क्लासेज प्रारंभ की जाएंगी।
8. मदरसा बोर्ड द्वारा कक्षा 08 वीं की परीक्षाएं NIOS के पेटर्न पर आयोजित करने की योजना – राज्य शासन द्वारा म.प्र. मदरसा बोर्ड को म.प्र. मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 की धारा 08 की उपधारा (2) (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा कक्षा 08वीं की परीक्षाएं NIOS के पेटर्न पर आयोजित की जाना प्रस्तावित है जिसमें ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक स्थिति अथवा परिवार के अन्य दायित्वों के कारण शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ कर स्कूल एवं मदरसों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके अथवा स्कूल छोड़ने वाले ऐसे सभी बच्चों, युवाओं को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दूरस्थ/ओपन शिक्षा प्रणाली से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जिससे साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा एवं अधिक से अधिक लोग साक्षर होकर अपनी रुची अनुसार आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे अथवा अपने दैनिक कार्यों को सुलभता से पूर्ण कर सकेंगे।
8. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अंतर्गत मदरसा बोर्ड की सेवाएं – मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित करने की सहमति प्रदान की गई तत्पश्चात लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ-भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2017 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र में इन सेवाओं को क्रमशः (42.1) मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिये बोर्ड से मान्यता, (42.2) मदरसा मान्यता का नवीनीकरण, (42.3) समिति पंजीयन, (42.4) समिति का नवीनीकरण इस प्रकार अधिसूचित किया गया एवं प्रकाशित किया गया। सेवा प्रदान करने के लिये समय-सीमा निश्चित की गई एवं समय-सीमा में सेवा का लाभ न मिलने पर अपील हेतु प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का भी निर्धारण किया गया।

3.3.3 मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद

3.3.3.1 रुक जाना नहीं योजना

उक्त योजना के तहत परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के चार अवसर प्रदान किये गये। परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए उनके पूर्व पाठ्यक्रम अनुसार ही प्रश्न पत्र तैयार कर परीक्षाएं सम्पन्न कराई गई। रुक जाना नहीं योजनान्तर्गत प्रवेश/परीक्षा आवेदन पत्र ऑन लाईन के माध्यम से भराये जाकर पहली परीक्षा जून, 2016 के दूसरे सप्ताह में प्रदेश के समस्त 51 जिला मुख्यालयों में बनाए गए परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई। इसी प्रकार दूसरी परीक्षा सितम्बर 2016, तीसरी परीक्षा दिसम्बर 2016 तथा चौथी परीक्षा जून 2017 में आयोजित की गई है। रुक जाना नहीं योजना के अन्तर्गत सम्मिलित परीक्षार्थियों के अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन संकलन केन्द्रों पर कराया जाकर प्रदेश में प्रथम बार सब्जेक्टिव डिजिटल मूल्यांकन का कार्य कराया गया। इसके तहत समस्त अमूल्यांकित उत्तर

पुस्तिकाओं की सर्वप्रथम स्कैनिंग कराई गई तथा स्कैन की गयी समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का कंप्यूटर की सहायता से मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों द्वारा डिजिटल मूल्यांकन किया गया। डिजिटल मूल्यांकन कराये जाने से मूल्यांकन कार्य में पारदर्शिता आई तथा परीक्षा परिणाम पारदर्शी रूप में समय सीमा के भीतर में घोषित किया जा सका।



प्रथम वर्ष की सफलता एवं परीक्षार्थियों के उत्साह को ध्यान रखते हुये इस योजना को 2017 एवं इसके बाद के वर्षों में जारी रखने का निर्णय लिया। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत दो अवसर क्रमशः जून एवं दिसम्बर में उपलब्ध होते हैं। चूंकि प्रथम अवसर का परीक्षा परिणाम जुलाई माह में ही प्राप्त हो जाता है, अतः जून में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में नियमित प्रवेश मिल जाता है। रुक जाना नहीं योजना 2017 के प्रथम चरण की परीक्षाएँ जून 2017 में एवं द्वितीय चरण की परीक्षाएँ दिसम्बर 2017 में संपन्न हुई। रुक जाना नहीं योजना की वर्ष 2016 एवं 2017 में संपन्न परीक्षाओं में पंजीकृत एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की जानकारी निम्नवत् है:-

स. क्र.	परीक्षा का नाम	कक्षा 10			कक्षा 12			कुल		
		पंजीकृत	उत्तीर्ण	प्रतिशत	पंजीकृत	उत्तीर्ण	प्रतिशत	पंजीकृत	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1	जून 2016	96311	11910	12.37	77176	25892	33.55	173487	37802	21.79
2	सितम्बर 2016	38774	14565	37.56	20001	11147	55.73	58775	25712	43.75
3	दिसम्बर 2016	6011	2961	49.26	2188	1354	61.88	8199	4315	52.53
	योग	141096	29436	20.86	99365	38393	38.64	240461	67829	28.21
4	जून 2017	41608	5252	12.62	42367	18400	43.43	83975	23652	28.17
5	दिसम्बर 2017	32397	14321	44.20	17735	10330	58.25	50132	24651	49.17
	योग	74005	19573	26.45	60102	28730	47.80	134107	48303	36.02

डिजीटल इंडिया के सपने को साकार करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद में प्रवेश फार्म ऑन लाईन, प्रवेश पत्र ऑन लाईन से प्राप्त करने, डिजीटल मूल्यांकन कार्य करने के साथ ऑन लाईन माइग्रेशन प्रमाणपत्र परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे परीक्षार्थियों को माइग्रेशन आसानी से उपलब्ध हो रहा है।

ओपन स्कूल के परम्परागत विद्यार्थियों की परीक्षाएं

रुक जाना नहीं योजना की परीक्षा के साथ-साथ ही ओपन स्कूल में परम्परागत परीक्षार्थियों की भी परीक्षाएं जून-2017 में आयोजित की गई इसमें कक्षा 10 वीं में 5752 तथा कक्षा 12 वीं में 5289 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए जिसमें से कक्षा 10 वीं में 1956 तथा कक्षा 12 वीं में 2556 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए।

इसी प्रकार ओपन स्कूल परम्परागत परीक्षार्थियों की द्वितीय चरण की परीक्षाएं दिसम्बर-2017 में आयोजित की गई हैं जिसमें कक्षा 10 वीं में 13875 तथा कक्षा 12 वीं में 8791 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। जिसमें दोनों परीक्षाओं में कुल 6578 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए।

प्रवेश शुल्क में छूट

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद में अनु.जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों, विकलांग छात्रों, महिलाओं एवं गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड को प्रवेश शुल्क में छूट दी गई है, जिससे इस वर्ग के कई विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

केन्द्रों को अनुदान

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद के अध्ययन केन्द्रों के सुदृढीकरण करने की दृष्टि से ओपन स्कूल की निधि से वर्ष 2015 में बैतूल एवं उज्जैन जिले के विद्यालयों को फर्नीचर हेतु कुल रु. 78,41,935/- का अनुदान प्रदान किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल शिक्षा परिषद के संकलन केन्द्र/परीक्षा केन्द्र/अध्ययन केन्द्रों में भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्माण हेतु वर्ष 2016 में रुपये 3.20 करोड़ की राशि परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार जिला स्तर पर बनाये गये संकलन केन्द्रों को एक-एक फोटोकापीयर मशीन मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल की निधि से प्रदान किए गये हैं। इसी प्रकार परीक्षा/अध्ययन केन्द्रों के सुदृढीकरण करने की योजना के तहत केन्द्रों के भवन मरम्मत/परिसर में अतिरिक्त निर्माण/फर्नीचर हेतु मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल की निधि से अनुदान प्रदान किए जाने की योजना है। इसी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल के संकलन केन्द्र शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भेल, बरखेडा, भोपाल को विद्यालय में अतिरिक्त निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाकर प्रदान किया जा चुका है।

कार्यालय भवन में वर्क स्टेशन की स्थापना

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल में कार्यालय भवन में 32 कर्मचारियों और 05 अधिकारियों के बैठने के लिए एक वर्क स्टेशन का निर्माण किया गया है। पूर्ण वातानुकूलित इस वर्क स्टेशन में समस्त स्टेशन को कम्प्यूटर प्रदान किया जाकर इसे आपस में लिंक किये जाने का कार्य किया गया है। उक्त वर्क स्टेशन में अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा बैठकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उक्त व्यवस्था से अधिकारियों/कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुझान एवं स्वस्थ कार्य प्रणाली को बल मिला है।



मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल कार्यालय में एक वर्चुअल कक्षाओं के सम्पादन हेतु एक स्टूडियो का निर्माण किये जाने का कार्य प्रगति पर है। उक्त स्टूडियो के निर्माण से इसी कार्यालय से प्रदेश में वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा सकेगी।

कार्यालय में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान मध्य प्रदेश द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत निर्धारित पुरस्कारों में निगम/मण्डल कटेगिरी में मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल कार्यालय को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।



मोबाइल एप

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से निम्नानुसार सेवाओं/सुविधाएं छात्र-छात्राओं हेतु प्रदान की जा रही है :-

- योजनाओं एवं परीक्षाओं की जानकारी
- परीक्षा फार्म भरने की सुविधा
- परीक्षा टाइम टेबिल
- प्रवेश पत्र प्राप्त करने की सुविधा।
- परीक्षा परिणाम प्राप्त करने की सुविधा।

3.3.4 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान

3.3.4.1 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन एवं शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल की समेकित वेबसाइट www.mpssbhopal.org प्रारंभ कर दी गयी है।

तीनों संस्थाओं की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु फिल्म बनाई जाकर मोबाइल वेन द्वारा प्रचार की योजना बनायी गयी है। संस्थान से सम्बद्ध विद्यालयों के लिये वार्षिक शैक्षणिक कलेण्डर जारी किया गया। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल के सर्वसुविधा युक्त 4 मंजिला नवीन भवन हेतु लागत रु. 8.38 करोड़ स्वीकृत किये गये। इस भवन में 200 सीटर आडीटोरियम, गेस्ट हाऊस एवं कार्यालय की व्यवस्था है। नवम्बर माह से पीडब्लूडी (पीआईयू) द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा।



प्रदेश का पहला शासकीय माध्यमिक कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय भोपाल में प्रारंभ किये जाने की स्वीकृति दी हुई है। जहाँ कक्षा 6वीं से 8वीं तक संस्कृत माध्यम में शिक्षा दी जावेगी। इस विद्यालय के साथ 90 सीटर छात्रावास, निःशुल्क भोजन एवं शासन की समस्त सुविधाएँ रहेगी। यहाँ छात्रायेँ पारम्परिक एवं आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन कार्य करेंगी। व्यावहारिक ज्योतिर्विज्ञान, व्यावहारिक वास्तुशास्त्र एवं पौरोहित्य (कर्मकाण्ड) में एक वर्षीय रोजगारोन्मुखी डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोर्स प्रारंभ किया जाकर अनुसंधान एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गयी है। यहाँ प्रत्येक विधा में 30-30 सीटे इस प्रकार कुल 90 सीटें परमेरिट के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया की गई है। व्यावहारिक ज्योतिर्विज्ञान, वास्तुशास्त्र, योग एवं पौरोहित्य के ज्ञान एवं अनुसंधान को सामान्य जनों को परिचित कराने हेतु राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के समन्वय से 28 एवं 29 नवम्बर 2017 को व्यावहारिक ज्योतिर्विज्ञान की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।



संस्कृत साहित्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचित कराने के लिये संस्थान द्वारा दिनांक 29 मार्च 2017 को शोड़ष संस्कार नाटक एवं उड़ीसी नृत्य नाटिका आयोजित की गयी। इसी शृंखला में प्रदेश के 51 जिलों में विभिन्न संस्कृत नाटक जैसे शोड़ष संस्कार, मृच्छकटिकम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम्, संस्कृत साहित्य आधारित नृत्यनाटिकाओं एवं संस्कृत बेण्ड का मंचन किया जा रहा है। प्रदेश में संस्कृत और इसके विकास तथा संस्कृत शालाओं की स्थिति में सुधार के लिये गत 29 मार्च 2017 को भोपाल में राज्यस्तरीय संस्कृत सम्मेलन एवं नवसम्बत्सर महोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें देश के प्रख्यात संस्कृत विद्वानों द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

प्रदेश में पांच आदर्श संस्कृत विद्यालय, सिरोंज, दतिया, उज्जैन, बुरहानपुर एवं बरही (कटनी) में प्रारंभ किये जा चुके हैं। इन विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा के परम्परागत विधि से किये जा रहे अध्ययन को और भी अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिये आधुनिक पद्धति से भी शिक्षा का प्रावधान है। इन सभी विद्यालयों में संस्कृत और इसके साहित्य तथा प्राच्य संस्कृत को सम्मिलित करते हुये संस्कृत में ज्ञान की सम्बद्ध शाखाओं के अध्ययन की व्यवस्था की गयी है। संस्थान की विद्या परिषद् में कक्षा 1 से 12वी तक नवीन पाठ्यक्रम निर्मित कर संस्थान द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र के माध्यम द्वारा रु. 4.65 करोड़ स्वीकृत कर 58 संस्कृत पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस हेतु कार्यशालायें प्रारंभ की गयी हैं। प्राच्य एवं पराम्परागत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये दो विद्यालयों के लिये रु. 50-50 लाख वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्राप्त की गयी। संस्थान से सम्बद्धता प्राप्त 36 संस्कृत विद्यालयों को कम्प्यूटर प्रदाय हेतु राशि स्वीकृत की गयी। सत्र 2016-17 में कुल 168 विद्यालयों को एवं दिसम्बर 2017 तक 187 विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की गई। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित उक्त परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा क्रमशः हाईस्कूल (10वी) एवं हायर सेकेण्डरी (12वी) के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है। संस्थान का पंजीयन कोबसे नई दिल्ली में भी कराया गया है।

संस्थान द्वारा आयोजित पूर्वमध्यमा एवं उत्तरमध्यमा द्वितीयखण्ड (कक्षा – 10वीं एवं 12वीं) की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है। जिससे परीक्षार्थी अधिक पारदर्शी हो गयी है। प्रदेश में पहली बार महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2016-17 में आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की प्राविण्य सूची में प्रथम 10-10 स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप कुल राशि रु. 4 लाख 83 हजार के डिमांड ड्राफ्ट देकर राज्यस्तरीय संस्कृत महोत्सव में सम्मानित किया गया।

संस्कृत विद्यालयों में अध्यनरत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कर इन विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भेजने के लिये दिनांक 26.10.2017 एवं 27.10.2017 तक राज्य स्तरीय शास्त्रीय प्रतिभा खोज चयन स्पर्धा श्री ललिताम्बा संस्कृत आवासीय उ.मा.वि. रमपुरवाधाम जिला सतना में आयोजित की गयी। इन स्पर्धाओं में चयनित करने पर छात्रों द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल परिसर द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय स्पर्धा में प्रतिभागिता की गई। राज्यस्तरीय स्पर्धा में संस्थान से सम्बद्ध संस्कृत विद्यालयों के दो छात्रों को प्रथम स्थान प्राप्त होने के कारण छात्रों को राष्ट्रीय शास्त्रीय स्पर्धा अगरतला (त्रिपुरा) में प्रतिभागिता का अवसर प्राप्त हुआ है।

संस्थान परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के प्रव्रजन (माइग्रेशन) एवं अंकसूची की द्वितीय प्रति के आवेदन एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से जमा कर जारी किये जाते हैं।

दिनांक 04.08.2017 से 10.08.2017 तक संस्कृत दिवस एवं श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्य एवं विश्व बन्धुत्व के भावों को अपने अन्दर संजोए हुए वर्तमान में संगणक के लिए सर्वोत्कृष्ट संस्कृत भाषा को जन-जन की भाषा बनाने के उद्देश्य से “संस्कृत सप्ताह” का प्रदेश के समस्त जिलास्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों शासकीय एवं अशासकीय संस्कृत विद्यालयों के माध्यम से संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया। प्रदेश के समस्त शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं शासकीय/अशासकीय/प्राच्य/पराम्परागत संस्कृत उ.मा.विद्यालयों में गत दो वर्षों में 7 दिवसीय संस्कृत सप्ताह महोत्सव के आयोजन हेतु महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा इन विद्यालयों को राशि उपलब्ध करायी गयी।

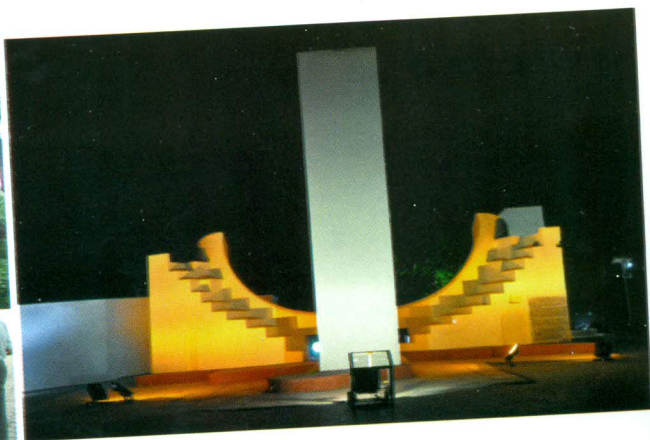
संस्थान में स्थित पुस्तकालय में व्याकरण, ज्योतिष, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा, कर्मकाण्ड, जैनदर्शन, बौद्धदर्शन आदि संस्कृत के ग्रन्थ एवं अन्य साहित्य उपलब्ध है।

3.3.4.2 जीवाजी वेधशाला उज्जैन

शासकीय जीवाजी वेधशाला, उज्जैन सन् 1719 में सवाई राजा जयसिंह (द्वितीय) द्वारा निर्मित है। वेधशाला में पाँच प्राचीन यन्त्र, (सम्राट, दिगंश, नाडीवलय, भित्ती व शंकु), तारामण्डल, सी.डी. शो, टेलिस्कोप एवं मौसम के यन्त्र स्थित हैं।

वेधशाला की वेबसाइट www.jiwajiobservatory.org का निर्माण किया जा चुका है। वेबसाइट में प्राचीन यंत्रों, मौसम के यंत्रों, पंचांग, पुस्तकों, फोटो गैलरी एवं वेधशाला के कार्यों आदि को स्थान दिया गया है। वर्ष 2016-17 में 45,109 पर्यटकों ने वेधशाला अवलोकन किया तथा 12478 पर्यटकों ने तारामण्डल तथा 904 पर्यटकों ने टेलिस्कोप से आकाशीय अवलोकन किया। सिंहस्थ 2016 में 1224 विदेशी पर्यटकों का भी वेधशाला में आगमन हुआ। वर्ष 2017-18 में 48379 पर्यटकों ने वेधशाला का अवलोकन करा। 14549 पर्यटकों ने तारामण्डल तथा 793 पर्यटकों ने टेलिस्कोप से आकाशीय अवलोकन किया, इनमें से 124 पर्यटक विदेशी थे। वेधशाला के पुस्तकालय में स्थित सम्पूर्ण प्राचीन ग्रन्थों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वेधशाला के निर्माता सवाई राजा जयसिंह (द्वितीय) की मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश द्वारा किया गया।

डिजिटाइजेशन में प्राचीन दुर्लभ 596 ग्रन्थों के 152763 पृष्ठों को स्कैन किया गया है। मौसम के सटीक आकड़े भेजने हेतु भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रादेशिक मौसम केन्द्र नागपुर द्वारा इस वर्ष भी अति - उत्तम कार्य हेतु वेधशाला को पुरस्कृत किया गया है। प्रादेशिक मौसम केन्द्र नागपुर द्वारा इस वर्ष लगभग रुपये 1.50 लाख लागत का इलेक्ट्रॉनिक बैरोमीटर प्रदेश के एक मात्र अंशकालिक केन्द्र वेधशाला में लगाया गया। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितम्बर एवं 22 दिसम्बर की खगोलीय घटना को वेधशाला के प्राचीन यंत्रों के द्वारा दिखाया गया एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।



नदी से मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु रिटेनिंग वॉल का निर्माण करवाकर बने गड्ढे पर लगभग 60 डम्पर मिट्टी का भराव निःशुल्क करवाया गया।

उद्यानिकी विभाग उज्जैन के सहयोग से वेधशाला परिसर में 3 लॉन विकसित किये गये एवं विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गये।

3.3.4.3 शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल

शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र म0प्र0, भोपाल एक राज्य स्तरीय योग प्रशिक्षण संस्था है, जिसमें वर्ष भर योग के प्रशिक्षण सत्र संचालित होते हैं। म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44-04/2009/20-3 भोपाल, दिनांक 08.06.2009 के द्वारा शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र का नियंत्रण महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल के अधीन कर दिया गया है। मई 2017 से दिसम्बर 2017 तक शासकीय विद्यालयों में पदस्थ 295 शिक्षकों/प्राचार्यों को मासिक/13 दिवसीय योग प्रशिक्षण दिया गया।

स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी 2017 को सूर्यनमस्कार महायज्ञ के आयोजन में योग केन्द्र के प्रशिक्षकों द्वारा सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग प्रदान किया गया। 21 जून विश्व योग दिवस के महाआयोजन हेतु प्रदेश के समस्त जिलों के 102 शिक्षकों एवं लगभग 250 इच्छुक जन सामान्य को योग केन्द्र में विशेष कक्षाएँ आयोजित कर योग क्रियाओं का अभ्यास कराया गया।

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2017 को यादगार व योगमय बनाने के लिये डॉ. कुँवर विजय शाह, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, के विशेष आमंत्रण पर शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र शिवाजी नगर,भोपाल के निर्देशन में योग शिक्षकों के 10 सदस्यीय दल द्वारा न्यू हरसूद स्टेडियम, जिला खण्डवा में दिनांक 26.10.2017 से 01.11.2017 तक प्रतिदिन 5:30 से 8:00 बजे तक एवं सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ यौगिक क्रियाओं का प्रदर्शन एवं पुनर्अभ्यास प्रबुद्धजन, विद्यार्थी, पालकगण, अधिकारीगण तथा जनप्रतिनिधियों को कराया गया है।

वर्ष भर की योग गतिविधियों का वार्षिक योग पंचांग आयुक्त लोक शिक्षण म0प्र0 द्वारा जारी किया जाता है।

सं. क्र.	प्रशिक्षण/गतिविधि का विवरण	सम्मिलित सम्भाग/जिले	प्रशिक्षण में अपेक्षित प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागियों की संख्या
1	13 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (अधिकारी स्तर) 01.05.2017 से 13.05 2017	भोपाल- भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ ग्वालियर- ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, गुना, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, शिवपुरी सागर- सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना	50	35
2	15.05.2017 से 27.05.2017	उज्जैन- उज्जैन, शाजापुर, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम,आगर मालवा शहडोल-शहडोल, अनूपपुर, उमरिया नर्मदापुरम- होशंगाबाद, हरदा, बैतूल	50	21

3	29.05.2017 से 10.06.2017	इन्दौर— इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी जबलपुर— जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, मण्डला, बालाघाट रीवा— रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना	50	19
4	30 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (शिक्षक स्तर) 19.06.2017 से 18.07.2017	भोपाल— भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ सागर— सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना	50	51
5	21.07.2017 से 19.08. 2017	रीवा—रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना शहडोल—शहडोल, अनूपपुर, उमरिया	50	16
6	25.08.2017 से 23.09.2017	ग्वालियर— ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, गुना, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, शिवपुरी नर्मदापुरम— होशंगाबाद, हरदा, बैतूल	50	44
7	03.10.2017 से 01.11.2017	उज्जैन— उज्जैन, शाजापुर, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा	50	45
8	03.11.2017 से 02.12.2017	इन्दौर— इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी	50	27
9	06.12.2017 से 04.01.2018	जबलपुर— जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, मण्डला, बालाघाट	50	37

3.3.5 राष्ट्रीय कैडेट कोर

3.3.5.1 अखिल भारतीय स्तर के शिविर

क्रमांक	शिविर का नाम	भाग लेने वाले कैडेट्स की संख्या
1.	एडवांस लीडरशिप शिविर	100
2.	रॉक क्लाइमिंग शिविर	92
3.	नौ सैनिक शिविर	35
4.	राष्ट्रीय एकात्मकता शिविर (एन.आई.सी.) (अन्य संचालनालय द्वारा आयोजित)	447
5.	राष्ट्रीय एकात्मकता शिविर (एन.आई.सी.) (मोप्रो संचालनालय द्वारा आयोजित)	865

6.	वायु सैनिक शिविर	24
7.	थल सेना शिविर	65
8.	एन.आई.सी. पोर्ट ब्लेयर	05
9.	एनसीसी सेलिंग रेगाटा	06
10.	ए.टी.सी. नेवल	07
11.	स्पेशल एन.आई.सी.	52
	योग	1698

3.3.5.2 यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (अन्य देशों में गये कैडेट्स का विवरण)

क्र.	कैडेट का नाम	युनिट का नाम	देश का नाम	अवधि
1.	कैडेट ऋषभ शर्मा	2 म0प्र0 नेवल युनिट एनसीसी जबलपुर	कज़ाकिस्तान	15.5.2017 से 25.5.2017
2.	कैडेट शर्मिला भदौरिया	4 म0प्र0 बटालियन एनसीसी भोपाल	वियतनाम	13.9.2017 से 22.9.2017
3.	कैडेट हिमानी अहेरसिंधे	1 म0प्र0 गर्ल्स बटालियन एनसीसी इंदौर	कज़ाकिस्तान	25.09.2017 से 05.10.2017
4.	अन्डर ऑफिसर वि क्रम सिंह गिल	15 म0प्र0 बटालियन एनसीसी ग्वालियर	श्रीलंका	16.10.2017 से 23.10.2017
5.	कैडेट आयुषि सिंह	2 म0प्र0 गर्ल्स बटालियन एनसीसी जबलपुर	श्रीलंका	16.10.2017 से 23.10.2017
6.	कैडेट कैप्टन ऋषभ सिंह	1 म0प्र0 नेवल युनिट एनसीसी भोपाल	सिंगापुर	16.11.2017 से 25.11.2017
7.	कैडेट रोचन सोनटक्के	2 म0प्र0 गर्ल्स बटालियन एनसीसी जबलपुर	सिंगापुर	16.11.2017 से 25.11.2017

3.3.5.3 ट्रेकिंग

क्रमांक	ट्रेक का नाम	भाग लेने वाले कैडेट्स की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड ट्रेक	177
2.	बिहार ट्रेक	120
3.	शिवाजी ट्रेक (महाराष्ट्र)	65
4.	दार्जिलिंग-सिक्किम (वेस्ट बंगाल)	120
5.	केरल	120
6.	हिमाचल-पंजाब ट्रेक	120
7.	अजमेर ट्रेक	120
8.	अमरकंटक ट्रेक	170
9.	आन्ध्रप्रदेश ट्रेक	80
10.	बेलगाम ट्रेक	65
11.	एन.ई.आर. ट्रेक	50
12.	गुजरात ट्रेक	65
13.	उड़ीसा ट्रेक	65
	योग	1337

3.3.5.4 एनसीसी दिवस का आयोजन

एनसीसी स्थापना की 69वीं वर्षगांठ पर दिनांक 26 नवंबर 2017 को एनसीसी दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन "शौर्य स्मारक" में किया गया जिसमें माननीय स्कूल शिक्षा मंत्रीजी की अध्यक्षता में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

3.3.5.5 एन.सी.सी. प्रमाण पत्र परीक्षा

वर्ष 2017 में एन.सी.सी. प्रमाण पत्र परीक्षाओं में निम्नानुसार कैडेटों ने सफलता अर्जित की।

प्रमाण पत्र	परीक्षा में सम्मिलित कैडेटों की संख्या	परीक्षा में उत्तीर्ण कैडेटों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
ए प्रमाण पत्र	21992	20314	92
बी प्रमाण पत्र	8435	7201	86
सी प्रमाण पत्र	4064	3351	82
योग	34491	30866	

3.3.6 राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NCERT नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाती है। यह दो स्तरीय परीक्षा है। प्रथम चयन परीक्षा राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा आयोजित की जाती है। द्वितीय स्तर की परीक्षा NCERT नई दिल्ली द्वारा मई माह के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाती है। परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को नियमानुसार NCERT द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-2018 परीक्षा दिनांक 05.11.2017 को जिला स्तरीय परीक्षा केन्द्रों पर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा आयोजित की गई है, परीक्षा में कुल 106361 विद्यार्थियों के पंजीयन हुए। मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रथम स्तर पर वर्ष 2017-18 के लिए कुल 265 विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित है। प्रथम स्तर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है।

परीक्षा दिनांक	08.11.2015	06.11.2016	05.11.2017
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (चयनित बच्चे)	290	284	275

3.3.7 राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2008-2009 से संचालित की जा रही है। वर्ष 2017-2018 की परीक्षा दिनांक 05.11.2017 को सम्पन्न हो चुकी है। मध्यप्रदेश राज्य के लिए कुल 6446 विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित है। मध्यप्रदेश राज्य में स्थित शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त अथवा स्थानीय निकायों के विद्यालयों में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत ऐसे नियमित विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं, जिन्होंने कक्षा 7 वीं की परीक्षा कम से कम C ग्रेड (45-60 प्रतिशत) से पास की हो एवं उनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1.50 लाख या उससे कम हो। इस परीक्षा में मध्यप्रदेश राज्य के नियमानुसार, जिलेवार आरक्षण का प्रावधान है। चयनित विद्यार्थियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक रुपये 500/- प्रतिमाह की दर से भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा नई दिल्ली के माध्यम से प्रदान की जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9-11 में 55% अंक एवं कक्षा 10 में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वर्ष 2017-2018 में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा में 167056 विद्यार्थियों के पंजीयन हुए।

परीक्षा दिनांक	08.11.2015	06.11.2016	05.11.2017
राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति (चयनित बच्चे)	6030	6446	6446

3.3.8 राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

वर्ष 2017-2018 में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (एस.सी.ई.आर.टी) को राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना संबंधी गतिविधियों के लिए राशि रु.10,00,000 / (रुपये दस लाख) का बजट स्वीकृत किया गया है। जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य जन-जन में जागरुकता लाना है।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना वार्षिक कार्ययोजना 2017-2018 अनुसार मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में (एस.सी.ई.आर.टी) राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए गए।

5 जून 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन

5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर 47 जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सभी डी.एल.एड प्रशिक्षणार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। निबंध लेखन हेतु जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर निबंध लेखन किया गया। जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगियों को पुरस्कार राशि क्रमशः रु.700/-, रु.500/- एवं रु.300/- प्रदान की गयी।

11 जुलाई 2017 को विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन

11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन सभी शासकीय शालाओं में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए किया गया था। प्रतियोगिता का आयोजन शाला स्तर जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया गया।

शाला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त पोस्टर जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ में भेजे गए। जिला स्तर पर शाला से प्राप्त पोस्टर में से निर्णायक मंडल द्वारा तीन पोस्टर का चयन किया गया एवं उन्हें पुरस्कार स्वरूप राशि क्रमशः रु.500/-, रु.300/- एवं रु.200/- प्रदान की गयी। राज्य स्तर पर जिले से प्राप्त 10 पोस्टर का चयन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त पोस्टर को एन.सी.ई.आर.टी नयी दिल्ली भेजा गया।

एडवोकेसी प्रोग्राम

एडवोकेसी कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर, उज्जैन, खंडवा जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डी.एल.एड. प्रशिक्षणार्थियों के लिए elf protection person el hygiene and s विषय किया गया।

रोल प्ले प्रतियोगिता

रोल प्ले प्रतियोगिता के माध्यम से किशोरावस्था के विद्यार्थियों में जनसंख्या संबंधी मुद्दों की समझ व जागरुकता लाना है, जिससे उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का वे सफलतापूर्वक सामना कर सकें, क्योंकि यह एक ऐसी अभिनय प्रक्रिया है, जो वास्तविक जीवन की स्थितियों की व्याख्या करती है। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के 33 जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में किया गया था एवं राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2017 को प्रगत शैक्षिक अध्यन संस्थान, भोपाल द्वारा किया गया था, जिसमें 22 जिलों द्वारा सहभागिता की गयी एवं निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये गये।

- प्रथम पुरस्कार — शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मार्तंड क्र.1 रीवा
 द्वितीय पुरस्कार — शासकीय म.ल.बा.कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सतना
 तृतीय पुरस्कार — शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय —बरखेडी भोपाल

लोकनृत्य प्रतियोगिता

लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 14 आदिवासी बाहुल्य जिलों में किया गया। लोक नृत्य (फोक डान्स) के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा और किशोरवयीन प्रजनन एवं लैंगिक स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया। जिसकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर, 2017 को प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान, भोपाल में आयोजित की गयी, जिसमें 08 जिलों द्वारा भाग लिया एवं निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये गये।

प्रथम पुरस्कार — शासकीय उत्कृष्ट. मा. विद्यालय, खरगोन

द्वितीय पुरस्कार — शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बडवानी

तृतीय पुरस्कार — शासकीय कन्या उ. मा. विद्यालय, सोहागपुर, शहडोल

राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त रोल प्ले एवं लोक नृत्य के प्रतिभागियों द्वारा दिनांक 5-8 दिसम्बर 2017 को राष्ट्रीय स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली में सहभागिता की गयी।

3.3.9 वर्चुअल क्लास रूम

वर्चुअल क्लास रूम योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 में प्रदेश के 313 विकासखण्डों में एक-एक शासकीय उत्कृष्ट/आदर्श उ0मा0विद्यालय का चयन किया गया, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के विकासखण्ड स्तरीय 224 विद्यालयों का चयन किया गया। इन विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को डिजिटल स्टडी मेटेरियल के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है।

प्रत्येक चयनित विद्यालय में एक कक्ष को लर्निंग एंड के रूप में विकसित किया गया है जिसमें आवश्यक उपकरण यथा कम्प्यूटर, टी.व्ही., प्रोजेक्टर, कैमरा इत्यादि स्थापित किए गए हैं। उक्त योजनांतर्गत इस वर्ष राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षित स्त्री शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संचालित किया जा रहा है।

वर्चुअल क्लास के माध्यम से किया जा रहा अध्यापन कार्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायक है एवं शिक्षकों की कमी को दूर करने में भी सहायक है। दूरस्थ ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों के लिये यह कक्षाएं अत्यन्त उपयोगी एवं आवश्यक हैं। इससे सभी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अध्यापन का लाभ, प्रदर्शन एवं प्रयोगों के आधार पर शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया रुचिकर एवं प्रभावी होती है।

3.3.10 वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत विशिष्ट आयोजन/ प्रतियोगिताएं

वर्ष 2017-18 में स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक, देशभक्ति, पर्यावरण तथा शैक्षिक प्रतियोगिताएं एवं योग प्रशिक्षण, सामूहिक सूर्यनमस्कार, राष्ट्रीय बालरंग, मोगली बाल उत्सव, कालिदास समारोह आदि गतिविधियाँ विभिन्न स्तरों पर आयोजित की गई। योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 8 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत आयोजित गतिविधियाँ/ प्रतियोगिताएं एवं विशिष्ट आयोजनों का विवरण निम्नानुसार है :-

स0क्र0	प्रतियोगिता एवं आयोजन का नाम	आयोजन स्थल
1	2	3
01	कालिदास समारोह	उज्जैन
02	बालदिवस	प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में
03	मोगली बाल उत्सव	1- राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ उमरिया 2- राष्ट्रीय उद्यान कान्हा मण्डला 3- राष्ट्रीय माधव उद्यान शिवपुरी 4- राष्ट्रीय उद्यान मढ़ई होशंगाबाद
04	राज्य स्तरीय बालरंग	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
05	राष्ट्रीय बालरंग	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
07	विद्यालयों में खेल एवं योग	प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में
08	सामूहिक सूर्य नमस्कार	प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाएं
09	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस	प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाएं

(i) **कालिदास समारोह** – कालिदास अकादमी (संस्कृति विभाग) उज्जैन द्वारा देव प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर प्रतिवर्ष उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विगत वर्षों से महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित चित्रांकन, श्लोक गायन, नृत्य नाटिका आदि प्रतियोगिताएं शाला स्तर, विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर पर आयोजित की जाती है तथा प्रत्येक जिले से 04 चयनित छात्रों की राज्य स्तरीय आयोजन में सहभागिता की जाती है। शैक्षणिक 2017-18 में कालिदास समारोह दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2017 को उज्जैन में आयोजित किया गया।

(ii) **मोगली बाल उत्सव** – विद्यालयीन छात्र-छात्राओं में पर्यावरण, वन संरक्षण तथा वन्य प्राणियों के प्रति संचेतना जागृत करने के उद्देश्य से वर्ष 2004 से प्रति वर्ष राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव का आयोजन पंच अभयारण्य सिवनी, म.प्र. में आयोजित किया जाता था।

इस आयोजन में सहभागिता हेतु शाला स्तर, विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर पर पर्यावरण संबंधी विषयों पर त्रि-स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें संपूर्ण प्रदेश के लगभग 20 से 25 लाख छात्र-छात्राएं प्रतिवर्ष सहभागिता करते हैं। जिला स्तर पर चयनित 02 छात्र एवं 02 छात्राएं इस प्रकार कुल 204 चयनित प्रतिभागी तथा 51 शिक्षिकाएँ राज्य स्तरीय मोंगली महोत्सव में सहभागिता करते थे।

इस वर्ष उक्त आयोजन प्रदेश के 4 अभ्यारण्यों में 2 चरणों में दिनांक 17-18 नवम्बर 2017 को माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मण्डला में एवं दिनांक 27-28 नवम्बर 2017 का राष्ट्रीय उद्यान उमरिया एवं मढ़ई जिला होशंगाबाद में आयोजित किया गया। इनमें शिवपुरी, मण्डला एवं मढ़ई में 13-13 जिलों के एवं उमरिया में 12 जिलों के छात्र-छात्राओं एवं प्रत्येक जिले से एक-एक शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा सहभागिता की गई।

(iii) राज्य स्तरीय बालरंग - बालरंग उत्सव में सहभागिता हेतु शाला, विकासखण्ड, जिला एवं संभाग स्तर पर साहित्यिक, सांस्कृतिक, योग, मदरसा, विज्ञान, संस्कृत एवं निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। जिला/ संभाग स्तर से राज्य स्तर हेतु छात्र-छात्राओं का चयन किया जाकर राज्य स्तरीय बालरंग प्रतियोगिता का आयोजन 19 दिसम्बर 2017 को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश के 1085 छात्र-छात्राओं द्वारा सहभागिता की गई।

(iv) राष्ट्रीय बालरंग - छात्र-छात्राओं को देश की विभिन्न लोक संस्कृतियों से परिचय एवं लोक विधा को समझने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 से निरन्तर राष्ट्रीय बालरंग कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। लोक संस्कृति विषयों से संबंधित शाला, विकासखण्ड, जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाकर राज्य स्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त दल को राष्ट्रीय लोकनृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु चयन किया जाता है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय बालरंग का आयोजन 19-21 दिसम्बर, 2017 को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में आयोजित किया गया।



राष्ट्रीय बालरंग की लोकनृत्य प्रतियोगिता में देश के 21 राज्यों एवं 5 केन्द्र शासित प्रदेशों के 523 प्रतिभागियों द्वारा सहभागिता की गई। प्रतियोगिता में हरियाणा को प्रथम पुरस्कार, सिक्किम को द्वितीय पुरस्कार, तमिलनाडु को तृतीय एवं मणिपुर, त्रिपुरा एवं हिमाचल प्रदेश को सात्वना पुरस्कार राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा गठित ज्यूरी द्वारा दिया जाकर पुरस्कार दिये गये ।

(v) बालसभा एवं योग/खेल प्रशिक्षण — बालसभा एवं योग का राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर समस्त शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के शिक्षकों को बालसभा एवं योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रतिदिन विद्यालय में एक कालखण्ड योग/खेल हेतु निर्धारित किया गया है तथा प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में बालसभा का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। योजना गत 05 वर्ष से संचालित है।

(vi) स्कूल बैण्ड प्रतियोगिता — वर्ष 2017 से भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं जोनल स्तरीय अन्तर स्कूल बैण्ड प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 29.11.17 को जिला मुख्यालय पर, संभागीय प्रतियोगिता संभागीय जिला मुख्यालय पर दि. 4.12.17 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 19.12.17 एवं जोनल स्तरीय इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित किया गया। जोनल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के प्रतिभागियों द्वारा सहभागिता की गई। जोनल प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की सेंट जोसफ को-एड स्कूल का चयन किया गया। उक्त संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिल्ली में दिनांक 15.1.2018 को सहभागिता कर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया गया।





3.3.10 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान संचालित है, जिसके माध्यम से शिक्षकों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं, इसके माध्यम से प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को शिक्षक दिवस 05 सितम्बर, के अवसर पर जिला स्तरीय शिक्षक पुरस्कार, राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है एवं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु अनुशंसित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

वर्ष 2017 में "शिक्षक दिवस" के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया एवं राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस के आयोजन में प्रदेश के प्रत्येक जिले के एक उत्कृष्ट शिक्षक को रुपये 25000/- की नकद धनराशि शाला श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर "राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान" मान. मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा प्रदान कराया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी को रुपये 5000/- की नकद धनराशि, शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित कराया गया है। विभाग के प्रस्ताव पर प्रदेश के 13 शिक्षकों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर-कमलों द्वारा रुपये 50,000/- की सम्मान निधि, रजत पदक एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

वर्ष 2016-17 में शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी के उपचार हेतु 10 शिक्षकों को रुपये 1,75,000/- की उपचारार्थ सहायता राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शिक्षकों के पुत्र/पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों एवं मेधावी विद्यार्थियों हेतु देश के शैक्षिक, सामाजिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण कराये जाने की योजना भी प्रचलित है।

3.3.11 44वीं राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2017

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 10 नवम्बर 2017 से 16 नवम्बर 2017 तक भोपाल, में " 44 वीं जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित तथा पर्यावरण प्रदर्शनी वर्ष 2017 का आयोजन किया गया।

बच्चों में वैज्ञानिक सोच के विकास तथा विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. और यू.जी.सी. द्वारा संयुक्त रूप से प्रथम विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन वर्ष 1971 में " बच्चों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी " के नाम से नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 1972 से 1978 तक जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि और एन.सी.ई.आर. टी. द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनियाँ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद के वर्षों में सभी प्रदर्शनियों एन.सी.ई.आर.टी. और विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा आयोजित की गई। मध्यप्रदेश में प्रथम बार वर्ष 1987 में इसका आयोजन जबलपुर में किया गया था।

यह प्रदर्शनी देश के विभिन्न भागों के युवाओं एवं बच्चों को विज्ञान , गणित तथा प्रौद्योगिकी के विविध पहलुओं को समझने के साथ-साथ उन्हें एक दूसरे को जानने एवं आपस में विविध संस्कृतियों से परिचित होने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।

प्रदर्शनी का उद्देश्य

- बच्चों को अपनी स्वभाविक जिज्ञासा एवं रचनात्मकता के लिए एक मंच उपलब्ध कराना ।
- बच्चों को अपने आस-पास हो रहे क्रियाकलापों में विज्ञान और गणित की उपस्थिति का अनुभव कराना ।
- आत्म निर्भरता, सामाजिक- आर्थिक और सामाजिक पर्यावरणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विज्ञान, गणित एवं प्रौद्योगिकी के विकास को प्रमुख साधन के रूप में देखने पर बल देना।

व्याख्यानों का आयोजन

प्रतिभागी छात्रों एवं शिक्षकों हेतु प्रदर्शनी के दौरान ही प्रातः 9.30 बजे से 10.30 बजे तक विभिन्न प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के व्याख्यान रखे गये।

प्रतिभागियों एवं प्रदर्श की संख्या

प्रदर्शनी में 28 प्रदेशों एवं 09 केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में 142 प्रदर्शों को सम्मिलित किया गया। प्रत्येक प्रदर्श पर एक छात्र एवं एक शिक्षक इस प्रकार कुल 284 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इंसपायर अवार्ड में वर्ष 2016 में चयनित मध्यप्रदेश राज्य के 20 प्रतिभागी छात्र एवं 20 शिक्षक भी प्रदर्शनी में सम्मिलित हुए।

भाग – चार

4 सामान्य प्रशासनिक विषय

भाग — चार

4 सामान्य प्रशासनिक विषय

4.1 यौन उत्पीड़न शिकायत एवं निवारण समिति

महिलाओं के हितों की रक्षा एवं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 नियम 2013 अंतर्गत संचालनालय सहित सभी संयुक्त संचालक/ जिला शिक्षा अधिकारी एवं शासकीय उ.मा.वि. कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है। यह समितियाँ 3 वर्ष के लिए होंगी एवं दोषी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है

4.2 मध्यप्रदेश राज्य महिला नीति

महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मध्यप्रदेश महिला नीति का गठन किया गया है। वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य महिला नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

विकास की मुख्य धारा में महिलाओं की गरिमापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना ।

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं हितों का संरक्षण करना है

महिलाओं की समग्र क्षमताओं का विकास करना ।

महिलाओं से संबंधित नीतियों, विधियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का परिणाममूलक क्रियान्वयन

करना ।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य महिला नीति को लागू करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, शैक्षणिक संस्थाओं में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना, बालिका ड्रॉप आउट रेट कम करना, लिंग भेद समाप्त करना, भोपाल जिले में महिलाओं/ बालिकाओं के लिए सुरक्षित व हिंसा मुक्त वातावरण निर्माण के लिए विद्यालय के माध्यम से सेफसिटी कार्यक्रम की जागरूकता के लिए बालिकाओं को स्वरक्षा हेतु मार्शल आर्ट/जुडो/कराटे का प्रशिक्षण, विद्यालयों में बालिकाओं की समस्या के निराकरण हेतु एक महिला परामर्श दाता की व्यवस्था, यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विद्यालयों में प्रकाशन होने वाली वार्षिक पत्रिका में अनुच्छेद से संबंधित जानकारी प्रकाशित कराने, जागरूकता बढ़ाने हेतु विद्यालयों में समय-समय पर चर्चा/परिचर्चा, भाषण नाटक आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस. के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

विभाग द्वारा बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क सायकिल वितरण, निःशुल्क गणवेश एवं विभिन्न छात्रवृत्तियों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत बालिका छात्रावास संचालित हैं। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

4.3 न्यायालयीन प्रकरण

माननीय उच्च-न्यायालय में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों (WP) की जॉनकारी 31.01.2018 की स्थिति में निम्नानुसार है:-

मान.उच्च न्यायालय	कुल	प्रत्यावर्तन प्रस्तुत	प्रत्यावर्तन शेष
जबलपुर	1870	1495	375
ग्वालियर	687	577	110
इन्दौर	655	559	96
कुल	3212	2631	581

4.4 अवमानना प्रकरण

मान.उच्च न्यायालय	कुल	प्रत्यावर्तन प्रस्तुत	प्रत्यावर्तन शेष
जबलपुर	620	532	88
ग्वालियर	183	124	59
इन्दौर	91	47	44
कुल	894	703	191

आयुक्त, लोक शिक्षण के अधीन, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ, कार्यालय जबलपुर, ग्वालियर तथा इन्दौर में स्थापित है। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, विधि प्रकोष्ठ विभागीय प्रकरणों के निराकरण हेतु महाधिवक्ता, कार्यालय जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर, इन्दौर में सतत सम्पर्क में रह कर विभागीय प्रकरणों में समन्वय स्थापित करते हैं।

4.5 विभागीय जांच

वर्ष 2017-18 में विभागीय जांच की जानकारी निम्नानुसार है:-

कुल विभागीय जांच प्रकरण	शासन स्तर से निराकृत प्रकरण	संचालनालय स्तर से निराकृत प्रकरण	कुल निराकृत प्रकरण
34	02	13	15